रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112025-268090 CG-DL-E-29112025-268090

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 787] No. 787] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2025/अग्रहायण 6, 1947

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2025/AGRAHAYANA 6, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 27 नवम्बर. 2025

सा.का.नि.873(अ).—केंद्रीय सरकार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 40 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1996 को, जहां तक उनका संबंध महानिदेशक (अन्वेषण), निजी सचिव, ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, निरीक्षक, निजी सहायक और सहायक के पदों से है, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 को, जहां तक उनका संबंध रजिस्टार (विधि), संयक्त सचिव, मुख्य समन्वयक (प्रशिक्षण), प्रस्ततीकर्ता अधिकारी, उप महानिरीक्षक, ज्येष्ठ पलिस अधीक्षक, निर्देशक, संयुक्त रॅजिस्ट्रार, उप रॅजिस्ट्रार, संयुक्त निर्देशक (अनुसंधान), ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव, उप सचिव, सहायक रजिस्टार, अवर सचिव, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, प्रधान निजी सचिव, ज्येष्ठ तंत्र विश्लेषक, सूचना और जनसंपर्क अधिकारी, तंत्र विश्लेषक, सहायक सूचना अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रलेखीकरण अधिकारी, सहायक निदेशक (हिंदी), कार्यक्रमक, ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक, सहायक लेखा अधिकारी, उप प्रलेखीकरण अधिकारी, अनुसंधान सहायक, कार्यक्रमक सहायक, लेखाकार, स्टॉफ कार डाइवर (विशेष श्रेणी), स्टॉफ कार डाइवर (श्रेणी – ١), स्टॉफ कार डाइवर (श्रेणी – ١١), स्टॉफ कार ड़ाइवर (साधारण श्रेणी), कनिष्ठ लेखाकार, उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, आशुलिपिक श्रेणी-घ, कांस्टेबल, अवर श्रेणी लिपिक, सवार हरकारा और बहुकार्य कर्मचारीवृन्द के पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में महानिदेशक (अन्वेषण), रजिस्टार (विधि), संयुक्त सचिव, मुख्य समन्वयक (प्रशिक्षण), प्रस्तुतीकर्ता अधिकारी, उप महानिरीक्षक, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, निदेशक, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव, उप सचिव, सहायक रजिस्ट्रार, अवर सचिव, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, प्रधान निजी सचिव, ज्येष्ठ तंत्र विश्लेषक, सूचना और जनसंपर्क अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, तंत्र विश्लेषक, सहायक सूचना अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष-सह-प्रलेखन

7974 GI/2025 (1)

अधिकारी, सहायक निदेशक (हिंदी), सहायक लेखा अधिकारी, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, निरीक्षक, निजी सहायक, कार्यक्रमक, ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक, उप प्रलेखीकरण अधिकारी, अनुसंधान सहायक, कार्यक्रमक सहायक, लेखाकार, स्टॉफ कार चालक (विशेष श्रेणी), स्टॉफ कार चालक (श्रेणी – I), स्टॉफ कार चालक (श्रेणी – II), स्टॉफ कार चालक (श्रेणी – III), स्टॉफ कार चालक (साधारण श्रेणी), किनिष्ठ लेखाकार, ज्येष्ठ सिचवालय सहायक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, आशुलिपिक श्रेणी-घ, कांस्टेबल, किनिष्ठ सिचवालय सहायक, सवार हरकारा और बहुकार्य कर्मचारीवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: -

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) नियम, 2025 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. अनुप्रयोग.- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. परिभाषा.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) अभिप्रेत है;
 - (ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है;
- (2) इसमें प्रयुक्त तथा अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।
- 4. आयोग के अधिकारी और कर्मचारीवृन्द आयोग के अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द की प्रकृति और प्रवर्ग तथा भर्ती की पद्धति और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होंगे;
- 5. सेवा की शर्तें.- वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों तथा सेवा की अन्य शर्तों के मामले में आयोग के अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द की सेवा शर्तें, ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी, जो इन पदों से उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में तत्थानी स्तर के, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द पर लागू हैं, जो इस मामले में उपाबद्ध प्राधिकारी से अनुमोदन के अध्यधीन होगा; और
- 6. चिकित्सा सुविधाएँ.- चिकित्सा सेवाओं के मामले में आयोग के अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम सुविधाओं के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- 7. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 8. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- पूर्वोक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 9. नियुक्ति प्राधिकारी.- (1) आयोग में समूह 'क' पदों के समतुल्य सभी नियुक्तियां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी।
- (2) आयोग में समूह 'ख' पदों के समतुल्य सभी नियुक्तियां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव द्वारा की जाएंगी।
- (3) आयोग में समूह 'ग' पदों के समतुल्य सभी नियुक्तियां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निदेशक द्वारा की जाएंगी।
- 10. निरर्हता .- वह व्यक्ति, -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 11. शिथिल करने की शक्ति.- किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल करने की शक्तियां, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के साथ निहित होंगी जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार के परामर्श से किया जाएगा।
- 12. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने
			स्तर।		वाले व्यक्तियों के लिए
					आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महानिदेशक	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(अन्वेषण)।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-16		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(205400-		
	है।		224400 रुपये)।		

सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए	परिवीक्षा की	भर्ती की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	यदि विभागीय	भर्ती करने में
जाने वाले	जाने वाले	अवधि, यदि	पद्धति: भर्ती	आमेलन द्वारा भर्ती की	प्रोन्नति समिति	किन परिस्थितियों
व्यक्तियों के	व्यक्तियों के	कोई हो।	सीधे होगी, या	दशा में, वे श्रेणियां जिनसे	है, तो उसकी	में संघ लोक सेवा
लिए अपेक्षित	लिए विहित		प्रोन्नति द्वारा या	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	संरचना।	आयोग से परामर्श
शैक्षिक और	आयु और		प्रतिनियुक्ति/	आमेलन किया जाएगा।		किया जाएगा।
अन्य अहर्ताएं।	शैक्षिक अहर्ताएं		आमेलन द्वारा			
	प्रोन्नत व्यक्तियों		तथा विभिन्न			
	की दशा में लागू		पद्धतियों द्वारा			
	होंगी या नहीं।		भरी जाने वाली			
			रिक्तियों की			
			प्रतिशतता।			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति:	खोज-सह-	लागू नहीं होता।
		होता।	द्वारा।	केंद्रीय सरकार की	चयन समिति	
				भारतीय पुलिस सेवा के	(प्रतिनियुक्ति	
				ऐसे अधिकारी,-	के संबंध में): -	
				(क) जिन्होंने मूल काडर	१. अध्यक्ष,	
				या विभाग में नियमित	राष्ट्रीय मानव	
				आधार पर सदृश पद	अधिकार	
				धारण किया हो; और	आयोग-	
				(ख) जिनके पास	अध्यक्ष;	
				निम्नलिखित शैक्षणिक		
				अहर्ताएं हों, अर्थात्: -	2. सदस्य,	
				किसी मान्यता प्राप्त	राष्ट्रीय मानव	
				विश्वविद्यालय या संस्थान	अधिकार	

	से स्नातक की डिग्री।	आयोग-
		सदस्य;
	टिप्पण १ प्रतिनियुक्ति	
	की अवधि, जिसके	3. महासचिव,
	अंतर्गत केंद्रीय सरकार	राष्ट्रीय मानव
	के उसी या किसी अन्य	अधिकार
	संगठन या विभाग में	आयोग
	इस नियुक्ति से ठीक	–सदस्य।
	पहले धारित किसी	
	अन्य काडर <i>-बाह्य</i> पद	टिप्पण-
	पर प्रतिनियुक्ति की	उपर्युक्त समिति
	अवधि है, साधारणतया	के सदस्य,
	पांच वर्ष से अधिक नहीं	राष्ट्रीय मानव
	होगी।	अधिकार
	Qi iii	आयोग में
	टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति	महानिदेशक - ।
	द्वारा नियुक्ति के लिए	(अन्वेषण) के
	अधिकतम आयु-सीमा	पद के लिए
	आवेदन प्राप्त करने की	अभ्यर्थी का
	अंतिम तारीख को 58 वर्ष	
	से अधिक नहीं होगी।	लिए यथास्थिति
	रा जायक गुला लागा।	जांच समिति या
		चयन समिति के
		सदस्यों के रूप
		में कार्य करेंगे।
		म काय करगा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. रजिस्ट्रार	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(विधि)।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-15		
	परिवर्तन किया जा सकता		(182200-		
	है।		224100 रुपये)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति (जिसके	खोज-सह-चयन	लागू नहीं होता।
		होता।	द्वारा (जिसके	अंतर्गत अल्पकालिक	समिति	
			अंतर्गत	संविदा भी है):	(प्रतिनियुक्ति के	
			अल्पकालिक	उच्चतम न्यायालय या	संबंध में): -	
			संविदा भी है)	उच्च न्यायालयों या	१. अध्यक्ष,	
			जिसके न हो	अधिकरणों के रजिस्ट्रार	राष्ट्रीय मानव	
			सकने पर	(न्यायिक) या केंद्रीय	अधिकार	
			पुनर्नियोजन	सरकार या राज्य सरकारों	आयोग- अध्यक्ष;	
			द्वारा।	या स्वायत्त निकायों या		
				कानूनी संगठनों या	2. सदस्य,	
				पब्लिक सेक्टर उपक्रमों	राष्ट्रीय मानव	
				या मान्यता प्राप्त	अधिकार	
				विश्वविद्यालयों या मान्यता	आयोग-सदस्य;	
				प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं		

के उच्च न्यायिक सेवा के 3. महासचिव, राष्ट्रीय मानव सदस्य का पद धारण करने वाले अधिकारी. अधिकार आयोग – सदस्य। (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित टिप्पण-आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; और उपर्युक्त समिति (ख) जिनके पास के सदस्य निम्नलिखित शैक्षणिक राष्ट्रीय मानव अहर्ताएं हों, अर्थात्:-अधिकार आयोग किसी मान्यता प्राप्त में विश्वविद्यालय या संस्थान रजिस्टार (विधि) से विधि में स्नातक की के पद के लिए अभ्यर्थी डिग्र<u>ी</u>। का चयन करने के पुनर्नियोजन द्वारा: लिए, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जाँच समिति या केंद्रीय सरकार या चयन समिति के उच्चतम न्यायालय या सदस्यों के रूप उच्च न्यायालय के अधीन में कार्य करेंगे। सदृश पद धारण किया हआ हो और उच्चतर न्यायपालिका के रजिस्ट्रार के रूप में या कानून के निवर्चन या अनुप्रयोग से अंतवर्लित किसी अन्य पद का अनुभव रखते हों। टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण २.- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आय्-

	सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 3 पुनर्नियोजन की दशा में नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. संयुक्त सचिव।	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-14		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(144200-		
	है।		218200 रुपये)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति:	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
		होता।	द्वारा।	अखिल भारतीय सेवाओं		
				के पैनल में शामिल या		
			पूर्व सैनिकों के	केंद्रीय सरकार संगठित		
			लिए:	समूह 'क' सेवाओं के		
			प्रतिनियुक्ति या	अधिकारी,		
			पुनर्नियोजन।	(क) (i) जिन्होंने मूल		
				काडर या विभाग में		
				नियमित आधार पर सदृश		
				पद धारण किए हुए हों; या		
				(ii) जिन्होंने मूल काडर या		
				विभाग में वेतन मैट्रिक्स (123100-215900		
				(123100-215900 रुपये) या समतुल्य में		
				स्तर-13 में नियमित		
				आधार पर पद पर		
				नियुक्ति के पश्चात तीन		
				वर्ष सेवा की हो; और		
				(ख) जिनके पास		
				निम्नलिखित शैक्षणिक		
				अहर्ताएं हों, अर्थात्:-		
				किसी मान्यता प्राप्त		
				विश्वविद्यालय या संस्थान		
				से स्नातक की डिग्री।		
				टिप्पण १ प्रतिनियुक्ति		
				की अवधि, जिसके		
				अंतर्गत उसी या किसी		
				अन्य संगठन या विभाग में		
				इस नियुक्ति से ठीक		

		पहले धारित किसी अन्य	
		<i>काडर-बाह्य</i> पद पर	
		प्रतिनियुक्ति की अवधि है,	
		साधारणतया पांच वर्ष से	
		अधिक नहीं होगी।	
		टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति	
		द्वारा नियुक्ति के लिए	
		अधिकतम आयु-सीमा	
		आवेदन प्राप्त करने की	
		अंतिम तारीख को 58 वर्ष	
		से अधिक नहीं होगी।	
		(20 2:2 0	
		पूर्व सैनिकों के लिए:	
		(प्रतिनियुक्ति या	
		पुनर्नियोजन:)	
		सशस्त्र बलों के कार्मिकों	
		के संबंध में भी विचार	
		किया जाएगा जो एक वर्ष	
		की अवधि के भीतर	
		सेवानिवृत्त होने वाले हैं या	
		जिन्हें रिजर्व में	
		स्थानांतरित किया जाना है	
		और जिनके पास	
		प्रतिनियुक्ति के लिए	
		विहित अहर्ताएं और	
		अनुभव हैं, उन पर भी	
		प्रतिनियुक्ति के लिए	
		विचार किया जाएगा। यदि	
		चयनित होते हैं, तो ऐसे	
		अधिकारियों को सशस्त्र	
		बलों से निर्मुक्त होने की	
		तारीख तक प्रतिनियुक्ति	
		के निबंधनों पर रखा	
		जायेगा और तत्पश्चात उन्हें	
		पुनर्नियोजन के निबंधनों	
		पर जारी रखा जा सकता	
		है।	
		61	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
४. मुख्य	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
समन्वयक	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-14		
(प्रशिक्षण)।	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(144200-		
	है।		218200 रुपये)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति	खोज-सह-चयन	लागू नहीं होता।

	होता।	(अल्पकालिक	(अल्पकालिक संविदा	समिति	
	,	् संविदा सहित)।	सहित):	(प्रतिनियुक्ति के	
			केंद्रीय सरकार या राज्य	संबंध में): -	
			सरकारों या संघ राज्य	१. अध्यक्ष,	
			क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त	राष्ट्रीय मानव	
			निकायों या क़ानूनी	अधिकार	
			संगठनों या पब्लिक	आयोग –	
			सेक्टर उपक्रमों या	अध्यक्ष;	
			मान्यता प्राप्त	515 141,	
			विश्वविद्यालयों या मान्यता	2. सदस्य,	
			प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं	राष्ट्रीय मानव	
			के अधिकारी,	अधिकार	
			पर जाजपरारा,	आयोग –	
			(क) (i) जिन्होंने मूल	सदस्य;	
			काडर या विभाग में	तपस्प,	
			नियमित आधार पर सदृश	२ महामनित	
			पद धारण किए हुए हों; या	3. महासचिव, राष्ट्रीय मानव	
			_	अधिकार	
			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स	आयोग –	
			(123100-215900	सदस्य।	
			रुपये) या समतुल्य में	Darren	
			स्तर-13 में नियमित	टिप्पण	
			आधार पर पद पर	उपर्युक्त समिति	
			नियुक्ति के पश्चात तीन	के सदस्य	
			वर्ष सेवा की हो; या	राष्ट्रीय मानव	
			(iii) जिन्होंने मूल काडर	अधिकार	
			या विभाग में वेतन	आयोग में मुख्य	
			मैट्रिक्स (78800-	समन्वयक	
			209200 रुपये) या	(प्रशिक्षण) के	
			समतुल्य में स्तर-12 पर	पद के लिए	
			नियमित आधार पर पद	अभ्यर्थी का	
			पर नियुक्ति के पश्चात	चयन करने के	
			आठ वर्ष सेवा की हो;	लिए, यथास्थिति,	
			और	जाँच समिति या	
			(ख) जिनके पास	चयन समिति के	
			निम्नलिखित शैक्षणिक	सदस्यों के रूप	
			अहर्ताएं हों, अर्थात्: -	में कार्य करेंगे।	
			किसी मान्यता प्राप्त		
			विश्वविद्यालय या संस्थान		
			से स्नातक की डिग्री।		
			टिप्पण १ प्रतिनियुक्ति		
			की अवधि (अल्पकालिक		
			संविदा सहित), जिसके		
			अंतर्गत उसी या किसी		
			अन्य संगठन या विभाग में		
			इस नियुक्ति से ठीक		
l			1 2 3 11 01 1		

पहले धारित किसी अन्य काडर- <i>बाह्य</i> (अल्पकालिक संविदा सहित) पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से
अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. प्रस्तुतीकर्ता	5* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
अधिकारी।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-14		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(144200-		
	है।		218200 रुपये)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति	खोज-सह-चयन	लागू नहीं होता।
		होता।	(अल्पकालिक	(अल्पकालिक संविदा	समिति	
			संविदा सहित)।	सहित):	(प्रतिनियुक्ति के	
				केंद्रीय सरकार या राज्य	संबंध में): -	
				सरकारों या संघ राज्य	१. अध्यक्ष,	
				क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त	राष्ट्रीय मानव	
				निकायों या क़ानूनी	अधिकार	
				संगठनों या पब्लिक	आयोग- अध्यक्ष;	
				सेक्टर के उपक्रमों या		
				मान्यता प्राप्त	2. सदस्य,	
				विश्वविद्यालयों या मान्यता	राष्ट्रीय मानव	
				प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं	अधिकार	
				के जिला न्यायाधीश या	आयोग –	
				सत्र न्यायाधीश या अपर	सदस्य;	
				जिला न्यायाधीश या		
				विशेष न्यायाधीश के पद	3. महासचिव,	
				धारण करने वाले न्यायिक	राष्ट्रीय मानव	
				अधिकारी,	अधिकार	
				(क) जिन्होंने मूल काडर	आयोग –	
				या विभाग में नियमित	सदस्य;	
				आधार पर सदृश पद		
				धारण किए हुए हों; और	4. रजिस्ट्रार	
				(ख) जिनके पास	(विधि), राष्ट्रीय	
				निम्नलिखित शैक्षणिक	मानव अधिकार	

अहर्ताएं हों, अर्थात्:-	आयोग-
,	
किसी मान्यता प्राप्त	सदस्य।
विश्वविद्यालय या संस्थान	
से विधि में स्नातक की	टिप्पण-
डिग्री।	उपर्युक्त समिति
	के सदस्य,
टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति	राष्ट्रीय मानव
की अवधि (अल्पकालिक	अधिकार
संविदा सहित), जिसके	आयोग में
अंतर्गत उसी या किसी	प्रस्तुतीकर्ता
अन्य संगठन या विभाग में	अधिकारी के
इस नियुक्ति से ठीक	पद के लिए
पहले धारित किसी अन्य	अभ्यर्थी का
काडर-बाह्य	चयन करने के
(अल्पकालिक संविदा	लिए, यथास्थिति,
सहित) पद पर	जाँच समिति या
प्रतिनियुक्ति की अवधि है,	चयन समिति के
साधारणतया पांच वर्ष से	सदस्यों के रूप
अधिक नहीं होगी।	में कार्य करेंगे।
टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति	
(अल्पकालिक संविदा	
सहित) द्वारा नियुक्ति के	
लिए अधिकतम आयु-	
सीमा आवेदन प्राप्त करने	
की अंतिम तारीख को 58	
वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. उप	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
महानिरीक्षक।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-13 क		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(131100-		
	है।		216600 रुपये)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति:	खोज-सह-चयन	लागू नहीं होता।
		होता।	द्वारा।	भारतीय पुलिस सेवा या	समिति	
				केंद्रीय सरकार में केन्द्रीय	(प्रतिनियुक्ति के	
				पुलिस संगठन के	संबंध में): -	
				अधिकारी,	1. सदस्य, राष्ट्रीय	
				(क) जिन्होंने मूल काडर	मानव अधिकार	
				या विभाग में नियमित	आयोग – अध्यक्ष;	
				आधार पर सदृश पद		
				धारण किए हुए हों; और	2. महासचिव,	
				(ख) जिनके पास	राष्ट्रीय मानव	
				निम्नलिखित शैक्षणिक	अधिकार आयोग	
				अहर्ताएं हों, अर्थात्:-	– सदस्य;	

किसी मान्यता प्राप्त	
विश्वविद्यालय या मान्यता 🔰 ३. मह	ानिदेशक
प्राप्त संस्थान से स्नातक (अन्वे	प्रण), राष्ट्रीय
की डिग्री। मानव	अधिकार
आयो	१ – सदस्य।
टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति	
की अवधि, जिसके टिप्पप	Т-
	क्त समिति
	स्य, राष्ट्रीय
	अधिकार
	ा में उप
· ·	ारीक्षक के
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पद के	
	र्गी का चयन
अधिक नहीं होगी। करने	के लिए,
	थेति, जाँच
	ते या चयन
<u> </u>	ने के सदस्यों
<u> </u>	प में कार्य
आवेदन प्राप्त करने की करेंगे	
अंतिम तारीख को 56 वर्ष	
से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
७. ज्येष्ठ पुलिस	4* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
अधीक्षक ।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-13		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(123100-		
	है।		215900 रुपये)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति:	खोज-सह-चयन	लागू नहीं होता।
		होता।	द्वारा।	भारतीय पुलिस सेवा या	समिति	
				केंद्रीय सरकार के पुलिस	(प्रतिनियुक्ति के	
				संगठन या राज्य सरकार	संबंध में): -	
				के पुलिस संगठन या संघ	1. महासचिव,	
				राज्य क्षेत्र के पुलिस	राष्ट्रीय मानव	
				संगठन के अधिकारी, -	अधिकार आयोग	
				(क) (i) जिन्होंने मूल	– अध्यक्ष;	
				काडर या विभाग में		
				नियमित आधार पर सदृश	2. महानिदेशक	
				पद धारण किए हुए हों; या	(अन्वेषण), राष्ट्रीय	
				(ii) जिन्होंने मूल काडर या	मानव अधिकार	
				विभाग में वेतन मैट्रिक्स के	आयोग – सदस्य;	
				स्तर-12 (78800-		
				209200 रुपये) या	3. संयुक्त सचिव,	
				समतुल्य में नियमित	राष्ट्रीय मानव	
				आधार पर पद पर	अधिकार आयोग	

नियुक्ति के पश्चात पांच	– सदस्य।
वर्ष की सेवा की हो; और	- (1474)
	
(ख) जिनके पास	टिप्पण-
निम्नलिखित शैक्षणिक	उपर्युक्त समिति
अहर्ताएं हों, अर्थात्:-	के सदस्य राष्ट्रीय
किसी मान्यता प्राप्त	मानव अधिकार
विश्वविद्यालय या मान्यता	आयोग में ज्येष्ठ
प्राप्त संस्थान से स्नातक	पुलिस अधीक्षक
की डिग्री।	के पद के लिए
	अभ्यर्थी का चयन
टिप्पण १ प्रतिनियुक्ति	करने के लिए,
की अवधि, जिसके	यथास्थिति जाँच
अंतर्गत उसी या किसी	समिति या चयन
अन्य संगठन या विभाग में	
इस नियुक्ति से ठीक	के रूप में कार्य
पहले धारित किसी अन्य	करेंगे।
काडर-बाह्य पर	9/(11
प्रतिनियुक्ति की अवधि है,	
साधारणतया पांच वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति	
द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु-सीमा	
आवेदन प्राप्त करने की	
अंतिम तारीख को छप्पन	
वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
८. निदेशक।	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-13		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(123100-		
	है।		215900 रुपये)।		

(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू	नहीं	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
		होता।		जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	
				सकने पर	आयोग में उप सचिव,	के संबंध में	
				प्रतिनियुक्ति	जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के	विचार के लिए)	
				द्वारा (जिसके	स्तर-12 (78800-	जिसमें	
				अंतर्गत	209200 रुपये) श्रेणी में,	निम्नलिखित	
				अल्पकालिक	पांच वर्ष की नियमित	होंगे: -	
				संविदा भी है)।	सेवा की हो।	1. महासचिव,	
						राष्ट्रीय मानव	
				पूर्व सैनिकों के	टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	अधिकार	
				लिए:	व्यक्तियों के संबंध में,	आयोग- अध्यक्ष;	
				प्रतिनियुक्ति या	जिन्होंने अपनी अर्हक या		

पात्रता सेवा पूरी कर ली पुनर्नियोजन। 2. रजिस्टार है, प्रोन्नति के लिए विचार (विधि), राष्ट्रीय किया जा रहा हो, वहां मानव अधिकार उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के आयोग – संबंध में भी विचार किया सदस्य: जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई संयुक्त 3. सचिव, ऐसी अर्हक या पात्रता राष्ट्रीय सेवा, अपेक्षित अर्हक या मानव अधिकार पात्रता सेवा के आधे से आयोग अधिक से या दो वर्ष से. सदस्य। इनमें से जो भी कम हो. कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या क़ानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अधिकारी, (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्क्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव हों, अर्थात:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातक की डिग्री; और (ii) कार्मिक और साधारण प्रशासनिक मामलों में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 .- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य (अल्पकालिक संविदा सहित) पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पूर्व सैनिकों के लिए:

(प्रतिनियुक्ति या
पुनर्नियोजन)
सशस्त्र बलों के कार्मिकों
के संबंध में भी विचार
किया जाएगा जो एक वर्ष
की अवधि के भीतर
सेवानिवृत्त होने वाले हैं या
जिन्हें रिजर्व में
स्थानांतरित किया जाना है
और जिनके पास
प्रतिनियुक्ति के लिए
विहित अहर्ताएं और
अनुभव हैं, उन पर भी
प्रतिनियुक्ति के लिए
विचार किया जाएगा। यदि
उनका चयन किया जाता
है, तो ऐसे अधिकारियों
को सशस्त्र बलों से
निमुर्कत होने की तारीख
तक प्रतिनियुक्ति के
निबंधनों पर रखा जायेगा
और तत्पश्चात उन्हें
पुनर्नियोजन की के
निबंधनों पर जारी रखा जा
सकता है।
न्या है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. संयुक्त	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
रजिस्ट्रार।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-13		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(123100-		
	है।		215900 रुपये)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय	लागू नहीं होता।
		होता।	जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	प्रोन्नति समिति	
			सकने पर	आयोग में उप रजिस्ट्रार,	(प्रोन्नति के	
			प्रतिनियुक्ति	जिन्होंनें वेतन मैट्रिक्स के	संबंध में विचार	
			द्वारा (जिसके	स्तर-12 में (78800-	करने के लिए)	
			अंतर्गत	209200 रुपये) पांच वर्ष	जिसमें	
			अल्पकालिक	की श्रेणी में नियमित सेवा	निम्नलिखित	
			संविदा भी है)।	के साथ।	होंगे: -	
					1. महासचिव,	
				टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	राष्ट्रीय मानव	
				व्यक्तियों के संबंध में,	अधिकार	
				जिन्होंने अपनी अर्हक या	आयोग- अध्यक्ष;	
				पात्रता सेवा पूरी कर ली		
				है, प्रोन्नति के लिए विचार	2. रजिस्ट्रार	

किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से. इनमें से जो भी कम हो. कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है. अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संगठनों के अधिकारी, (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास

निम्नलिखित शैक्षणिक

(विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य:

3. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य। [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17

अहर्ताएं और अनुभव हों, अर्थात:-(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री; तथा (ii) किसी न्यायालय या अधिकरण या कानूनी आयोग और ऐसे अन्य निकायों में न्यायालयीक मामलों में पांच वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1 .- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण २.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य (अल्पकालिक संविदा सहित) पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण ३.- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
१०. उप रजिस्ट्रार।	3*(2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
	*कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-12		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(78800-		
	है।		२०९२०० रुपये)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
		होता।	जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	C ()
			सकने पर	आयोग में सहायक	के संबंध में	
			प्रतिनियुक्ति	रजिस्ट्रार, जिन्होंने वेतन	विचार करने के	
			द्वारा (जिसके	मैट्रिक्स में स्तर 11 में	लिए) जिसमें	
			अंतर्गत	(67700-208700 रुपये)	निम्नलिखित	
			अल्पकालिक	में पांच वर्ष की नियमित	होंगें:-	
			संविदा भी है)।	सेवा की हो।	1. महासचिव,	
					राष्ट्रीय मानव	
				टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	अधिकार	
				व्यक्तियों के संबंध में,	आयोग- अध्यक्ष;	
				जिन्होंने अपनी अर्हक या	3 1 	
				पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार	2. रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय	
				ह, ब्राजात के लिए विवास किया जा रहा हो, वहां	(1414), राष्ट्राप मानव अधिकार	
				उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के	आयोग-सदस्य;	
				संबंध में भी विचार किया	आयाग-राष्ट्रप,	
				जाएगा परंतु यह तब जब	3. संयुक्त	
				कि उसके द्वारा की गई	सचिव, राष्ट्रीय	
				ऐसी अर्हक या पात्रता	मानव अधिकार	
				सेवा, अपेक्षित अर्हक या	आयोग –	
				पात्रता सेवा के आधे से	सदस्य।	
				अधिक से या दो वर्ष से,		
				इनमें से जो भी कम हो,		
				कम न हो और उन्होंने		
				अपने ऐसे कनिष्ठ		
				व्यक्तियों सहित, जिन्होंने		
				ऐसी अर्हक या पात्रता		
				सेवा पहले ही पूरी कर ली		
				है, अगली उच्चतर श्रेणी में		
				प्रोन्नति के लिए अपनी		
				परिवीक्षा की अवधि		
				सफलतापर्वक पूरी कर		
				ली हो।		
				प्रतिनियुक्ति		
				प्रातानयुक्ति (अल्पकालिक संविदा		
				सहित): केंद्रीय सरकार		
				या राज्य सरकारों या संघ		
				राज्य क्षेत्र प्रशासनों या		
				11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

स्वायत्त निकायों या
कानूनी संगठनों या
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों
या मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालयों या मान्यता
प्राप्त संस्थाओं के
अधिकारी,
(क) (i) जिन्होंने मूल
कांडर या विभाग में
नियमित आधार पर सदृश
पद धारण किए हुए हों; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या
विभाग में वेतन मैट्रिक्स
के स्तर-11 में (67700-
208700 रुपये) या
समतुल्य में नियमित
आधार पर पद
नियुक्ति के पश्चात पांच
वर्ष की सेवा की हो; और
(ख) जिनके पास
निम्नलिखित शैक्षणिक
अहर्ताएं और अनुभव हों,
अर्थातः -
(i) किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय या मान्यता
प्राप्त संस्थाओं से विधि में
स्नातक की डिग्री ; तथा
(ii) किसी न्यायालय या
अधिकरण या कानूनी
आयोग और ऐसे अन्य
निकायों में न्यायालयीक
मामलों में पांच वर्ष का
अनुभव ।
टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग
के ऐसे विभागीय
अधिकारी, जो प्रोन्नति की
सीधी पंक्ति में है,
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति
लिए विचार किए जाने के
पात्र नहीं होंगे। इसी
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के
लिए विचार किए जाने के
पात्र नहीं होंगे।
''' 'V' 'V' '
टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति

की अवधि (अल्पकालिक
संविदा सहित), जिसके
अंतर्गत उसी या किसी
अन्य संगठन या विभाग में
इस नियुक्ति से ठीक
पहले धारित किसी अन्य
काडर- <i>बाह्य</i>
(अल्पकालिक संविदा
सहित) पद पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि
शामिल होगी,
साधारणतया पांच वर्ष से
अधिक नहीं होगी।
टिप्पण ३ प्रतिनियुक्ति
(अल्पकालिक संविदा
सहित) द्वारा नियुक्ति के
लिए अधिकतम आयु-
सीमा आवेदन प्राप्त करने
की अंतिम तारीख को
छप्पन वर्ष से अधिक नहीं
होगी।
61.111

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. संयुक्त	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स	चयन।	लागू नहीं होता।
निदेशक	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	में स्तर-12		
(अनुसंधान) ।	परिवर्तन किया जा सकता है।	के समतुल्य।	(78800-		
			209200		
			रुपये)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय	लागू नहीं होता।
		होता।	जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	प्रोन्नति समिति	
			सकने पर	आयोग में ज्येष्ठ अनुसंधान	(प्रोन्नति के	
			प्रतिनियुक्ति	अधिकारी, जिन्होंने वेतन	संबंध में विचार	
			द्वारा (जिसके	मैट्रिक्स में स्तर-11	करने के लिए)	
			अंतर्गत	(67700-208700 रुपये)	जिसमें	
			अल्पकालिक	पर, श्रेणी में पांच वर्ष की	निम्नलिखित	
			संविदा भी है)।	नियमित सेवा की हो।	होंगे:-	
				टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	1. महासचिव,	
				व्यक्तियों के संबंध में,	राष्ट्रीय मानव	
				जिन्होंने अपनी अर्हक या	अधिकार	
				पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	आयोग-	
				प्रोन्नति के लिए विचार	अध्यक्ष;	
				किया जा रहा हो, वहां		
				उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के	2. रजिस्ट्रार	

संबंध में भी विचार किया (विधि), राष्ट्रीय जाएगा परंत् यह तब जब मानव कि उसके द्वारा की गई अधिकार ऐसी अर्हक या पात्रता आयोग – सेवा, अपेक्षित अर्हक या सदस्य: पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से. संयुक्त 3. इनमें से जो भी कम हो, सचिव, राष्ट्रीय कम न हो और उन्होंने मानव अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों अधिकार सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक आयोग या पात्रता सेवा पहले ही सदस्य। पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी, (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हए हों या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्क्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव हों, अर्थात:-(i) किसी मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि या सामाजिक विज्ञान (राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या अर्थशास्त्र या मानव अधिकार या मनोविज्ञान या जनसंख्या अध्ययन या अपराध विज्ञान) या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री; तथा

(ii) सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकी में पांच वर्ष का अनुसंधान अनुभव।

टिप्पण 1 .- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य (अल्पकालिक संविदा सहित) पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 23

	की अंतिम तारीख को	
	छप्पन वर्ष से अधिक नहीं	
	होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. ज्येष्ठ प्रधान	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
निजी सचिव।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क'	स्तर-12		
	परिवर्तन के अधीन।	पद के समतुल्य।	(रु.78800-		
			209200) I		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता।	(9) लागू नहीं होता।	(10) प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।	प्रोन्नतिः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में प्रधान निजी सचिव, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर 11 में (67700-208700 रुपये) में, श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(12) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य; 3. निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;	(13) लागू नहीं होता।
				प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा		

सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी.-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्क्स स्तर 11 में (67700-208700 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ता रखते हों, अर्थातु:-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति द्वारा आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी

अन्य संगठन या विभाग में
इस नियुक्ति से ठीक
पहले धारित किसी अन्य
कांडर-बाह्य पद पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि
(अल्पकालिक संविदा
सहित) भी है,
साधारणतया चार वर्ष से
अधिक नहीं होगी।
וויוס וסוי יוטווו
टिप्पण ३ प्रतिनियुक्ति
1
(अल्पकालिक संविदा
सहित) द्वारा नियुक्ति के
लिए अधिकतम आयु-
सीमा आवेदन प्राप्त करने
की अंतिम तारीख को 56
वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. उप सचिव।	1* (2025)	भारत सरकार में	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
	* कार्यभार के आधार पर	समूह 'क' पद के	स्तर-12		
	परिवर्तन किया जा सकता	समतुल्य।	(ই.78800-		
	है।		209200) I		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
		होता।	जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	
			सकने पर	आयोग के अवर सचिव,	के संबंध में	
			प्रतिनियुक्ति	जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स	विचार करने के	
			द्वारा	स्तर 11 में (67700-	लिए) जिसमें	
			(अल्पकालिक	208700 रुपये) में, श्रेणी	निम्नलिखित	
			संविदा सहित)।	में पांच वर्ष की नियमित	होंगे:	
				सेवा कि हो।	1. महासचिव,	
					राष्ट्रीय मानव	
				टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	अधिकार	
				व्यक्तियों के संबंध में,	आयोग- अध्यक्ष;	
				जिन्होंने अपनी अर्हक या	_	
				पात्रता सेवा पूरी कर ली	2. रजिस्ट्रार	
				है, प्रोन्नति के लिए विचार	(विधि), राष्ट्रीय	
				किया जा रहा है वहां	मानव अधिकार	
				उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	आयोग –	
				बारे में भी विचार किया	सदस्य;	
				जाएगा, परन्तु यह तब	_	
				जब कि उसके द्वारा की	3. संयुक्त	
				गई ऐसी अर्हक या पात्रता	सचिव, राष्ट्रीय	
				सेवा, अपेक्षित अर्हक या	मानव अधिकार	
				पात्रता सेवा के आधे से	आयोग –	

अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी,-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्क्स स्तर 11 में (67700-208700 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताए और अनुभव रखते हों, अर्थात्: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातक की डिग्री; और (ii) कार्मिक और साधारण प्रशासनिक मामलों में पांच वर्ष का अनुभव।

सदस्य।

टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग
के विभागीय अधिकारी
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति
में हैं, प्रतिनियुक्ति पर
नियुक्ति के लिए विचार
किए जाने के पात्र नहीं
होंगे। इसी प्रकार,
प्रतिनियुक्ति पर आए
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा
नियुक्ति के लिए विचार
किए जाने के पात्र नहीं
होंगे।
QITI
टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति
की अवधि (अल्पकालिक
संविदा सहित) जिसके
अंतर्गत उसी या किसी
अन्य संगठन या विभाग में
इस नियुक्ति से ठीक
पहले धारित किसी अन्य
काडर-बाह्य पद पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि
(अल्पकालिक संविदा
सहित) भी है,
साधारणतया चार वर्ष से
अधिक नहीं होगी।
टिप्पण ३ प्रतिनियुक्ति
(अल्पकालिक संविदा
सहित) द्वारा नियुक्ति के
लिए अधिकतम आयु-
सीमा आवेदन प्राप्त करने
की अंतिम तारीख को 56
वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. सहायक	10*(2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
रजिस्ट्रार।	*कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-11		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(रु.67700-		
	है।		208700) l		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत	(i) पचास	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
		व्यक्तियों के	प्रतिशत प्रोन्नति	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	
		लिए दो	द्वारा (सीमित	आयोग में अनुभाग	के संबंध में	
		वर्ष।	विभागीय	अधिकारी, जिन्होंने वेतन	विचार करने के	
			प्रतियोगी परीक्षा	मैट्रिक्स स्तर-8 में	लिए) जिसमें	
			के माध्यम से),	(47600-151100 रुपये)	निम्नलिखित	

जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)। श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि स्नातक की डिग्री हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में. जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा परी कर ली है. प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से. इनमें से जो भी कम हो. कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही परी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी,- होंगे:-

- 1. महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष:
- 2. रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;
- 3. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।

विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

- 1. रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष;
- 2. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य;
- 3. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य।

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 में (47600-151100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की हो: और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण २.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधारणतया चार वर्ष से

	अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने	
	की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. अवर सचिव।	3* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-11		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(ই.67700-		
	है।		208700)		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
			जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	
			सकने पर	आयोग में अनुभाग	के संबंध में	
			प्रतिनियुक्ति	अधिकारी, जिन्होंने वेतन	विचार करने के	
			द्वारा।	मैट्रिक्स स्तर-8 में	लिए) जिसमें	
				(47600-151100 रुपये)	निम्नलिखित	
				में, श्रेणी में आठ वर्ष की	होंगे:-1.	
				नियमित सेवा की हो।	महासचिव,	
					राष्ट्रीय मानव	
				टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	अधिकार	
				व्यक्तियों के संबंध में,	आयोग -	
				जिन्होंने अपनी अर्हक या	अध्यक्ष;	
				पात्रता सेवा पूरी कर ली		
				है, प्रोन्नति के लिए विचार	2. संयुक्त	
				किया जा रहा है वहां	सचिव, राष्ट्रीय	
				उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	मानव अधिकार	
				बारे में भी विचार किया	आयोग -	
				जाएगा परन्तु यह तब जब	सदस्य;	
				कि उसके द्वारा की गई		
				ऐसी अर्हक या पात्रता	3. निदेशक,	
				सेवा, अपेक्षित अर्हक या	राष्ट्रीय मानव	
				पात्रता सेवा के आधे से	अधिकार	
				अधिक या दो वर्ष से,	आयोग -	
				इनमें से जो भी कम हो,	सदस्य।	
				कम न हो और उन्होंने		
				अपने ऐसे कनिष्ठ	विभागीय	
				व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने	पुष्टिकरण	
				ऐसी अर्हक या पात्रता	समिति	
				सेवा पहले ही पूरी कर ली	(पुष्टिकरण के	

है, अगली उच्चतर श्रेणी में संबंध में विचार प्रोन्नति के लिए अपनी करने के लिए) जिसमें परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर निम्नलिखित होंगे: -ली हो। 1. महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय सरकार या राज्य आयोग -सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र अध्यक्ष: प्रशासनों के अधिकारी,-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर 2. संयुक्त या विभाग में नियमित सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आधार पर सदृश पद धारण आयोग -किए हए: सदस्य: या निदेशक, 3. राष्ट्रीय (ii) जिन्होंने मूल काडर या मानव विभाग में वेतन मैटिक्स अधिकार स्तर-8 में (47600-आयोग १५११ वर्षे १५५१ या सदस्य। समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं रखते हों, अर्थात्:-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति द्वारा आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण २.- प्रतिनियुक्ति

की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. ज्येष्ठ	2*(2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
अनुसंधान	*कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-11		
अधिकारी।	परिवर्तन किया जा सकता।	के समतुल्य।	(रु.67700-		
			208700) I		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं
		होता।	जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	होता।
			सकने पर	आयोग में अनुसंधान	पर विचार करने	
			प्रतिनियुक्ति	अधिकारी, जिन्होंने वेतन	के लिए) जिसमें	
			द्वारा	मैट्रिक्स में स्तर-10	निम्नलिखित	
			(अल्पकालिक	(56100-177500 रुपये) में	होंगे:-	
			संविदा सहित)।	श्रेणी में पांच वर्ष की	1. महासचिव,	
				नियमित सेवा की हो।	राष्ट्रीय मानव	
					अधिकार	
				टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	आयोग-	
				व्यक्तियों के संबंध में,	अध्यक्ष;	
				जिन्होंने अपनी अर्हक या		
				पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	2. संयुक्त	
				प्रोन्नति के लिए विचार किया	सचिव, राष्ट्रीय	
				जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ	मानव अधिकार	
				व्यक्तियों के बारे में भी	आयोग-सदस्य;	
				विचार किया जाएगा परन्तु		
				यह तब जब कि उसके द्वारा	3. संयुक्त	
				की गई ऐसी अर्हक या	निदेशक	
				पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक	(अनुसंधान),	
				या पात्रता सेवा के आधे से	राष्ट्रीय मानव	
				अधिक या दो वर्ष से, इनमें	अधिकार	
				से जो भी कम हो, कम न हो	आयोग-सदस्य।	

और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानुनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी,-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 में (56100-177500 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:-(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से सामाजिक विज्ञान (राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या अर्थशास्त्र या मानव अधिकार या मनोविज्ञान या जनसंख्या अध्ययन या अपराध विज्ञान) या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री; और

		(ii) सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकी में तीन वर्ष का अनुसंधान अनुभव।	
		टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो	
		प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के	
		पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति द्वारा आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति	
		के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की	
		अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से	
		ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि	
		(अल्पकालिक अनुबंध सहित) भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं	
		होगी। टिप्पण ३ प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा	
		सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन	
		वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. प्रधान निजी	7* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
सचिव।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-11		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(रु.67700-		
	है।		208700) I		

	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू न	हीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
				जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	
				सकने पर	आयोग में निजी सचिव,	के संबंध में	
				प्रतिनियुक्ति	जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स	विचार करने के	
				द्वारा	स्तर-8 में (47600-	लिए) जिसमें	

(अल्पकालिक संविदा सहित)। 151100 रुपये) में, श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है. प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता. अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानुनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी,-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या

- निम्नलिखित होंगे:-1. महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -अध्यक्ष:
- 2. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -सदस्य;
- 3. निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -सदस्य।

विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष;
- 2. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य;
- 3. निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य।

विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 में (47600-151100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं रखते हों, अर्थात्:-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त, संस्थानों से स्नातक की डिग्री।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग

के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण २.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण ३.- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. ज्येष्ठ तंत्र	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
विश्लेषक।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क'	स्तर-11		
	परिवर्तन किया जा सकता	पद के समतुल्य।	(रु.67700-		
	है।		208700)1		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
		होता।	जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	
			सकने पर	आयोग में सिस्टम	पर विचार करने	
			प्रतिनियुक्ति	विश्लेषक, जिन्होंने वेतन	के लिए) जिसमें	
			द्वारा	मैट्रिक्स में स्तर-10	निम्नलिखित	
			(अल्पकालिक संविदा सहित)।	(56100-177500 रुपये) में पांच वर्ष की नियमित	शामिल होंगे:-	
				सेवा की हो।	1. महासचिव,	
					राष्ट्रीय मानव	
				टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	अधिकार	
				व्यक्तियों के संबंध में,	आयोग –	
				जिन्होंने अपनी अर्हक या	अध्यक्ष;	
				पात्रता सेवा पूरी कर ली		
				है, प्रोन्नति के लिए विचार	2. संयुक्त	
				किया जा रहा है वहां	सचिव राष्ट्रीय	
				उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	मानव अधिकार	
				बारे में भी विचार किया	आयोग –	
				जाएगा परन्तु यह तब जब	सदस्य;	
				कि उसके द्वारा की गई		
				ऐसी अर्हक या पात्रता	3. संयुक्त	
				सेवा, अपेक्षित अर्हक या	रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय	
				पात्रता सेवा के आधे से	मानव अधिकार	
				अधिक या दो वर्ष से,	आयोग –	
				इनमें से जो भी कम हो,	सदस्य।	
				कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ		
				व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने		
				ऐसी अर्हक या पात्रता		
				सेवा पहले ही पूरी कर ली		
				है, अगली उच्चतर श्रेणी में		
				प्रोन्नति के लिए अपनी		
				परिवीक्षा अवधि		
				सफलतापूर्वक पूरी कर		
				ली हो।		
				प्रतिनियुक्ति		
				(अल्पकालिक संविदा		
				सहित): केन्द्रीय सरकार		
				या राज्य सरकारों या संघ		

राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी,-(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और (ख) जो निम्नलिखित अहर्ताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्: -

- (i) आवश्यक:
- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से सांख्यिकी या गणित या परिचालन अनुसंधान या भौतिकी या अर्थशास्त्र या वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर डिग्री; या
- (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से सांख्यिकी या गणित या परिचालन अनुसंधान या भौतिकी या अर्थशास्त्र या वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में डॉक्टरेट; या
- (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और (घ) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण कार्य का सात वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर वास्तविक

प्रोग्रामिंग में होगा। (ii) वांछनीय: (क) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सिस्टम डिजाइन या विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण: और (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण २.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सम्मिलित है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण ३.- प्रतिनियुक्ति नियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की

	अंतिम तारीख को 56 वर्ष	
	से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. सूचना एवं	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
जनसंपर्क	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-11		
अधिकारी।	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(ই.67700-		
	है।		208700)1		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता।	(9) लागू नहीं होता।	(10) प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।	(त1) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, के अधिकारी- (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों, अर्थातः - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जनसंपर्क या पत्रकारिता या जनसंचार में मास्टर डिग्री या डिप्लोमा; तथा (iii) जनसम्पर्क या प्रचार, मुद्रण और प्रकाशन में पर्यवेक्षी क्षमता में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना।	(12) खोज-सह-चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के संबंध में): - 1. महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य; 3. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य। टिप्पण:- उपर्युक्त समिति के सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य। टिप्पण:- उपर्युक्त समिति के सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मं सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के लिए यथास्तिथि जाँच समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।	(13) लागू नहीं होता।

टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।.
टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. पुलिस उप	11* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
अधीक्षक।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-10		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(रु.56100-		
	है।		177500) I		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति:	खोज-सह-चयन	लागू नहीं होता।
		होता।	द्वारा।	केंद्रीय सरकार पुलिस	समिति	
				संगठन या राज्य सरकार	(प्रतिनियुक्ति के	
				पुलिस संगठन या संघ	संबंध में): -	
				राज्य क्षेत्र पुलिस संगठन	1. संयुक्त सचिव,	
				के अधिकारी,-	राष्ट्रीय मानव	
				(क) (i) जिन्होंने मूल	अधिकार आयोग-	
				काडर या विभाग में	अध्यक्ष;	
				नियमित आधार पर सदृश		
				पद धारण किए हुए हों; या	2. उप	
				(ii) जिन्होंने मूल काडर या	महानिरीक्षक,	
				विभाग में वेतन मैट्रिक्स	राष्ट्रीय मानव	
				स्तर-7 में (44900-	अधिकार आयोग-	
				142400 रुपये) में या	सदस्य;	
				समतुल्य में नियमित		
				आधार पर पद (निरीक्षक	3. ज्येष्ठ पुलिस	
				के रूप में) पर नियुक्ति	अधीक्षक, राष्ट्रीय	

	के पश्चात पांच वर्ष की	मानव अधिकार
	सेवा की हो; और	आयोग
	(ख) जो निम्नलिखित	-सदस्य।
	शैक्षणिक अहर्ताएं और	
	अनुभव रखते हों, अर्थात्:	टिप्पण:-
	- (i) किसी मान्यता प्राप्त	उपर्युक्त समिति
	विश्वविद्यालय या मान्यता	के सदस्य राष्ट्रीय
	प्राप्त संस्थान से स्नातक	मानव अधिकार
	की डिग्री; (ii) जांच में	आयोग में पुलिस
	अनुभव।	उप अधीक्षक के
		पद के लिए
	टिप्पण १ प्रतिनियुक्ति	अभ्यर्थी का चयन
	की अवधि, जिसके	करने के लिए
	अंतर्गत उसी या किसी	जाँच समिति या
	अन्य संगठन या विभाग में	चयन समिति के
	इस नियुक्ति से ठीक	सदस्यों के रूप में
	पहले धारित किसी अन्य	कार्य करेंगे।
	कांडर-बाह्य पद पर	
	प्रतिनियुक्ति की अवधि	
	भी है, साधारणतया तीन	
	वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति	
	द्वारा नियुक्ति के लिए	
	अधिकतम आयु-सीमा	
	आवेदन प्राप्त करने की	
	अंतिम तारीख को छप्पन	
	वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. ज्येष्ठ लेखा	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
अधिकारी।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-10		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(ই.56100-		
	है।		177500)		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति: राष्ट्रीय मानव	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
		व्यक्तियों के	जिसके न हो	अधिकार आयोग में	समिति (प्रोन्नति	
		लिए दो वर्ष।	सकने पर	सहायक लेखा अधिकारी	के संबंध में	
			प्रतिनियुक्ति	जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स	विचार करने के	
			द्वारा।	स्तर-8 (47600-	लिए) जिसमें	
				१५११०० रुपये) में चार	निम्नलिखित	
				वर्ष की नियमित सेवा की	होंगे:	
				हो।		
					1. महासचिव,	
				टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	राष्ट्रीय मानव	
				व्यक्तियों के संबंध में,	अधिकार	

जिन्होंने अपनी अर्हक या आयोग- अध्यक्ष: पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार 2. संयुक्त किया जा रहा है वहां सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया आयोग- सदस्य: जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई 3. निदेशक, ऐसी अर्हक या पात्रता राष्ट्रीय मानव सेवा. अपेक्षित अर्हक या अधिकार पात्रता सेवा के आधे से आयोग-अधिक या दो वर्ष से. सदस्य। इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी,-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्क्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात चार वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता

प्राप्त संस्थानों से स्नातक की डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार के संगठित लेखा विभागों द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण; (iii) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान में रोकड़ एवं लेखा कार्य में प्रशिक्षण या समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

सफलतापूर्वक पूरा किया हो या किसी विभाग या संगठन के लेखा प्रभाग में वित्त या बजट संबंधी कार्य में न्यूनतम पांच वर्ष

का अनुभव हो।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति द्वारा आये व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा

		आवेदन प्राप्त करने की	
		अंतिम तारीख को छप्पन	
		वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. तंत्र	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
विश्लेषक।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-10		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(56100-		
	है।		177500 रु.)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
		व्यक्तियों के	जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	C
		लिए दो	सकने पर	्र आयोग में कार्यक्रमक,	के संबंध में	
		वर्ष।	प्रतिनियुक्ति	जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में	विचार करने के	
			द्वारा (जिसके	स्तर-7 (44900-142400	लिए) जिसमें	
			अंतर्गत	रुपये) श्रेणी में पांच वर्ष	निम्नलिखित	
			अल्पकालिक	की नियमित सेवा की हो।	होंगे:-	
			संविदा शामिल		1. महासचिव,	
			है)।	टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	राष्ट्रीय मानव	
				व्यक्तियों के संबंध में,	अधिकार	
				जिन्होंने अपनी अर्हक या	आयोग –	
				पात्रता सेवा पूरी कर ली	अध्यक्ष;	
				है, प्रोन्नति के लिए विचार		
				किया जा रहा है वहां	2. संयुक्त	
				उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	सचिव, राष्ट्रीय	
				बारे में भी विचार किया	मानव अधिकार	
				जाएगा परन्तु यह तब जब	आयोग –	
				कि उसके द्वारा की गई	सदस्य;	
				ऐसी अर्हक या पात्रता		
				सेवा अपेक्षित अर्हक या	3. निदेशक,	
				पात्रता सेवा के आधे से	राष्ट्रीय मानव	
				अधिक या दो वर्ष से,	अधिकार	
				इनमें से जो भी कम हो,	आयोग –	
				कम न हो और उन्होंने	सदस्य।	
				अपने ऐसे कनिष्ठ		
				व्यक्तियों के साथ,	विभागीय	
				उच्चतर जिन्होंने ऐसी	पुष्टिकरण	
				अर्हक या पात्रता सेवा	समिति	
				पहले ही पूरी कर ली है,	(पुष्टिकरण के	
				अगली उच्चतर श्रेणी में	संबंध में विचार	
				प्रोन्नति के लिए अपनी	करने के लिए)	
				परिवीक्षा अवधि	जिसमें	
				सफलतापूर्वक पूरी कर	निम्नलिखित	
				ली हो।	होंगे: -	
					1. संयुक्त	
				प्रतिनियुक्ति	सचिव, राष्ट्रीय	

(अल्पकालिक संविदा सहित) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त संगठनों विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी,-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैटिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये) या समतुल्य पर नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात:

-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर ऑफ साइंस (कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी) में मास्टर डिग्री: या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर इंजिनियरी या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री।

मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष;

- 2. निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य:
- 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य।

		(iii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण कार्य का पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए।	
		टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति द्वारा आये व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं	
		होंगे। टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सिहत) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
		अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23. सहायक	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सूच	ाना अधिकारी।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-10
		परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(₹.56100-
		है।		177500) l

(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता।	(9) लागू न होता।	हीं	(10) प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।	(11) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी,- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 में (47600- 151100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात चार	(12) खोज-सह-चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के संबंध में): - 1. महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य; 3. निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य। टिप्पण - उपर्युक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव	(13) लागू नहीं होता।
					नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 में (47600- 151100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात चार वर्ष की सेवा की हो; और	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य। टिप्पण - उपर्युक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सहायक सूचना	
					शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; तथा (ii) जनसम्पर्क या प्रचार, मुद्रण और प्रकाशन में पर्यवेक्षी क्षमता में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना।	अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए यथास्तिथि जाँच समिति या चयन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।	

	टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधारणतया तीन वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24. अनुसंधान	2*(2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स	चयन।	पैंतीस वर्ष से अनधिक आयु।
अधिकारी।	*कार्यभार के आधार	के समूह 'क' पद	में स्तर-10		
	पर परिवर्तन किया जा	के समतुल्य।	(रु.56100-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों
	सकता है।		177500) l		या आदेशों के अनुसार सरकारी
					सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल
					की जा सकती है)।
					 टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने
					के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों
					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत
					की गई अंतिम तारीख होगी, न कि
					वह अंतिम तारीख जो असम,
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,
					मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,
					हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति
					जिले और चंबा जिले के पांगी उप-
					मंडल तथा लद्दाख, अंडमान और
					निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप
					संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(ক)	लागू नहीं	सीधे भर्ती		प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं
आवश्यक:	होता।	किए जाने	प्रतिशत सीधी	राष्ट्रीय मानव अधिकार	(प्रोन्नति के संबंध में	होता।
किसी मान्यता		वाले	भर्ती द्वारा,	आयोग में ज्येष्ठ अनुसंधान	विचार करने के लिए)	
प्राप्त		व्यक्तियों	जिसके न हो	सहायक, जिन्होंने वेतन	जिसमें निम्नलिखित होंगे	
विश्वविद्यालय		तथा प्रोन्नत		मैट्रिक्स में स्तर-7	:-	
या संस्थान से		व्यक्तियों के	प्रतिनियुक्ति	(44900-142400 रुपये)	1. महासचिव, राष्ट्रीय	
सामाजिक		लिए दो वर्ष	द्वारा (जिसके	में श्रेणी में पांच वर्ष की	मानव अधिकार आयोग-	
विज्ञान में			अंतर्गत	नियमित सेवा की हो।	अध्यक्ष;	
मास्टर डिग्री ।			अल्पकालिक			
			संविदा भी	टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	_ ^	
(ख) वांछनीय:			है)।	व्यक्तियों के संबंध में,	मानव अधिकार आयोग-	
(i) किसी			(ii) पचास	जिन्होंने अपनी अर्हक या	सदस्य;	
मान्यता प्राप्त			प्रतिशत	पात्रता सेवा पूरी कर ली	. 65	
विश्वविद्यालय			प्रोन्नति द्वारा,	है, प्रोन्नति के लिए विचार	3. संयुक्त निदेशक	
या मान्यता			जिसके न हो	किया जा रहा है वहां	(अनुसंधान), राष्ट्रीय	
प्राप्त संस्थान			सकने पर	उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	मानव अधिकार आयोग	
से विधि में			प्रतिनियुक्ति	संबंध में भी विचार किया	-सदस्य।	
स्नातक की			द्वारा (जिसके	जाएगा परन्तु यह तब जब	C 0 C	
डिग्री ; तथा			अंतर्गत	कि उसके द्वारा की गई	विभागीय पुष्टिकरण	
			अल्पकालिक	ऐसी अर्हक या पात्रता	समिति (पुष्टिकरण) के	
(ii) किसी भी			संविदा भी	सेवा अपेक्षित अर्हक या	संबंध में विचार करने के	
सामाजिक			है)।	पात्रता सेवा के आधे से	लिए) जिसमें निम्नलिखित	
विज्ञान में तीन वर्ष का				अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो,	होंगे :-	
				कम न हो, और उन्होंने	1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय	
अनुसंधान				अपने ऐसे उच्चतर में	ा. संयुक्त सायव, राष्ट्राय मानव अधिकार आयोग-	
अनुभव।				किनिष्ठ व्यक्तियों के साथ,	मानव आयकार आयाग- अध्यक्ष;	
				जिन्होंने ऐसी अर्हक या	ખબવા,	
				पात्रता सेवा पहले ही पूरी	2. संयुक्त निदेशक	
				कर ली है, अगली उच्चतर	_	
				श्रेणी में प्रोन्नति के लिए		
				अपनी परिवीक्षा अवधि		
				सफलतापूर्वक पूरी कर		
				ली हो।	3. ज्येष्ठ अनुसंधान	
				,	अधिकारी, राष्ट्रीय मानव	
				प्रतिनियुक्ति	अधिकार आयोग-	
				(अल्पकालिक संविदा	सदस्य।	
				सहित):		
				केंद्रीय सरकार या राज्य		
				सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र		
				प्रशासनों या स्वायत्त		
				निकायों या कानूनी		
				संगठनों या पब्लिक		
				सेक्टर उपक्रमों या		
				मान्यता प्राप्त		
				विश्वविद्यालय या मान्यता		

प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी,-(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और (ख) जिनके पास स्तंभ (७) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अहर्ताएं और अनुभव हों। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं इसी होंगे। प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण २.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संविदा-बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण ३.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स	चयन।	लागू नहीं होता।
पुस्तकालयाध्यक्ष-	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	में स्तर-10		
सह-प्रलेखन	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(56100-		
अधिकारी ।	है।		177500 रु.)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं		प्रोन्नत	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	
होता।		व्यक्तियों के	जिसके न हो			٠,
		लिए दो वर्ष।	सकने पर	_ ~		
			प्रतिनियुक्ति	अधिकारी, जिन्होंने वेतन		
			द्वारा (जिसके	_		
			अंतर्गत	(35400-112400 रु.) में	-	
			अल्पकालिक		1. महासचिव, राष्ट्रीय	
			संविदा भी है)।		मानव अधिकार	
					आयोग-अध्यक्ष;	
				टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ		
				व्यक्तियों के संबंध में,	2. संयुक्त सचिव,	
				जिन्होंने अपनी अर्हक या	_	
				पात्रता सेवा पूरी कर ली		
				है, प्रोन्नति के लिए विचार		
				किया जा रहा है वहां	3. निदेशक, राष्ट्रीय	
				उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	मानव अधिकार आयोग	
				बारे में भी विचार किया	– सदस्य।	
				जाएगा परन्तु यह तब जब		
				कि उसके द्वारा की गई	_	
				ऐसी अर्हक या पात्रता		
				सेवा, अपेक्षित अर्हक या		
				पात्रता सेवा के आधे से	"	
				अधिक या दो वर्ष से,	निम्नलिखित होंगे:-	
				इनमें से जो भी कम हो,	_	
				कम् न हो, और उन्होंने	_	
				अपने ऐसे कनिष्ठ	^	
				व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने	आयोग – अध्यक्ष;	
				ऐसी अर्हक या पात्रता		
				सेवा पहले ही पूरी कर ली		
				है, अगली उच्चतर श्रेणी में		
				प्रोन्नति के लिए अपनी	– सदस्य;	
				परिवीक्षा अवधि		
				सफलतापूर्वक पूरी कर		
				ली हो।	मानव अधिकार	
				1100 110 110 110 110 110 110 110 110 11	आयोग-सदस्य।	
				प्रतिनियुक्ति गंतिस		
				(अल्पकालिक संविदा		
				सहित):		
				केंद्रीय सरकार या राज्य		

सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र
प्रशासनों या स्वायत्त
निकायों या कानूनी
संगठनों या पब्लिक
सेक्टर उपक्रमों या
मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय या मान्यता
प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं
के अधिकारी,-
(क) (i) जिन्होंने मूल
काडर या विभाग में
नियमित आधार पर सदृश
पद धारण किए हुए हों; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या
विभाग में वेतन मैट्रिक्स
स्तर-८ में (47600-
151100 रुपये) या
समतुल्य में नियमित
आधार पर पद
(पुस्तकालय सेवा के रूप
में) पर नियुक्ति के पश्चात
चार वर्ष की सेवा की हो;
और
(ख) जो निम्नलिखित
शैक्षणिक अहर्ताएं और
अनुभव रखते हों, अर्थात्:
आवश्यक:
(i) किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय या मान्यता
पुस्तकालय विज्ञान में
स्नातक की डिग्री; और
(ii) किसी पुस्तकालय में
दस्तावेजीकरण और
ग्रंथसूची संबंधी कार्य
सहित दो वर्ष का वृत्तिक
अनुभव; या
(iii) किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय या मान्यता
प्राप्त संस्थान से
पुस्तकालय विज्ञान में
स्नातकोत्तर डिग्री।
टिप्पण1 पोषक प्रवर्ग
1- 110 011 271

	के विभागीय अधिकारी जो	
	प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में	
	हैं, प्रतिनियुक्ति पर	
	नियुक्ति के लिए विचार	
	किए जाने के पात्र नहीं	
	होंगे। इसी प्रकार,	
	प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति	
	द्वारा नियुक्ति के लिए	
	विचार किए जाने के पात्र	
	नहीं होंगे।	
	टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति	
	की अवधि (अल्पकालिक	
	संविदा सहित) जिसके	
	अंतर्गत उसी या किसी	
	अन्य संगठन या विभाग में	
	इस नियुक्ति से ठीक	
	पहले धारित किसी अन्य	
	काडर-बाह्य पद पर	
	प्रतिनियुक्ति की अवधि	
	_	
	,	
	सहित) भी है,	
	साधारणतया तीन वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण ३ प्रतिनियुक्ति	
	द्वारा नियुक्ति	
	(अल्पकालिक संविदा	
	सहित) के लिए अधिकतम	
	आयु-सीमा आवेदन प्राप्त	
	करने की अंतिम तारीख	
	को छप्पन वर्ष से अधिक	
	नहीं होगी।	
	וויוט וטוי	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26. सहायक	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
निदेशक (हिंदी)।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'क' पद	स्तर-10		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(56100-		
	है।		177500 रु.)।		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति	खोज- <i>सह</i> -	लागू नहीं होता।
		होता।	द्वारा	(अल्पकालिक संविदा	चयन समिति	
			(अल्पकालिक	सहित): -	(प्रतिनियुक्ति के	
			संविदा सहित)।	केन्द्रीय सरकार या राज्य	संबंध में) :-	
				सरकारों या संघ राज्य	1. <i>महासचिव</i> ,	
				क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त	राष्ट्रीय मानव	

अधिकार निकायों या कानुनी संगठनों या पब्लिक आयोग-सेक्टर उपक्रमों या अध्यक्ष, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता 2. *संयुक्त* प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार के अधिकारी.-(क) (i) जिन्होंने मूल आयोग – काडर या विभाग में सदस्यः नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हों; या 3. निदेशक, राष्ट्रीय मानव (ii) जिन्होंने मूल काडर या अधिकार विभाग में वेतन मैट्रिक्स में आयोग – (44900-सदस्य। स्तर-७ रुपये) 142400 समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर टिप्पणी।-नियुक्ति के पश्चात श्रेणी उपर्युक्त समिति में पांच वर्ष की सेवा की के सदस्य हो: और राष्ट्रीय मानव अधिकार (ख) जो निम्नलिखित आयोग में शैक्षणिक अहर्ताएं और सहायक अनुभव रखते हों, अर्थात: निदेशक (हिंदी) के पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के (i) आवश्यकः (क) किसी मान्यता प्राप्त लिए यथास्तिथि विश्वविद्यालय या मान्यता जाँच समिति या प्राप्त संस्थान से हिंदी में चयन समिति के मास्टर डिग्री, जिसमें सदस्यों के रूप डिग्री स्तर पर अंग्रेजी में कार्य करेंगे। अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो: या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, जिसमें हिंदी अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो; या (1) मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य अंग्रेजी या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो : या (घ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री, अंग्रेजी माध्यम के साथ और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो: या (ङ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य वैकल्पिक विषय हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो: तथा (च) हिंदी में शब्दावली का प्रयोग या अनुप्रयोग (शब्दावली संबंधी कार्य) तथा अंग्रेजी से हिंदी या इसके हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव, अधिमानतः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानुनी संगठनों या पब्लिक उपक्रमों या सेक्टर मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान शैक्षणिक संस्थाओं के अधीन तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद कार्य किया हो; या (छ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो। (ii) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी के से भिन्न अन्य भाषा का अध्ययन किया हो। टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण २.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति

			(अल्पकालिक संवि सहित) के लिए अधिकतम आयु-स् आवेदन प्राप्त कर अंतिम तारीख को वर्ष से अधिक नहीं	तीमा ने की छप्पन	
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. सहायक लेखा	3* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
अधिकारी।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ख' पद	स्तर-8 (47600-		
	परिवर्तन किया जा सकता		151100 रु.)।		
	है।				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	(i) सड़सठ	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
		होता।	प्रतिशत प्रोन्नति	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	
			द्वारा, जिसके न	आयोग में लेखाकार	के संबंध में	
			हो सकने पर	जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में	विचार करने के	
			प्रतिनियुक्ति	स्तर-6 (35400-112400	लिए) जिसमें	
			द्वारा।	रु.) श्रेणी में छह वर्ष की	निम्नलिखित	
			(ii) 33 प्रतिशत	नियमित सेवा की हो।	होंगे:-	
			प्रतिनियुक्ति		1. संयुक्त	
			द्वारा	टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	सचिव, राष्ट्रीय	
			(अल्पकालिक	व्यक्तियों के संबंध में,	मानव अधिकार	
			संविदा सहित)।	जिन्होंने अपनी अर्हक या	आयोग-	
				पात्रता सेवा पूरी कर ली	अध्यक्ष;	
				है, प्रोन्नति के लिए विचार		
				किया जा रहा है वहां	2. निदेशक,	
				उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	राष्ट्रीय मानव	
				संबंध में भी विचार किया	अधिकार	
				जाएगा, परन्तु यह तब	आयोग-सदस्य;	
				जब कि उसके द्वारा की		
				गई ऐसी अर्हक या पात्रता	3. अवर सचिव,	
				सेवा अपेक्षित् अर्हक् या	राष्ट्रीय मानव	
				पात्रता सेवा के आधे से	अधिकार	
				अधिक या दो वर्ष से,	आयोग	
				इनमें से जो भी कम हो,	– सदस्य।	
				कम न हो, और उन्होंने		
				अपने ऐसे कनिष्ठ		
				व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने		
				ऐसी अर्हक या पात्रता		
				सेवा पहले ही पूरी कर ली		
				है, अगली उच्चतर श्रेणी में		
				प्रोन्नति के लिए अपनी		
				परिवीक्षा अवधि		
				सफलतापूर्वक पूरी कर		
				ली हो।		

	_	
प्रतिनि	नेयुक्ति (अल्पकालिक	
	रा सहित):	
	य सरकार या राज्य	
सरव	गरों या संघ राज्य	
	प्रशासनों या स्वायत्त	
	ायों या कानूनी	
संगट	उनों या पब्लिक	
	र उपक्रमों या	
मान्य	ाता प्राप्त	
विश्वर्षि	वेद्यालय या मान्यता	
	। अनुसंधान संस्थाओं	
	1धिकारी,-	
(ক) ((i) जिन्होंने मूल	
	र या विभाग में	
	मेत आधार पर सदृश	
पद ध	ग्ररण किए हुए हों; या	
	जेन्होंने मूल काडर या	
	ग में वेतन मैट्रिक्स	
स्तर-	6 में (35400-	
	400 रुपये) या	
I -	ुल्य में नियमित	
आधा	ार पर पद पर	
नियरि	क्त के पश्चात श्रेणी में	
_		
	वर्ष की सेवा की हो ;	
और		
(A)	Dulaba a	
	निम्नलिखित	
शैक्षी	णेक अहर्ताएं और	
अन्भ	भव रखते हों, अर्थात:	
.3		
(i) वि	रुसी मान्यता प्राप्त	
ਰਿश्न	वेद्यालय या	
	ाताप्राप्त संस्थान से	
	क की डिग्री; और	
(ii) वे	के न्द्रीय सरकार के	
	ी संगठित लेखा	
	ग द्वारा आयोजित	
अधी	नस्थ लेखापरीक्षा या	
	। सेवा परीक्षा में	
	र्ण; या	
(iii) ³	सचिवालय प्रशिक्षण	
	ान में रोकड़ एवं	
	-	
	। कार्य तथा प्रबंधन	
प्रशि	क्षण पाठ्यक्रम	
सफर	लतापूर्वक पूरा किया	
	तथा रोकड़, लेखा	
हुआ	तमा राकड़, तसा	

	एवं बजट कार्य में न्यूनतम	
	तीन वर्ष का अनुभव।	
	3	
	टिप्पण १ पोषक प्रवर्ग	
	के विभागीय अधिकारी	
	जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति	
	में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	नियुक्ति के लिए विचार	
	किए जाने के पात्र नहीं	
	होंगे। इसी प्रकार,	
	प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	
	लिए विचार किए जाने के	
	पात्र नहीं होंगे।	
	टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति	
	की अवधि (अल्पकालिक	
	संविदा सहित) जिसमें	
	प्रतिनियुक्ति की अवधि	
	(अल्पकालिक संविदा	
	सहित) जिसके अंतर्गत	
	केन्द्रीय सरकार के उसी	
	या किसी अन्य संगठन या	
	विभाग में इस नियुक्ति से	
	ठीक पहले धारित किसी	
	अन्य <i>काडर बाह्य पद पर</i>	
	प्रतिनियुक्ति की अवधि	
	है। साधारणतया तीन वर्ष	
	से अधिक नहीं होगी।	
	\(\frac{\circ}{\circ}\)	
	A	
	टिप्पण ३ प्रतिनियुक्ति	
	द्वारा नियुक्ति के लिए	
	अधिकतम आयु-सीमा	
	(अल्पकालिक संविदा	
	सहित) आवेदन प्राप्त होने	
	की अंतिम तारीख को	
	छप्पन वर्ष से अधिक नहीं	
	होगी ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. निजी सचिव।	14* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ख' पद	स्तर-8		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(ই.47600-		
	है।	_	151100)		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति :	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।

हो	ता।	जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति
		सकने पर	्र आयोग में वैयक्तिक	के संबंध में
		प्रतिनियुक्ति	सहायक जिन्होंने वेतन	विचार करने के
		द्वारा।	मैट्क्स स्तर-7 में	लिए) जिसमें
			(44900-142400 रुपये)	निम्नलिखित
			श्रेणी में दो वर्ष की	होंगे:-
			नियमित सेवा की हो।	
			·	1. संयुक्त
			टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	सचिव, राष्ट्रीय
			व्यक्तियों के संबंध में,	मानव अधिकार
			जिन्होंने अपनी अर्हक या	आयोग-अध्यक्ष;
			पात्रता सेवा पूरी कर ली	.,
			है, प्रोन्नति के लिए विचार	2. निदेशक,
			किया जा रहा है वहां	राष्ट्रीय मानव
			उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	अधिकार
			बारे में भी विचार किया	आयोग-सदस्य;
			जाएगा परन्तु यह तब जब	,
			कि उसके द्वारा की गई	3. अवर सचिव,
			ऐसी अर्हक या पात्रता	राष्ट्रीय मानव
			सेवा अपेक्षित अर्हक या	ू अधिकार
			पात्रता सेवा के आधे से	आयोग
			अधिक या दो वर्ष से,	–सदस्य।
			इनमें से जो भी कम हो,	
			कम न हो, और उन्होंने	
			अपने ऐसे कनिष्ठ	
			व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने	
			ऐसी अर्हक या पात्रता	
			सेवा पहले ही पूरी कर ली	
			है, अगली उच्चतर श्रेणी में	
			प्रोन्नति के लिए अपनी	
			परिवीक्षा अवधि	
			सफलतापूर्वक पूरी कर	
			ली हो।	
			प्रतिनियुक्तिः	
			केंद्रीय सरकार या राज्य	
			सरकारों या संघ राज्य	
			क्षेत्र प्रशासनों के	
			अधिकारी,-	
			(क) (i) जिन्होंने मूल	
			काडर या विभाग में	
			नियमित आधार पर सदृश	
			पद धारण किए हुए हों ;	
			या	
			(ii) जिन्होंने मूल काडर या	
			विभाग में वेतन मैट्रिक्स	
			स्तर-7 में (44900-	

142400 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हो; और
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं रखते हों, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री।
टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
२९. अनुभाग	15* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 63

अधिकारी।	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता	स्तर-8 (47600- 151100 रु.)।	
	ह।		

(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।		नहीं	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति :	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
		होता।		जिसके न हो	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	ς,
				सकने पर	आयोग में सहायक	के संबंध में	
				प्रतिनियुक्ति	जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में	विचार करने के	
				द्वारा।	स्तर-7 (44900-142400	लिए) जिसमें	
					रुपये) में उस श्रेणी में दो	निम्नलिखित	
					वर्ष की नियमित सेवा की	होंगे:-	
					हो।	1. संयुक्त	
						सचिव, राष्ट्रीय	
					टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	मानव अधिकार	
					व्यक्तियों के संबंध में,	आयोग-अध्यक्ष;	
					जिन्होंने अपनी अर्हक या		
					पात्रता सेवा पूरी कर ली	2. निदेशक,	
					है, प्रोन्नति के लिए विचार	राष्ट्रीय मानव	
					किया जा रहा है वहां	अधिकार	
					उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	आयोग-सदस्य;	
					बारे में भी विचार किया	6	
					जाएगा परन्तु यह तब जब	3. अवर सचिव,	
					कि उसके द्वारा की गई	राष्ट्रीय मानव	
					ऐसी अर्हक या पात्रता	अधिकार	
					सेवा अपेक्षित अर्हक या	आयोग	
					पात्रता सेवा के आधे से	–सदस्य।	
					अधिक या दो वर्ष से,		
					इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने		
					अपने ऐसे कनिष्ठ		
					व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने		
					ऐसी अर्हक या पात्रता		
					सेवा पहले ही पूरी कर ली		
					है अगली उच्चतर श्रेणी		
					में, प्रोन्नति के लिए अपनी		
					परिवीक्षा अवधि		
					सफलतापूर्वक पूरी कर		
					ली हो।		
					प्रतिनियुक्तिः		
					केन्द्रीय सरकार या राज्य		
					सरकारों या संघ राज्य		
					क्षेत्र प्रशासनों का		
					अधिकारी, -		
					(क) (i) जिन्होंने मूल		

काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 में (44900-142400 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हो: और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्: (i) आवश्यकः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री; तथा (ख) प्रशासन या स्थापना लेखा मामलों या विधिक मामलों का अनुभव। (ii) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी. जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण २.- प्रतिनियुक्ति

की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 65

अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	T	<u> </u>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30. सहायक	37* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	तीस वर्ष से अनधिक
अनुभाग	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ख' पद	स्तर-7 (44900-		आयु ।
अधिकारी।	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	142400 रु.)।		
	है।				(केन्द्रीय सरकार द्वारा
					जारी अनुदेशों या
					आदेशों के अनुसार
					सरकारी सेवकों के
					लिए पांच वर्ष तक
					शिथिल की जा सकती
					है)।
					टिप्पण:- आयु-सीमा
					अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख
					अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए
					नियत की गई अंतिम
					तारीख होगी, न कि
					वह अंतिम तारीख जो
					असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, हिमाचल
					प्रदेश के लाहौल और
					स्पीति जिले तथा
					चम्बा जिले के पांगी
					उप-मंडल और
					लद्दाख, अंडमान और
					निकोबार द्वीप समूह
					और लक्षद्वीप संघ
	l .	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

		राज्य	क्षेत्रों	के
		अभ्यर्थियों	के	लिए
		विहित की	। गई है	1

				14	हित परा गई है।	
(7)	(9)	(0)	(10)	(11)	(12)	(12)
(7) किसी मान्यता	(8) नहीं।	(9) दो वर्ष।	(10) (i) पचास	(11) प्रोन्नतिः	(12) विभागीय प्रोन्नति	(13) लागू नहीं होता।
प्राप्त	1611	(। प्या	प्रतिशत सीधी	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	(11/1/2) (1/1/1)
विश्वविद्यालय या		टिप्पण :-	भर्ती द्वारा,	आयोग में ज्येष्ठ	के संबंध में	
मान्यता प्राप्त		ाटव्यम केन्द्रीय	नता द्वारा, जिसके न होने	सचिवालय सहायक	विचार करने के	
संस्थान से		सरकार	पर प्रतिनियुक्ति	जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में	लिए) जिसमें	
स्नातक की		द्वारा विहित	द्वारा।	स्तर-4 (25500-81100	निम्नलिखित	
डिग्री।		परिवीक्षा को	(ii) तीस	रु.) श्रेणी में पंद्रह वर्ष की	होंगे-:	
102111		सफलतापूर्व	प्रतिशत प्रोन्नति	नियमित सेवा की हो।	Çi i .	
		क पूरा	द्वारा, जिसके न	111111111111111111111111111111111111111	1. संयुक्त	
		करने के	होने पर	टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	सचिव, राष्ट्रीय	
		लिए सीधे	प्रतिनियुक्ति	व्यक्तियों के संबंध में,	मानव अधिकार	
		भर्ती किए	द्वारा।	जिन्होंने अपनी अर्हक या	आयोग-अध्यक्ष;	
		जाने वाले	(iii) बीस	पात्रता सेवा पूरी कर ली	- */	
		व्यक्तियों के	प्रतिशत	है, प्रोन्नति के लिए विचार	2. निदेशक,	
		लिए कम से	प्रतिनियुक्ति	किया जा रहा है वहां	राष्ट्रीय मानव	
		कम दो	द्वारा।	उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	अधिकार	
		सप्ताह की		बारे में भी विचार किया	आयोग-सदस्य;	
		अवधि का		जाएगा परन्तु यह तब जब		
		अनिवार्य		कि उसके द्वारा की गई	3. अवर सचिव,	
		प्रवेश		ऐसी अर्हक या पात्रता	राष्ट्रीय मानव	
		प्रशिक्षण		सेवा अपेक्षित अर्हक या	अधिकार	
		होगा।		पात्रता सेवा के आधे से	आयोग	
				अधिक या दो वर्ष से,	–सदस्य।	
				इनमें से जो भी कम हो,		
				कम न हो और उन्होंने	विभागीय	
				अपने ऐसे कनिष्ठ	पुष्टिकरण	
				व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने	समिति	
				ऐसी अर्हक या पात्रता	(पुष्टिकरण के	
				सेवा पहले ही पूरी कर ली	संबंध में विचार	
				है, अगली उच्चतर श्रेणी में	करने के लिए)	
				प्रोन्नति के लिए अपनी	जिसमें	
				परिवीक्षा अवधि	निम्नलिखित	
				सफलतापूर्वक पूरी कर	होंगे:-	
				ली हो।	1. निदेशक,	
					राष्ट्रीय मानव	
					अधिकार	
				प्रतिनियुक्तिः	आयोग-अध्यक्ष;	
				केन्द्रीय सरकार या राज्य		
				सरकारों या संघ राज्य	2. अवर सचिव,	
				क्षेत्र प्रशासनों का	राष्ट्रीय मानव	
				अधिकारी,-	अधिकार	
				(क) (i) जिन्होंने मूल	आयोग-सदस्य;	

काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश ३. अनुभाग पद धारण किए हुए हों ; अधिकारी, राष्ट्रीय मानव या अधिकार (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स आयोग स्तर-4 में (25500-–सदस्य। 81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पंद्रह वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) (i) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; और (ii) प्रशासन या स्थापना लेखा मामलों या विधिक मामलों का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी. जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण २.-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि

भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31. निरीक्षक।	25* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ख' पद	स्तर-7 (44900-		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	142400 रु.)।		
	है।				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं	लागू नह	ों प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति:	खोज-सह-	लागू नहीं होता।
	होता।	होता।	द्वारा।	केंद्रीय सरकार या राज्य	चयन समिति	
				सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र	(प्रतिनियुक्ति के	
				प्रशासनों के अधिकारी, -	संबंध में): -	
				(क) (i) जिन्होंने मूल काडर	1.	
				या विभाग में नियमित	संयुक्त सचिव,	
				आधार पर सदृश पद धारण	राष्ट्रीय मानव	
				किए हुए हों; या	अधिकार	
				(ii) जिन्होंने मूल काडर या	आयोग-	
				विभाग में वेतन मैट्रिक्स	अध्यक्ष;	
				स्तर-6 में (35400-		
				112400 रु.) या समतुल्य में	2. उप	
				नियमित आधार पर (उप-	महानिरीक्षक,	
				निरीक्षक के रूप में)	राष्ट्रीय मानव	
				नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष	अधिकार	
				की सेवा की हो; और	आयोग- सदस्य;	
				(ख) जिनके पास		
				निम्नलिखित शैक्षणिक	3. वरिष्ठ पुलिस	
				अर्हताएं और अनुभव हों,	अधीक्षक,	
				अर्थात: -	राष्ट्रीय मानव	
				(i) किसी मान्यताप्राप्त	अधिकार	
				विश्वविद्यालय या	आयोग	
				मान्यताप्राप्त संस्थान से	–सदस्य.	
				स्नातक की डिग्री; और		
				(ii) सतर्कता या जांच या	टिप्पण-	
				आसूचना कार्य में पांच वर्ष	राष्ट्रीय मानव	
				का अनुभव हो।	अधिकार	
					आयोग में	
				टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति की	निरीक्षक के पद	
				अवधि, जिसके अंतर्गत	के लिए अभ्यर्थी	

उसी या किसी अन्य संगठन का चयन करने
या विभाग में इस नियुक्ति के लिए उपर्युक्
से ठीक पहले धारित किसी सिमिति के
अन्य काडर <i>बाह्य पद पर</i> सदस्य,
<i>प्रतिनियुक्ति की अवधि भी</i> यथास्थिति, जाँच
<i>है, साधारणतया तीन वर्ष से</i> सिमिति या चयन
<i>अधिक नहीं होगी।</i> सिमिति के
सदस्यों के रूप
टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति में कार्य करेंगे।
द्वारा नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु-सीमा
आवेदन प्राप्त करने की
अंतिम तारीख को छप्पन
वर्ष से अधिक नहीं होगी।

		(2)			1.5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32. निजी	21* (2025)	भारत सरकार के	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	तीस वर्ष से अनधिक
सहायक।	* कार्यभार के आधार पर	समूह 'ख' पद के	स्तर-7 (44900-		आयु ।
	परिवर्तन किया जा सकता	समतुल्य।	142400 रु.)।		(केन्द्रीय सरकार द्वारा
	है।				जारी अनुदेशों या
					आदेशों के अनुसार
					सरकारी सेवकों के
					लिए पांच वर्ष तक
					शिथिल की जा सकती
					है)।
					टिप्पण:- आयु-सीमा
					अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख
					अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए
					नियत की गई अंतिम
					तारीख होगी, न कि
					वह अंतिम तारीख जो
					असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर,
					सिक्किम, हिमाचल
					प्रदेश के लाहौल और
					स्पीति जिले तथा
					चम्बा जिले के पांगी
					उप-मंडल और
					लद्दाख, अंडमान और
					निकोबार द्वीप समूह
					और लक्षद्वीप संघ
					राज्य क्षेत्रों के
					अभ्यर्थियों के लिए

विहित की गई है।

	T	T				T
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i) किसी	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) पैंसठ	प्रोन्नतिः	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
मान्यता प्राप्त			प्रतिशत प्रोन्नति	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	
बोर्ड से 12 ^{वीं}		टिप्पण :-	द्वारा, जिसके न	आयोग में आशुलिपिक	के संबंध में	
कक्षा या		केन्द्रीय	होने पर	श्रेणी-'घ' जिन्होंने वेतन	विचार करने के	
समतुल्य उत्तीर्ण;		सरकार	प्रतिनियुक्ति	मैट्रिक्स में स्तर-4	लिए) जिसमें	
और		द्वारा विहित	द्वारा; तथा	(25500-81100 रु.) में	निम्नलिखित	
(ii) कौशल –		परिवीक्षा को	(ii) पैंतीस	श्रेणी में पंद्रह वर्ष की	होंगे:-	
जैसा की		सफलतापूर्व	प्रतिशत सीधी	नियमित सेवा की हो।	1. संयुक्त	
कर्मचारी चयन		क पूरा	भर्ती ```द्वारा,		सचिव, राष्ट्रीय	
आयोग द्वारा		करने के	जिसके न होने	टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	मानव अधिकार	
आयोजित श्रेणी		लिए सीधे	पर प्रतिनियुक्ति	व्यक्तियों के संबंध में,	आयोग-अध्यक्ष;	
'ग' आशुलिपिक		भर्ती किए	द्वारा।	जिन्होंने अपनी अर्हक या	0.5	
खुली प्रतियोगी		जाने वाले		पात्रता सेवा पूरी कर ली	2. निदेशक,	
परीक्षा के लिए		व्यक्तियों के		है, प्रोन्नति के लिए विचार	राष्ट्रीय मानव	
विहित किया		लिए कम से		किया जा रहा है वहां	अधिकार	
जाए।		कम दो		उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	आयोग-सदस्य;	
		सप्ताह की		बारे में भी विचार किया	2	
		अवधि का		जाएगा परन्तु यह तब जब	3. अवर सचिव,	
		अनिवार्य		कि उसके द्वारा की गई	राष्ट्रीय मानव	
		प्रवेश		ऐसी अर्हक या पात्रता	अधिकार	
		प्रशिक्षण		सेवा अपेक्षित अर्हक या	आयोग	
		होगा।		पात्रता सेवा के आधे से	–सदस्य।	
				अधिक या दो वर्ष से,	6 6	
				इनमें से जो भी कम हो,	विभागीय	
				कम न हो और उन्होंने	पुष्टिकरण	
				अपने ऐसे कनिष्ठ	समिति	
				व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने	(पुष्टिकरण के	
				ऐसी अर्हक या पात्रता	संबंध में विचार	
				सेवा पहले ही पूरी कर ली	करने के लिए)	
				है, अगली उच्चतर श्रेणी में	जिसमें	
				प्रोन्नति के लिए अपनी	निम्नलिखित	
				परिवीक्षा अवधि	होंगे:-	
				सफलतापूर्वक पूरी कर	1. निदेशक,	
				ली हो।	राष्ट्रीय मानव	
					अधिकार	
				प्रतिनियुक्तिः	आयोग-अध्यक्ष;	
				केंद्रीय सरकार या राज्य	_	
				सरकारों या संघ राज्य	2. अवर सचिव,	
				क्षेत्र प्रशासनों के	राष्ट्रीय मानव	
				अधिकारी,-	अधिकार	
				(क) (i) जिन्होंने मूल	आयोग-सदस्य;	
				काडर या विभाग में		
				नियमित आधार पर सदृश	3. सहायक	
				पद धारण किए हुए हों; या	रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय	

	(ii) जिन्होंने मूल काडर या	मानव अधिकार	
	विभाग में वेतन मैट्रिक्स में	आयोग	
	स्तर-4 (25500-81100	-सदस्य।	
	रु.) या समतुल्य में	-(14(41)	
	नियमित आधार पर पद		
	पर नियुक्ति के पश्चात		
	पंद्रह वर्ष की सेवा की हो;		
	और		
	(ख) जिसके पास		
	निम्नलिखित शैक्षणिक		
	अहर्ताएं हों, अर्थात: -		
	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड		
	से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ।		
	·		
	टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग		
	के विभागीय अधिकारी,		
	जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति		
	में हैं, प्रतिनियुक्ति पर		
	नियुक्ति के लिए विचार		
	किए जाने के पात्र नहीं		
	होंगे। इसी प्रकार,		
	प्रतिनियुक्त व्यक्ति		
	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के		
	लिए विचार किए जाने के		
	पात्र नहीं होंगे।		
	टिप्पण २प्रतिनियुक्ति		
	की अवधि, जिसके		
	अंतर्गत उसी या किसी		
	अन्य संगठन या विभाग में		
	इस नियुक्ति से ठीक		
	पहले धारित किसी अन्य		
	काडर <i>बाह्य पद पर</i>		
	प्रतिनियुक्ति की अवधि		
	भी है, साधारणतया तीन		
	वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
	टिप्पण ३ प्रतिनियुक्ति		
	द्वारा नियुक्ति के लिए		
	अधिकतम आयु-सीमा		
	आवेदन प्राप्त करने की		
	अंतिम तारीख को छप्पन		
	वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. कार्यक्रमक।	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।
	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ख' पद	स्तर-7 (44900-		

परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	142400 रु.)।	
है।			

			(0)			. 1		445	(45)
				0. 1.					
लाग	(७) गू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता।	(9) लागू न होता।	चि प्र द्व 3	तकने प्रतिनियुर्ग	द्वारा, न हो पर क्ते (जिसके	प्रोत्रतिः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यक्रमक सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400) में श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पणः- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्रति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्रति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ	(12) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य; 3. ज्येष्ठ तंत्र विश्लेषक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य।	(13) लागू नहीं होता।

या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी.-(क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थातः -(i) आवश्यक: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से सांख्यिकी या गणित (सांख्यिकी के साथ) या परिचालन अनुसंधान या भौतिकी या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी के साथ) या वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर डिग्री; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री; तथा (ग) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण कार्य का तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो; या (घ) उपरोक्त (क) या (ख) में उल्लिखित किन्हीं भी विषयों में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री। (ii) वांछनीय: (क) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सिस्टम डिजाइन या विश्लेषण में औपचारिक

प्रशिक्षण; और
(ख) एक या एक से
अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं
का ज्ञान।
प्राचा
टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग
के विभागीय अधिकारी
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति
में हैं, प्रतिनियुक्ति पर
नियुक्ति के लिए विचार
किए जाने के पात्र नहीं
होंगे। इसी प्रकार,
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति
द्वारा नियुक्ति के लिए
विचार किए जाने के पात्र
नहीं होंगे।
नहां होगा
टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति
की अवधि (अल्पकालिक
संविदा सहित) जिसके
अंतर्गत उसी या किसी
अन्य संगठन या विभाग में
इस् नियुक्ति से ठीक
पहले धारित किसी अन्य
काडर <i>बाह्य पद पर</i>
प्रतिनियुक्ति की अवधि
(अल्पकालिक संविदा
सहित) भी है,
साधारणतया तीन वर्ष से
अधिक नहीं होगी।
टिप्पण ३प्रतिनियुक्ति
(अल्पकालिक संविदा
सहित) द्वारा नियुक्ति के
लिए अधिकतम आयु-
सीमा आवेदन प्राप्त करने
की अंतिम तारीख को
छप्पन वर्ष से अधिक नहीं
होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. ज्येष्ठ	1*(2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स	चयन।	लागू नहीं होता।
अनुसंधान	*कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ख' पद	में स्तर-7		
सहायक।	परिवर्तन किया जा सकता है।	के समतुल्य।	(रु.44900-		
			142400) l		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
	होता।	होता।	जिसके न हो		समिति (प्रोन्नति	
			सकने पर		के संबंध में	
			प्रतिनियुक्ति द्वारा	सहायक जिन्होंने वेतन		
			(जिसके अंतर्गत	मैट्रिक्स में स्तर-6	लिए) जिसमें	
			अल्पकालिक		निम्नलिखित होंगे:	
			संविदा भी है)।	पर श्रेणी में पांच वर्ष की	-	
				नियमित सेवा की हो।	1. संयुक्त सचिव,	
					राष्ट्रीय मानव	
				टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ	अधिकार	
				व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या	आयोग-अध्यक्ष;	
					2. निदेशक,	
				है, प्रोन्नति के लिए विचार	2. 1नदशक, राष्ट्रीय मानव	
				किया जा रहा है वहां	अधिकार	
				उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	आयोग-सदस्य;	
				बारे में भी विचार किया	जाना-१-राव्रस्न,	
					3. संयुक्त	
				जब कि उसके द्वारा की	निदेशक (आर),	
				गई ऐसी अर्हक या	राष्ट्रीय मानव	
				पात्रता सेवा अपेक्षित	अधिकार आयोग	
				अर्हक या पात्रता सेवा के	– सदस्य।	
				आधे से अधिक या दो		
				वर्ष से, इनमें से जो भी		
				कम हो, कम न हो और		
				उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ		
				व्यक्तियों के साथ,		
				जिन्होंने ऐसी अर्हक या		
				पात्रता सेवा पहले ही पूरी		
				कर ली है, अगली		
				उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति		
				के लिए अपनी परिवीक्षा		
				अवधि सफलतापूर्वक		
				पूरी कर ली हो।		
				प्रतिनियुक्ति		
				(अल्पकालिक		
				संविदा सहित):		
				केंद्रीय सरकार या राज्य		
				सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र		
				प्रशासनों या स्वायत्त		
				निकायों या कानूनी		
				संगठनों या पब्लिक सेक्टर		
				उपक्रमों या मान्यता प्राप्त		
				विश्वविद्यालय या मान्यता		
				प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं		

के अधिकारी.-(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और जिनके (ख) पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात: -आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री: और (ii) किसी भी सामाजिक विज्ञान में दो वर्ष का अनुसंधान अनुभव। टिप्पण 1 -पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.-प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधारणतया तीन वर्ष से

	अधिक नहीं होगी।	
	0 00 0	
	टिप्पण ३ प्रतिनियुक्ति	
	द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा	
	सहित) के लिए अधिकतम	
	आयु-सीमा आवेदन प्राप्त	
	करने की अंतिम तारीख	
	को छप्पन वर्ष से अधिक	
	नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35. उप प्रलेखीकरण	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स	चयन।	लागू नहीं होता।
अधिकारी।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ख' पद	में स्तर-6		
	परिवर्तन किया जा सकता है।	के समतुल्य।	(উ.35400-		
			112400)		

(7)	(8)	(9)	(10))	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत	प्रोन्नति	द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय	लागू नहीं होता।
		व्यक्तियों के	जिसके	न हो	राष्ट्रीय मानव	प्रोन्नति समिति	
		लिए दो वर्ष।	सकने	पर	अधिकार आयोग	(प्रोन्नति के	
			प्रतिनियु	क्त	में सहायक	संबंध में	
			द्वारा।		पुस्तकालयाध्यक्ष	विचार करने के	
					जिन्होंने वेतन	लिए) जिसमें	
					मैट्रिक्स स्तर-4 में	निम्नलिखित	
					(25500-81100	होंगे: -	
					रु.) में, श्रेणी में दस		
					वर्ष की नियमित	1. संयुक्त	
					सेवा कि हो।	सचिव, राष्ट्रीय	
						मानव	
					टिप्पण:- जहां ऐसे	अधिकार	
					कनिष्ठ व्यक्तियों	आयोग –	
					के संबंध में,	अध्यक्ष;	
					जिन्होंने अपनी		
					अर्हक या पात्रता	2. निदेशक,	
					सेवा पूरी कर ली	राष्ट्रीय मानव	
					है, प्रोन्नति के लिए	अधिकार	
					विचार किया जा	आयोग –	
					रहा है वहां उनसे	सदस्य;	
					ज्येष्ठ व्यक्तियों के		
					बारे में भी विचार	3. अवर सचिव,	
					किया जाएगा	राष्ट्रीय मानव	
					परन्तु यह तब जब	अधिकार	
					कि उसके द्वारा की	आयोग –	
					गई ऐसी अर्हक या	सदस्य।	
					पात्रता सेवा		
					अपेक्षित अर्हक या	विभागीय	

पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो. कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अधिकारी,-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 में (25500-81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात: - पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -1.निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार अथोग – अध्यक्ष;

2. अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य;

3. पुस्तकालयाध्य क्ष सह प्रलेखन अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।

(०) किस्पीमः (क) विश्वीवद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय या राज्य सरकारों या राज्य सरकारों या राज्य सरकारों या राज्य सरकारों या राज्य या कानूनी संगठन या पाल्लेक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव । (ii) वोस्त्रनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त तेश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूदना विज्ञान में मारदर डिग्री, और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय प्राप्त संस्थान से केप्युटर पूष्तीकेश्या में			(h) 2000000	
प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्रातक की डिग्री: और (ख) केंग्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य केत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संख्याओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव । (ii) वोछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संख्यान से पुस्तकालय संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुन्तकालय विज्ञान या पुन्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुन्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुन्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुन्तकालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान में मानस्र डिग्री: और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से केप्यूटर एप्लीकेशन में			(i) आवश्यक:	
प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्रातक की डिग्री: और (ख) केंग्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य केत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का चृत्तिक अनुभव । (३) वोजनीयः (क) विकसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुस्तकालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान में			(क) किसी मान्यता	
या मान्यता प्राप्त संस्थान संस्थान या पुस्तकालय प्वं सूक्ता विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूक्ता विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूक्ता विज्ञान या प्रतकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान सं स्थान सं स्थान या पुस्तकालय एवं सूक्ता विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूक्ता विज्ञान या पुस्तकालय पवं सूक्ता विज्ञान या पुस्तकालय या मान्यता प्राप्त संस्थान सं कंप्यूटर एप्लीकशन				
संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का जुसिक अनुभव । (ii) विक्रनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुस्तकालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से केंप्यूटर एप्लीकेशन में				
पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनी या स्वायत निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर राजक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांक्रनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त प्रम्यान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान या प्रम्तकालय विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त प्रस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं स्वना विज्ञान या पुस्तकालय एवं स्वनाविद्यालय या मान्यता प्राप्त				
या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रधासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संख्याओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांक्रनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त पर्स्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय पर्व स्वाना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त				
सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पर्वक्रक संक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीय: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान सं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुस्तकालय प्रवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या				
सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पर्वक्रक संक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीय: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान सं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या पुस्तकालय प्रवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या			या पुस्तकालय एवं	
स्नातक की डिग्री; और (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायन निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव । (i) वंड्यनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायस निकाय या कानूनी संगठन या पळित सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का चृत्तिक अनुभव । (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री, और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री, और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या				
(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं स्चान विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी संगठन या पिल्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय एवं स्वना विज्ञान या पुस्तकालय एवं स्वना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में			બાર	
सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी संगठन या पिल्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय एवं स्वना विज्ञान या पुस्तकालय एवं स्वना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी संगठन या पाल्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय एवं स्वना विज्ञान या पुस्तकालय एवं स्वना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में			(ख) केंद्रीय	
सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पिल्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव । (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं स्वना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन				
या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं स्वना विज्ञान में मास्टर डिग्नी, और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त त्विश्वविद्यालय या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्तीकेशन में			या कानूनी संगठन	
उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव । (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्रीः और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीय: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में				
या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीय: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
अनुसंधान संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में			अनुसंधान	
किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव । (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव । (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
वृत्तिक अनुभव । (ii) वांछनीयः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
(ii) वांछनीय: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में			वृत्तिक अनुभव ।	
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में			(ii) वांछनीय:	
प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में			पुस्तकालय विज्ञान	
सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
मास्टर डिग्री; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में			विश्वविद्यालय या	
संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
एप्लीकेशन में				
। डिप्लामा ।				
			ाडप्लामा ।	
टिप्पण 1 पोषक			टिप्पण 1 पोषक	
प्रवर्ग के विभागीय				
अधिकारी जो				
प्रोन्नति की सीधी			प्रान्नात की सीधी	

 T	
	पंक्ति में हैं,
	प्रतिनियुक्ति द्वारा
	नियुक्ति के लिए
	विचार किए जाने
	के पात्र नहीं होंगे।
	इसी प्रकार,
	प्रतिनियुक्त व्यक्ति
	प्रोन्नति द्वारा
	नियुक्ति के लिए
	विचार किए जाने
	के पात्र नहीं होंगे।
	टिप्पण २
	प्रतिनियुक्ति की
	अवधि, जिसके
	अंतर्गत केन्द्रीय
	सरकार के उसी
	या किसी अन्य
	संगठन या विभाग
	में इस नियुक्ति से
	ठीक पहले धारित
	किसी अन्य काडर
	बाह्य पद पर
	प्रतिनियुक्ति की
	अवधि भी है,
	साधारणतः तीन
	वर्ष से अधिक नहीं
	होगी।
	टिप्पण ३
	प्रतिनियुक्ति द्वारा
	नियुक्ति के लिए
	अधिकतम आयु-
	सीमा आवेदन
	प्राप्त करने की
	अंतिम तारीख को
	छप्पन वर्ष से
	अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
३६. अनुसंधान	3*(2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अनधिक
सहायक।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ख' पद	में स्तर-6		आयु।
	परिवर्तन किया जा सकता है।	के समतुल्य।	(35400-		
			112400 रु.)।		(केन्द्रीय सरकार द्वारा
					समय-समय पर जारी
					अनुदेशों या आदेशों के
					अनुसार सरकारी

	कर्मचारियों के लिए पांच
	वर्ष तक शिथिल की जा
	सकती है)।
	टिप्पण: आयु-सीमा
	अवधारित करने के लिए
	निर्णायक तारीख
	अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
	करने के लिए नियत की
	गई अंतिम तारीख होगी,
	न कि वह अंतिम तारीख
	जो असम, मेघालय,
	अरुणाचल प्रदेश,
	मिजोरम, मणिपुर,
	नागालैंड, त्रिपुरा,
	सिक्किम, हिमाचल प्रदेश
	के लाहौल और स्पीति
	जिले तथा चम्बा जिले के
	पांगी उप-मंडल और
	लद्दाख , अंडमान और
	निकोबार द्वीप समूह और
	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के
	अभ्यर्थियों के लिए विहित
	की गई है।

(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक:	लागू नहीं होता।	सीधे भव	र्ती	सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति	विभागीय	लागू नहीं होता।
मान्यता प्राप्त		किए जा	ाने	द्वारा, जिसके न	(अल्पकालिक संविदा	पुष्टिकरण	
विश्वविद्यालय या		वाले		हो सकने पर	सहित):	समिति (विचार	
मान्यता प्राप्त		व्यक्तियों व	के	प्रतिनियुक्ति	केंद्रीय सरकार या	करने के लिए)	
संस्थान से स्नातक		लिए दो वर्ष	fι	द्वारा (जिसके	राज्य सरकारों या संघ	पुष्टिकरण)	
की डिग्री ।				अंतर्गत	राज्य क्षेत्र प्रशासनों या	जिसमें	
		टिप्पण	:-	अल्पकालिक	स्वायत्त निकायों या	निम्नलिखित	
वांछनीय:		केन्द्रीय		संविदा भी है)।	कानूनी संगठनों या	होंगे: -	
(i) किसी मान्यता		सरकार द्वा	रा		पब्लिक सेक्टर	1. संयुक्त	
प्राप्त		विहित			उपक्रमों या मान्यता	सचिव, राष्ट्रीय	
विश्वविद्यालय या		परिवीक्षा व	नो		प्राप्त विश्वविद्यालय या	मानव अधिकार	
मान्यता प्राप्त		सफलतापूर	र्व		मान्यता प्राप्त	आयोग-अध्यक्ष;	
संस्थान से विधि		क पूरा कर	ने		अनुसंधान संस्थाओं, के		
या मानव		के लिए सी	धे		अधिकारी-	2. निदेशक,	
अधिकार में		भर्ती कि	प्		(क) (i) जिन्होंने मूल	राष्ट्रीय मानव	
स्नातक की डिग्री ;		जाने वा	ले		काडर या विभाग में	अधिकार	
तथा		व्यक्तियों व	के		नियमित आधार पर	आयोग-सदस्य;	
(ii) किसी मान्यता		लिए कम	से		सदृश पद धारण किए		
प्राप्त विश्वविद्यालय		कम व	दो		हुए हों ; या	3. संयुक्त	
या मान्यता प्राप्त		सप्ताह व	नी		(ii) जिन्होंने मूल काडर	निदेशक (आर),	
अनुसंधान संस्था		अवधि व	न		या विभाग में वेतन	राष्ट्रीय मानव	

<u> </u>				,
में न्यूनतम एक	अनिवार्य	मैट्रिक्स में स्तर-5	अधिकार	
वर्ष का अनुसंधान	प्रवेश	(29200-92300 रु.)	आयोग –	
अनुभव ।	प्रशिक्षण	या समतुल्य में	सदस्य।	
	होगा।	नियमित आधार पर		
		पद पर नियुक्ति के		
		पश्चात छह वर्ष की		
		सेवा की हो; या		
		(iii) जिन्होंने मूल		
		काडर या विभाग में		
		वेतन मैट्रिक्स स्तर-4		
		में (25500-81100		
		रु.) नियमित आधार		
		पर पद पर नियुक्ति के		
		पश्चात दस वर्ष की		
		सेवा की हो; और		
		(ख) जिनके पास स्तंभ		
		(7) के अधीन सीधी		
		भर्ती के लिए विहित		
		शैक्षिक अर्हताएं और		
		अनुभव हों।		
		टिप्पण १		
		प्रतिनियुक्ति की अवधि		
		(अल्पकालिक संविदा		
		सहित) जिसके अंतर्गत		
		उसी या किसी अन्य		
		संगठन या विभाग में		
		इस नियुक्ति से ठीक		
		पहले धारित किसी		
		अन्य कांडर <i>बाह्य पद</i>		
		द्वारा प्रतिनियुक्ति की		
		अवधि (अल्पकालिक		
		संविदा सहित) भी है,		
		साधारणतया तीन वर्ष		
		से अधिक नहीं होगी।		
		टिप्पण २		
		प्रतिनियुक्ति द्वारा		
		नियुक्ति (अल्पकालिक		
		संविदा सहित) के लिए		
		अधिकतम आयु-सीमा		
		आवेदन प्राप्त करने		
		की अंतिम तारीख को		
		छप्पन वर्ष से अधिक		
		नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37. कार्यक्रमक	2* (2024)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अनधिक
सहायक।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ख' पद	स्तर-6		आयु।
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(रु.35400-		
	है।		112400) I		(केन्द्रीय सरकार द्वारा
					जारी अनुदेशों या
					आदेशों के अनुसार
					सरकारी सेवकों के
					लिए पांच वर्ष तक
					शिथिल की जा सकती
					है)।
					टिप्पण :- आयु-सीमा
					अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख
					अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए
					नियत की गई अंतिम
					तारीख होगी, न कि
					वह अंतिम तारीख जो
					असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, हिमाचल
					प्रदेश के लाहौल और
					स्पीति जिले तथा
					चम्बा जिले के पांगी
					उप-मंडल और
					लद्दाख , अंडमान और
					निकोबार द्वीप समूह
					और लक्षद्वीप संघ
					राज्य क्षेत्रों के
					अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(क) आवश्यक:	लागू नहीं	दो वर्ष।	(i) पचास	प्रतिनियुक्ति	विभागीय	लागू नहीं होता।
किसी मान्यता	होता।		प्रतिशत सीधी	(अल्पकालिक संविदा	पुष्टिकरण	
प्राप्त		टिप्पण :-	भर्ती द्वारा,	सहित)/आमेलन:	समिति	
विश्वविद्यालय या		केन्द्रीय	जिसके न हो	केंद्रीय सरकार या राज्य	(पुष्टिकरण के	
मान्यता प्राप्त		सरकार द्वारा	सकने पर	सरकारों या संघ राज्य	संबंध में विचार	
संस्थान से		विहित	प्रतिनियुक्ति	क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त	करने के लिए)	
इंजीनियरी या		परिवीक्षा को	द्वारा (जिसके	निकायों या कानूनी	जिसमें	
कंप्यूटर विज्ञान		सफलता	अंतर्गत	संगठनों या पब्लिक	निम्नलिखित	
या सूचना		पूर्वक पूरा	अल्पकालिक	सेक्टर उपक्रमों या	होंगे: -	
प्रौद्योगिकी या		करने के लिए	संविदा भी है)।	मान्यता प्राप्त	1. संयुक्त	

	0.3 00			0 0	1
	तीधे भर्ती		विश्वविद्यालय या मान्यता	सचिव, राष्ट्रीय	
गणित वि	केए जाने (ii)	पचास	प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं	मानव अधिकार	
(सांख्यिकी के व	ग़ले व्यक्तियों प्रतिः	शत	के अधिकारी,-	आयोग-	
साथ) या वि	के लिए कम प्रिर्ता	नियुक्ति	(क) जिन्होंने नियमित	अध्यक्ष;	
	•	पकालिक	आधार पर सदृश पद	,	
	•	दा सहित)/	धारण किए हों;	2. संयुक्त	
_	- I			_	
		ोलन द्वारा।	(ख) जिनके पास	रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय	
I	अनिवार्य		निम्नलिखित शैक्षणिक	मानव अधिकार	
1 `	ग्वे श		अर्हताएं और अनुभव हों ,	आयोग –	
साथ) या प्र	ग शिक्षण		अर्थात्: -	सदस्य;	
वाणिज्य हि	होगा।				
(सांख्यिकी के			(i) आवश्यक:	3. ज्येष्ठ तंत्र	
साथ) में स्नातक			(क) किसी मान्यता प्राप्त	विश्लेषक,	
की डिग्री;			विश्वविद्यालय या मान्यता	राष्ट्रीय मानव	
			प्राप्त संस्थान से	अधिकार	
(ख) वांछनीय:			सांख्यिकी या गणित या	आयोग –	
1			परिचालन अनुसंधान या		
(i) इलेक्ट्रॉनिक			_	सदस्य।	
डाटा प्रसंस्करण			भौतिकी या अर्थशास्त्र या		
कार्य का			वाणिज्य (सांख्यिकी के		
अनुभव, जिसमें			साथ) में मास्टर डिग्री या		
कंप्यूटर			इंजीनियरी या कंप्यूटर		
प्रोग्रामिंग या			विज्ञान के साथ स्नातक		
परिचालन का			की डिग्री; और		
एक वर्ष का			(ख) इलेक्ट्रॉनिक डाटा		
अनुभव शामिल			प्रसंस्करण कार्य का दो		
हो; या			वर्ष का अनुभव जिसमें		
(ii) डाटा			कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या		
प्रसंस्करण कार्य			परिचालन का एक वर्ष		
में दो वर्ष का			का अनुभव हो; या		
अनुभव जिसके			(ग) डाटा प्रसंस्करण कार्य		
अंतर्गत यूनिट			का दो वर्ष का अनुभव		
रिकार्ड सिस्टम			जिसमें यूनिट रिकॉर्ड		
टेबुलर या			सिस्टम (टेबुलर या		
अकाउंटिंग			अकाउंटिंग मशीन,		
मशीन, कोलेटर,			कोलेटर, आदि) का एक		
आदि) का एक			वर्ष का अनुभव हो; या		
वर्ष का अनुभव			(घ) किसी मान्यता प्राप्त		
हो।			विश्वविद्यालय या मान्यता		
] -			प्राप्त संस्थान से		
			सांख्यिकी विषय के साथ		
			स्नातक की डिग्री; तथा		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			(ङ) इलेक्ट्रॉनिक डाटा		
			प्रसंस्करण कार्य का पांच		
			वर्ष का अनुभव जिसमें		
			कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या		
			परिचालन का एक वर्ष		
		_	का अनुभव हो।		

	(ii) वांछनीयः (क) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग परिचालन में औपचारिक प्रशिक्षण; (ख) एक या एक से अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान; (ग) यांत्रिक सारणीकरण उपस्कर के परिचालन तथा ऐसे उपस्कर पर कार्य की योजना बनाने और पर्यवेक्षण का अनुभव।
	टिप्पण 1 केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों पर ही आमेलन के लिए विचार किया जाएगा।
	टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद द्वारा प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	टिप्पण 3प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38. लेखाकार।	3* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं होता।

* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ख' पद	स्तर-6	
परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(रु.35400-	
है।		112400)	

	(0)	(0)	(10)	(4.4)	(10)	(4.2)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) सड़सठ	प्रोन्नतिः	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
			प्रतिशत प्रोन्नति	राष्ट्रीय मानव अधिकार	समिति (प्रोन्नति	
			द्वारा , जिसके न	आयोग में कनिष्ठ	के संबंध में	
			हो सकने पर	लेखाकार जिन्होंने वेतन	विचार करने के	
			प्रतिनियुक्ति	मैट्रिक्स में स्तर-4	लिए) जिसमें	
			द्वारा।	(रु.25500-81100) में	निम्नलिखित ->:>	
			3. 0	दस वर्ष श्रेणी में नियमित	होंगे:	
			(ii) तैंतीस	सेवा की हो और	1. संयुक्त	
			प्रतिशत	सचिवालय प्रशिक्षण एवं	सचिव, राष्ट्रीय	
			प्रतिनियुक्ति	प्रबंधन संस्थान से रोकड़	मानव अधिकार	
			द्वारा (जिसके अंतर्गत	एवं लेखा पाठ्यक्रम पूरा किया हो।	आयोग- अध्यक्ष;	
			अल्पकालिक	टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	2. निदेशक,	
			संविदा भी है)।	व्यक्तियों के संबंध में,	राष्ट्रीय मानव	
			.,	जिन्होंने अपनी अर्हक या	अधिकार	
				पात्रता सेवा पूरी कर ली	आयोग	
				है, प्रोन्नति के लिए विचार	- सदस्य;	
				किया जा रहा है वहां		
				उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	3. ज्येष्ठ लेखा	
				बारे में भी विचार किया	अधिकारी,	
				जाएगा परन्तु यह तब जब	राष्ट्रीय मानव	
				कि उसके द्वारा की गई	अधिकार	
				ऐसी अर्हक या पात्रता	आयोग -	
				सेवा अपेक्षित अर्हक या	सदस्य।	
				पात्रता सेवा के आधे से		
				अधिक या दो वर्ष से,	विभागीय	
				इनमें से जो भी कम हो,	पुष्टिकरण	
				कम न हो और उन्होंने	समिति	
				अपने ऐसे कनिष्ठ	(पुष्टिकरण के	
				व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने	संबंध में विचार	
				ऐसी अर्हक या पात्रता	करने के लिए)	
				सेवा पहले ही पूरी कर ली	जिसमें	
				है, अगली उच्चतर श्रेणी में	निम्नलिखित	
				प्रोन्नति के लिए अपनी	होंगे:	
				परिवीक्षा अवधि	1. निदेशक,	
				सफलतापूर्वक पूरी कर	राष्ट्रीय मानव	
				ली हो।	अधिकार	
				-00-0	आयोग	
				प्रतिनियुक्ति	- अध्यक्ष;	
				(अल्पकालिक संविदा	2 2	
				सहित)	2. ज्येष्ठ लेखा	
				केंद्रीय सरकार या राज्य	अधिकारी,	

सरकारों या संघ राज्य राष्ट्रीय मानव क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त अधिकार आयोग -निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सदस्य: सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त के सहायक 3. अधिकारी विश्वविद्यालय लेखा अधिकारी. राष्ट्रीय या मान्यता प्राप्त मानव अनुसंधान संस्थाओं के अधिकार अधिकारी,-आयोग सदस्य। (क)(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्क्स स्तर-4 में (25500-81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की हो; और ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताए और अनुभव रखते हों, अर्थात: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान में रोकड एवं लेखा कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा रोकड़, लेखा एवं बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं

	होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
	टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधारणतया तीन वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39. स्टॉफ कार	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स	अचयन।	लागू नहीं होता।
चालक (विशेष	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ख' पद	स्तर-6		
श्रेणी)।	परिवर्तन परिवर्तन किया जा	के समतुल्य।	(₹.35400-		
	सकता है।		112400)		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
			जिसके न हो	स्टाफ कार चालक	समिति (प्रोन्नति के	
			सकने पर	जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में	संबंध में विचार	
			प्रतिनियुक्ति	स्तर-5 (रु.29200-	करने के लिए)	
			द्वारा (जिसके	92300) में श्रेणी-।, में छह	जिसमें	
			अंतर्गत	वर्ष की नियमित सेवा की	निम्नलिखित होंगे:	
			अल्पकालिक	हो।	1. निदेशक,	
			संविदा भी हो)।		राष्ट्रीय मानव	
				टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	अधिकार आयोग-	
				व्यक्तियों के संबंध में,	अध्यक्ष;	
				जिन्होंने अपनी अर्हक या		

पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंत् यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से. इनमें से जो भी कम हो. कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैटिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर स्टाफ कार चालक श्रेणी-। के रूप में नियुक्ति के

- 2. अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
- सदस्य:
- 3. पुलिस उपाधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य।
- विभागीय पृष्टिकरण समिति (पृष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:
- 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष;
- 2. निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य:
- 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।

पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताए हों, अर्थात्:- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के
पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. स्टॉफ कार	4* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स	अचयन।	लागू नहीं होता।
चालक (श्रेणी – ।)।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ग '	स्तर-5		
	परिवर्तन किया जा सकता	पद के समतुल्य।	(रु.29200-		
	है।		92300) I		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं	लागू न	हीं (i) 75% प्रोन्नति	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
	होता।	होता।	द्वारा , जिसके न		समिति (प्रोन्नति के	
			हो सकने पर	•	संबंध में विचार	
			प्रतिनियुक्ति	स्तर-4 में (25500-	करने के लिए)	
			द्वारा (जिसके	81100 रुपये) श्रेणी में	जिसमें	
			अंतर्गत	पांच वर्ष की नियमित	निम्नलिखित होंगे:	
			अल्पकालिक	सेवा की हो या स्टाफ	-	
			संविदा भी है)।	कार चालक श्रेणी-॥ और	1. निदेशक,	
				स्टाफ कार चालक	राष्ट्रीय मानव	
			(ii) 25%	(साधारण श्रेणी) में पंद्रह	अधिकार आयोग	
			प्रतिशत	वर्ष की संयुक्त सेवा की	– अध्यक्ष;	
			प्रतिनियुक्ति	हो; और सरकार द्वारा	6	
			द्वारा (जिसके	विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास	2. अवर सचिव,	
			अंतर्गत	किया हो।	राष्ट्रीय मानव	
			अल्पकालिक		अधिकार आयोग	
			संविदा भी है)।	टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ	– सदस्य;	
				व्यक्तियों के संबंध में,	, ,,,,,,	
				जिन्होंने अपनी अर्हक या	3. पुलिस	
				पात्रता सेवा पूरी कर ली	उपाधीक्षक,	
				है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	
				उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के	– सदस्य।	
				संबंध में भी विचार किया	– रादस्य।	
				जाएगा, परंतु यह तब		
				जबिक उसके द्वारा की		
				गई ऐसी अर्हक या पात्रता		
				सेवा, अपेक्षित अर्हक या		
				पात्रता सेवा के आधे से		
				अधिक से या दो वर्ष से,		
				इनमें से जो भी कम हो,		
				कम न हो और उन्होंने		
				अपने ऐसे कनिष्ठ		
				व्यक्तियों सहित, जिन्होंने		
				ऐसी अर्हक या पात्रता		
				सेवा पहले ही पूरी कर ली		
				है, अगली उच्चतर श्रेणी में		
				प्रोन्नति के लिए अपनी		
				परिवीक्षा अवधि		
				सफलतापूर्वक पूरी कर		
				ली हो।		
				प्रतिनियुक्ति (जिसके		
				अंतर्गत अल्पकालिक		
				संविदा भी हो):		
				केन्द्रीय सरकार या राज्य		
				सरकारों या संघ राज्य		

क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर स्टाफ कार चालक (श्रेणी-॥) के रूप में। नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताए हों, अर्थात:-किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो ।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति

	की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41. स्टॉफ कार	3* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन।	लागू नहीं होता।
चालक (श्रेणी – ॥)।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ग' पद	स्तर-४		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(ই.25500-		
	है।	_	81100) I		

(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं	लागू न	नहीं	(i) 67% प्रोन्नति	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
	होता।	होता।		द्वारा , जिसके न	स्टाफ कार चालक	समिति (प्रोन्नति के	
				हो सकने पर	(साधारण श्रेणी) जिन्होंने	संबंध में विचार	
				प्रतिनियुक्ति	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 में	करने के लिए)	
				द्वारा (जिसके	(19900-63200 रुपये)	जिसमें	
				अंतर्गत	श्रेणी में आठ वर्ष की	निम्नलिखित होंगे:	
				अल्पकालिक	नियमित सेवा की हो तथा	-	
				संविदा भी है)।	केंद्रीय सरकार द्वारा	1. निदेशक,	
					विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास	राष्ट्रीय मानव	
				(ii) 33%	किया हो।	अधिकार आयोग	
				प्रतिनियुक्ति		– अध्यक्ष;	
				द्वारा (जिसके	टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ		
				अंतर्गत	व्यक्तियों के संबंध में,	2. अवर सचिव,	
				अल्पकालिक	जिन्होंने अपनी अर्हक या	राष्ट्रीय मानव	
				संविदा भी है)।	पात्रता सेवा पूरी कर ली	अधिकार आयोग	
					है, प्रोन्नति के लिए विचार	– सदस्य;	
					किया जा रहा हो, वहां		
					उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के	3. पुलिस	
					संबंध में भी विचार किया	उपाधीक्षक,	
					जाएगा, परंतु यह तब	राष्ट्रीय मानव	
					जबिक उसके द्वारा की	अधिकार आयोग	
					गई ऐसी अर्हक या पात्रता	– सदस्य।	
					सेवा, अपेक्षित अर्हक या		
					पात्रता सेवा के आधे से		
					अधिक से या दो वर्ष से,		

इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये) में या समतुल्य में नियमित आधार पर (स्टॉफ कार चालक (सामान्य श्रेणी के रूप में) पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की हो; (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक हों, अर्थात्:-किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय

				सीधी पंक्षि प्रतिनियुवि के लिए वि के पात्र नहीं हैं प्रकार, प्रा प्रोत्तत की लिए विचा पात्र नहीं हैं टिप्पण 2. की अवधि अंतर्गत अ संविदा भी नियुक्ति से धारित कि बाह्य पद प की अवधि तीन वर्ष से होगी। टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति अंतर्गत अ संविदा भी नियुक्ति हैं श्री प्रतिनियुक्ति अंतर्गत अ संविदा भी नियुक्ति हैं श्री अवधि तीन वर्ष से होगी।	ते पर नियुक्ति चार किए जाने हीं होंगे। इसी तेनियुक्त व्यक्ति रा नियुक्ति के र किए जाने के होंगे। - प्रतिनियुक्ति ल्पकालिक ल्पकालिक ल्पकालिक सी अन्य काडर र प्रतिनियुक्ति र साधारणतया ते अधिक नहीं ने तं(जिसके ल्पकालिक ल्पकालिक		
					नहीं होगी।		
(1)	(2)	(3)		4) Davidi	(5)	(6)	
42. स्टॉफ कार	4*(2025)	भारत सर		ट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की अ	-
चालक (साधारण श्रेणी)।		के के समूह ' पर के समतुल या	स्तर-2 (र 632	5.19900- 00) I	होता।	(केन्द्रीय सरकार द्व या आदेशों के उ अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक सकती है)।	भनुसार विभागीय ए आयु सीमा में
						टिप्पण -आयु-सीमा के लिए निर्णायक से आवेदन प्राप्त क अंतिम तारीख होगी, तारीख जो अ अरुणाचल प्रदेश, रि नागालैंड, त्रिपुरा, रि प्रदेश के लाहौल और पांगी उप-मंड	तारीख अभ्यर्थियों रने के लिए नियत , न कि वह अंतिम असम, मेघालय, मेजोरम, मणिपुर, संक्किम, हिमाचल और स्पीति जिले

		अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के
		अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

				I	ारमानमा कराराद्	
		T	T			<u></u>
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(क) आवश्यक:	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती	सीधी भर्ती		विभागीय	लागू नहीं होता।
(i) किसी मान्यता		किए जाने	द्वारा, जिसके	अंतर्गत अल्पकालिक	पुष्टिकरण समिति	
प्राप्त बोर्ड से 10 ^{वीं}		वाले	न हो सकने	संविदा भी हो):	(पुष्टिकरण के	
कक्षा उत्तीर्ण;		व्यक्तियों के	पर	केन्द्रीय सरकार या राज्य	संबंध में विचार	
		लिए दो	प्रतिनियुक्ति	सरकारों या संघ राज्य	करने के लिए)	
(ii) मोटर कार के		वर्ष।	द्वारा (जिसके	क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त	जिसमें	
लिए विधिमान्य			अंतर्गत	निकायों या कानूनी	निम्नलिखित होंगे:	
चालन अनुज्ञप्ति		टिप्पण :-	अल्पकालिक	संगठनों या पब्लिक	-	
का होना;		केन्द्रीय	अनुबंध भी	सेक्टर उपक्रमों या	1. निदेशक,	
971 (1111,		सरकार	है)।	मान्यता प्राप्त	राष्ट्रीय मानव	
(iii) मोटर		द्वारा विहित	6)1	विश्वविद्यालयों या मान्यता	अधिकार आयोग	
` '						
मेकनिज़म का		परिवीक्षा को		प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं	– अध्यक्ष;	
ज्ञान (अभ्यर्थी		सफलतापूर्व		के ऐसे अधिकारी-	2 2000	
वाहन में छोटी-		क पूरा		(क) (i) जिन्होंने मूल	2. अवर सचिव,	
मोटी खराबियों		करने के		काडर या विभाग में	राष्ट्रीय मानव	
को दूर करने में		लिए सीधे		नियमित आधार पर सदृश	अधिकार आयोग	
समर्थ हो); और		भर्ती किए		पद धारण किए हुए हो; या	– सदस्य;	
		जाने वाले		(ii) जिन्होंने मूल काडर या	_	
(iv) कम से कम		व्यक्तियों के		विभाग में वेतन मैट्रिक्स	3. पुलिस	
तीन वर्षों तक		लिए कम से		स्तर-1 में (18000-	उपाधीक्षक ,	
मोटर कार चलाने		कम दो		५६९०० रुपये) या	राष्ट्रीय मानव	
का अनुभव ।		सप्ताह की		समतुल्य में नियमित	अधिकार आयोग	
		अवधि का		आधार पर सवार हरकारा	– सदस्य।	
(ख) वांछनीय:		अनिवार्य		या समूह ग कर्मचारी के		
होम गार्ड या		प्रवेश		रूप में नियुक्ति के पश्चात		
सिविल स्वयंसेवक		प्रशिक्षण		तीन वर्ष की सेवा की हो ;		
के रूप में तीन		होगा।		और		
वर्ष की सेवा की				(ख) जो सीधी भर्ती के		
हो।				लिए स्तंभ (७) में विहित		
				अर्हताएं और अनुभव		
टिप्पण १				रखता हों।		
अर्हताएं अन्यथा				COM VII		
सुअर्हित सुअर्हित				टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति		
अभ्यर्थियों की				की अवधि (जिसके		
दशा में , कारणों				अंतर्गत अल्पकालिक अंतर्गत अल्पकालिक		
				संविदा भी है) इस		
लेखबद्द करके,				नियुक्ति से ठीक पहले		
सक्षम प्राधिकारी				धारित किसी अन्य काडर		
के विवेकानुसार				बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति		
शिथिल की जा				की अवधि, साधारणतया		
सकती है।				तीन वर्ष से अधिक नहीं		
				होगी।		

A		
टिप्पण २. –		
अनुभव संबंधी	टिप्पण २-	
अर्हता, कारणों के	प्रतिनियुक्ति(जिसके	
लिए लेखबद्ध	अंतर्गत अल्पकालिक	
किए जाए, सक्षम	संविदा भी हो) द्वारा	
प्राधिकारी के	नियुक्ति के लिए	
विवेकानुसार	अधिकतम आयु-सीमा	
अनुसूचित	आवेदन प्राप्त करने की	
जातियों और	अंतिम तारीख को 56 वर्ष	
अनुसूचित	से अधिक नहीं होगी।	
जनजातियों के		
अभ्यर्थियों की		
दशा में तब		
शिथिल की जा		
सकती है जब		
चयन के किसी		
प्रक्रम पर, सक्षम		
प्राधिकारी की यह		
राय है कि उनके		
लिए आरक्षित		
रिक्तियों को		
भरने के लिए		
अपेक्षित अनुभव		
रखने वाले उन		
समुदायों के अभ्यर्थियों के		
1		
पर्याप्त संख्या में		
उपलब्ध होने की		
संभावना नहीं है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43. कनिष्ठ	3* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की
लेखाकार।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ग' पद	स्तर-४		आयु के बीच।
	परिवर्तन किया जा सकता	के समकक्ष।	(रु.25500-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा
	है।		81100) I		जारी अनुदेशों या
					आदेशों के अनुसार
					विभागीय अभ्यर्थियों
					के लिए आयु सीमा में
					चालीस वर्ष तक
					शिथिल की जा सकती
					है)।
					टिप्पण :- आयु-सीमा
					अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख
					अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए
					नियत अंतिम तारीख

	होगी, न कि वह
	अंतिम तारीख जो
	असम, मेघालय,
	अरुणाचल प्रदेश,
	मिजोरम, मणिपुर,
	नागालैंड, त्रिपुरा,
	सिक्किम, हिमाचल
	प्रदेश के लाहौल और
	स्पीति जिले और पांगी
	उप-मंडल तथा
	लद्दाख , अंडमान और
	निकोबार द्वीप समूह
	और लक्षद्वीप संघ
	राज्य क्षेत्रों के
	अभ्यर्थियों के लिए
	विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(क)आवश्यक:	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा,	प्रतिनियुक्ति (जिसके	विभागीय	लागू नहीं होता।
किसी मान्यता	होता।		जिसके न हो	अंतर्गत अल्पकालिक	पुष्टिकरण	
प्राप्त		टिप्पण :-		संविदा भी हो): -	समिति	
विश्वविद्यालय या		केन्द्रीय सरकार	प्रतिनियुक्ति	केन्द्रीय सरकार या राज्य	(पुष्टिकरण के	
संस्थान से		द्वारा विहित	द्वारा (जिसके	सरकारों या संघ राज्य	संबंध में विचार	
स्नातक की		परिवीक्षा को	अंतर्गत	क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त	करने के लिए)	
डिग्र <u>ी</u> ।		सफलता पूर्वक	अल्पकालिक	निकायों या कानूनी	जिसमें	
		पूरा करने के	संविदा भी हो)।	संगठनों या पब्लिक	निम्नलिखित	
(ख) वांछनीय:		लिए सीधे भर्ती		सेक्टर उपक्रमों या	होंगे:-	
लेखा एवं रोकड़		किए जाने वाले		मान्यता प्राप्त		
मामलों के संबंध		व्यक्तियों के		विश्वविद्यालयों या मान्यता	1. संयुक्त	
में अनुभव।		लिए कम से		प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं	सचिव, राष्ट्रीय	
		कम दो सप्ताह		के ऐसे अधिकारी-	मानव अधिकार	
		की अवधि का		(क) (i) जिन्होंने मूल	आयोग –	
		अनिवार्य प्रवेश		काडर या विभाग में	अध्यक्ष;	
		प्रशिक्षण होगी।		नियमित आधार पर सदृश		
				पद धारण किए हुए हो; या	2. निदेशक,	
				(ii) केन्द्रीय सचिवालय	राष्ट्रीय मानव	
				लिपिकीय सेवा में उच्च	अधिकार	
				श्रेणी लिपिक जिन्होंने	आयोग –	
				वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 में	सदस्य;	
				(25500-81100 रुपये) में		
				नियुक्ति के पश्चात पांच	3. ज्येष्ठ लेखा	
				वर्ष की सेवा की हो तथा	अधिकारी,	
				मूल काडर या विभाग में	राष्ट्रीय मानव	
				सचिवालय प्रशिक्षण और	अधिकार	
				प्रबंधन संस्थान या	आयोग –	
				समतुल्य द्वारा संचालित	सदस्य।	
				रोकड़ एवं लेखा प्रशिक्षण		

	प्राप्त किया हो; और	
	(ख) जो स्तंभ(7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अहर्ताएं और अनुभव रखता हो।	
	टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44. ज्येष्ठ	11* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन।	लागू नहीं होता।
सचिवालय	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ग' पद	स्तर-४		
सहायक।	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(₹.25500-		
	है।		81100) I		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता।	(9) लागू नहीं होता।	(10) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोन्नति:	(12) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय	(13) लागू नहीं होता।
					मानव अधिकार	

टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में. जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा परी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंत् यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से. इनमें से जो भी कम हो. कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधिकारी,-(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैटिक्स स्तर-2 में (19900-63200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर (अवर श्रेणी लिपिक के रूप में) पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों, अर्थात्:-

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड

- आयोग अध्यक्ष:
- 2. निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य;
- 3. सहायक रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य।

7 40-9:
से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की
हो।
टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग
के ऐसे विभागीय
अधिकारी, जो प्रोन्नति की
सीधी पंक्ति में हैं,
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति
के लिए विचार किए जाने
के पात्र नहीं होंगे। इसी
प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के
लिए विचार किए जाने के
पात्र नहीं होंगे।
Arrier 2 referrer
टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति
की अवधि (जिसके
अंतर्गत अल्पकालिक
संविदा भी हो) इस
नियुक्ति से ठीक पहले
धारित किसी अन्य काडर
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति
की अवधि, साधारणतया
तीन वर्ष से अधिक नहीं
होगी।
टिप्पण ३ प्रतिनियुक्ति
(जिसके अंतर्गत
अल्पकालिक संविदा भी
हो) द्वारा नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु-सीमा
आवेदन प्राप्त करने की
अंतिम तारीख को 56 वर्ष
से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
४५. सहायक	1* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के
पुस्तकालयाध्यक्ष।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ग' पद	स्तर-४		बीच।
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(ক.25500-		
	है।		81100) l		(केन्द्रीय सरकार द्वारा
					जारी अनुदेशों या आदेशों
					के अनुसार विभागीय
					अभ्यर्थियों के लिए आयु
					सीमा में चालीस वर्ष तक
					शिथिल की जा सकती
					है)।

		टिप्पण :- आयु-सीमा
		अवधारित करने के लिए
		निर्णायक तारीख
		अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
		करने के लिए नियत
		अंतिम तारीख होगी, न कि
		वह अंतिम तारीख जो
		असम, मेघालय,
		अरुणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर,
		नागालैंड, त्रिपुरा,
		सिक्किम, हिमाचल प्रदेश
		के लाहौल और स्पीति
		जिले और पांगी उप-मंडल
		तथा लद्दाख , अंडमान
		और निकोबार द्वीप समूह
		और लक्षद्वीप संघ राज्य
		क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए
		विहीर्त की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(क) आवश्यक:	लागू नहीं	सीधे भर्ती किए	सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति (जिसके	विभागीय पुष्टिकरण	लागू नहीं
(i) किसी	होता।	जाने वाले	द्वारा, जिसके न	अंतर्गत अल्पकालिक	समिति (पुष्टिकरण	होता।
मान्यता प्राप्त		व्यक्तियों के	हो सकने पर	संविदा भी हो):	के संबंध में विचार	
विश्वविद्यालय या		लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति	केन्द्रीय सरकार या राज्य	करने के लिए)	
मान्यता प्राप्त			द्वारा (जिसके	सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र	जिसमें निम्नलिखित	
संस्थान से		टिप्पण :-	अंतर्गत	प्रशासनों या स्वायत्त	होंगे:-	
पुस्तकालय		केन्द्रीय	अल्पकालिक	निकायों या कानूनी	1. संयुक्त सचिव,	
विज्ञान या		सरकार द्वारा	संविदा भी हो)।	संगठनों या पब्लिक	राष्ट्रीय मानव	
पुस्तकालय एवं		विहित		सेक्टर उपक्रमों या	अधिकार आयोग –	
सूचना विज्ञान में		परिवीक्षा को		मान्यता प्राप्त	अध्यक्ष;	
स्नातक की		सफलता		विश्वविद्यालयों या मान्यता	2. निदेशक, राष्ट्रीय	
डिग्री; और		पूर्वक पूरा		प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं	मानव अधिकार	
(ii) केन्द्रीय		करने के लिए		के अधिकारी -	आयोग – सदस्य;	
सरकार या		सीधे भर्ती		(क) जिन्होंने मूल काडर	3. संयुक्त निदेशक,	
राज्य सरकारों		किए जाने वाले		या विभाग में नियमित	राष्ट्रीय मानव	
या संघ राज्य		व्यक्तियों के		आधार पर सदृश पद	अधिकार आयोग –	
क्षेत्र प्रशासनों या		लिए कम से		धारण किए हुए हो; और	सदस्य।	
स्वायत्त निकायों		कम दो सप्ताह		(ख) जो सीधी भर्ती के		
या कानूनी		की अवधि का		लिए स्तंभ (7) में विहित		
संगठनों या		प्रवेश प्रशिक्षण		अर्हताएं और अनुभव		
पब्लिक सेक्टर		होगी।		रखता हो।		
उपक्रमों या						
मान्यता प्राप्त				टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति		
विश्वविद्यालयों				की अवधि (जिसके		
या मान्यता				अंतर्गत अल्पकालिक		
प्राप्त अनुसंधान				संविदा भी हो) इस		

संस्थाओं के	नियुक्ति से ठीक पहले
अधीन किसी	धारित किसी अन्य काडर
पुस्तकालय में	बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति
दो वर्ष का	की अवधि, (जिसके
वृत्तिक अनुभव।	अंतर्गत अल्पकालिक
	संविदा भी हो)
(ख) वांछनीय:	साधारणतया तीन वर्ष से
मान्यता प्राप्त	अधिक नहीं होगी।
विश्वविद्यालयों	
या मान्यता	टिप्पण २
प्राप्त संस्थानों	प्रतिनियुक्ति(जिसके
से कम्प्यूटर	अंतर्गत अल्पकालिक
एप्लीकेशन में	संविदा भी हो) द्वारा
डिप्लोमा ।	नियुक्ति के लिए
	अधिकतम आयु-सीमा
	आवेदन प्राप्त करने की
	अंतिम तारीख को 56 वर्ष
	से अधिक नहीं होगी।

	T	T			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. आशुलिपिक	20* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के
श्रेणी-घ ।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ग' पद	स्तर-4		बीच।
	परिवर्तन परिवर्तन किया जा	के समतुल्य।	(ক.25500-		
	सकता है।		81100) l		(केन्द्रीय सरकार द्वारा
					जारी अनुदेशों या आदेशों
					के अनुसार विभागीय
					अभ्यर्थियों के लिए आयु
					सीमा में चालीस वर्ष तक
					शिथिल की जा सकती है
)
					टिप्पण :- आयु-सीमा
					अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख
					अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए नियत
					अंतिम तारीख होगी, न
					कि वह अंतिम तारीख जो
					असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, हिमाचल प्रदेश
					के लाहौल और स्पीति
					जिले और पांगी उप-
					मंडल तथा लद्दाख ,
					अंडमान और निकोबार

							संघ अभ्यधि	तमूह और लक्षद्वीप राज्य क्षेत्रों के र्थेयों के लिए विहित
							की गइ	ई है।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)		(13)
(क) आवश्यक:	लागू नहीं	सीधे भर्ती	सीधी भर्ती द्वारा,	प्रतिनियुक्ति	(जिसके	विभागीय		लागू नहीं होता।
(i) किसी	होता।	किए जाने	जिसके न हो		कालिक	पुष्टिकरण		ι.
मान्यता प्राप्त		वाले व्यक्तियों	सकने पर	संविदा भी हो):		समिति		
बोर्ड से 12 ^{वीं कक्षा}		के लिए दो	प्रतिनियुक्ति	केन्द्रीय सरकार या	ा राज्य	(पुष्टिकरण	के	
उत्तीर्ण; और		वर्ष।	द्वारा (जिसके	सरकारों या संघ रा	ाज्य	संबंध में		
(ii) अभ्यर्थी			अंतर्गत	क्षेत्र प्रशासनों या 🔻	स्वायत्त	विचार कर	ने के	
निम्नलिखित में		टिप्पण :-	अल्पकालिक	निकायों या कानूर्न	ी	लिए) जिस	में	
सक्षम हो-		केन्द्रीय	संविदा भी हो)।	संगठनों या पब्लि	क	निम्नलिखित	.	
(क) दस मिनट		सरकार द्वारा		सेक्टर उपक्रमों या	Γ	होंगे: -		
तक प्रति मिनट		विहित		मान्यता प्राप्त		1. निदेशक	,	
अस्सी शब्द		परिवीक्षा को		विश्वविद्यालयों या		राष्ट्रीय मान	व	
(अंग्रेजी या		सफलता		मान्यता प्राप्त अनुर		अधिकार		
हिंदी) की दर से		पूर्वक पूरा		संस्थाओं के अधिक		आयोग-अ	ध्यक्ष;	
श्रुतलेख लेना;		करने के लिए		(क) जिन्होंने मूल				
(ख) केवल		सीधे भर्ती		या विभाग में रि	नेयमित	2. अवर स	चिव,	
कंप्यूटर पर		किए जाने		आधार पर सह		राष्ट्रीय मान	व	
पचास मिनट		वाले व्यक्तियों		धारण किए हुए हो		अधिकार		
तक अंग्रेजी		के लिए कम		(ख) सीधी भर्ती के		आयोग –		
और पैंसठ		से कम दो		स्तंभ (7) में विहित		सदस्य;		
मिनट तक हिंदी		सप्ताह की		अर्हताएं और अनुभ	नव			
का प्रतिलेखन ।		अवधि की		रखता हों।			हायक	
		अनिवार्य			(रजिस्ट्रार,	•	
टिप्पण :-		प्रवेश		टिप्पण १ प्रतिनिर्		मानव अ	धेकार	
अंग्रेजी एवं हिंदी		प्रशिक्षण		की अवधि (जिसके		आयोग	-	
दोनों आशुलिपि		होगी।		अंतर्गत अल्पकालि		सदस्य।		
जानने वालों को				संविदा भी हो) इस				
अधिमानता दी				नियुक्ति से ठीक प				
जाएगी।				धारित किसी अन्य				
				बाह्य पद पर प्रतिनि	0			
(ख) वांछनीय:				की अवधि, (जिसके				
किसी मान्यता				अंतर्गत अल्पकालि	कि			
प्राप्त				संविदा भी हो)				
विश्वविद्यालय या				साधारणतया तीन				
संस्थान से कम्प्यटर में				अधिक नहीं होगी।				
कम्प्यूटर में डिप्लोमा।				टिप्पण २				
ાં આવામા					}			
				प्रतिनियुक्ति(जिसवे अंतर्गत अल्पकालि				
				अतगत अल्पकाल संविदा भी हो) द्वार				
				सावदा मा हा) द्वार नियुक्ति के लिए	.I			
				ानयुक्ति के लिए अधिकतम आयु-स	חוו			
				जायपग्तम आयु-स	1141			

	आवेदन प्राप्त करने की	
	अंतिम तारीख को 56 वर्ष	
	से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
४७. कांस्टेबल।	12* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ग' पद	स्तर-3		
	परिवर्तन किया जा सकता		(ই.21700-		
	है।		69100) I		

(7)	(0)	(0)		(10)	(11)	(12)	(12)
(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं	(9)	नहीं	(10) प्रतिनियुक्ति	(11) प्रतिनियुक्तिः	(12) खोज-सह-	(13) लागू नहीं होता।
(11) (1) (1) (1)	होता।	लागू होता।	.161	द्वारा। द्वारा।) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस	चयन समिति	מויל זמו פומון
	GIGILI	GIGILI		RIKII	बलों या राज्य पुलिस	(प्रतिनियुक्ति के	
					संगठनों या संघ राज्य	(प्रातानयुक्ति क संबंध में): -	
					क्षेत्रों के पुलिस संगठनों	1. संयुक्त स्टिन स्थीप	
					के अधिकारी,-	सचिव, राष्ट्रीय	
					(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में	मानव अधिकार	
						आयोग –	
						अध्यक्ष;	
					सदृश पद धारण किए	2 777	
					हुए हो; और	2. उप 	
					(ii) जिन्होंने मूल काडर या	महानिरीक्षक,	
					विभाग में वेतन मैट्रिक्स	राष्ट्रीय मानव	
					स्तर-3 (21700-69100	अधिकार	
					रुपये) या समतुल्य में	आयोग –	
					नियमित आधार पर पद	सदस्य;	
					पर नियुक्ति के पश्चात		
					पांच वर्ष की सेवा की हो ;	३. ज्येष्ठ पुलिस	
					और	अधीक्षक,	
					(ख) निम्नलिखित	राष्ट्रीय मानव	
					शैक्षणिक अर्हताएं रखते	अधिकार	
					हों, अर्थात्:-	आयोग –	
					किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड	सदस्य।	
					से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की	6	
					हो।	टिप्पण -	
						उपरोक्त समिति	
					टिप्पण १ प्रतिनियुक्ति	के सदस्य	
					की अवधि जिसके	राष्ट्रीय मानव	
					अंतर्गत उसी या किसी	अधिकार े	
					अन्य संगठन या विभाग में	आयोग में	
					इस नियुक्ति से ठीक	सिपाही के पद	
					पहले धारित किसी अन्य	के लिए अभ्यर्थी	
					काडर बाह्य पद पर	का चयन करने	
					प्रतिनियुक्ति की अवधि	के लिए जाँच	
					साधारणतया तीन वर्ष से	समिति या चयन	
					अधिक नहीं होगी।	समिति के	

		सदस्यों के रूप	
	टिप्पण २	में कार्य करेंगे।	
	प्रतिनियुक्ति(जिसके		
	अंतर्गत अल्पकालिक		
	संविदा भी हो) द्वारा		
	नियुक्ति के लिए		
	अधिकतम आयु-सीमा		
	आवेदन प्राप्त करने की		
	अंतिम तारीख को 56 वर्ष		
	से अधिक नहीं होगी।		

		•			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48. कनिष्ठ	20* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन।	18 से 27 वर्ष की
सचिवालय	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ग'	स्तर-2		आयु के बीच।
सहायक।	परिवर्तन किया जा सकता	पद के समतुल्य।	(ক.19900 -		
	है।		63200) I		(केन्द्रीय सरकार द्वारा
					जारी अनुदेशों या
					आदेशों के अनुसार
					विभागीय अभ्यर्थियों
					के लिए आयु सीमा में
					चालीस वर्ष तक
					शिथिल की जा सकती
					है)।
					टिप्पण:- आयु-सीमा
					अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख
					अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए
					नियत अंतिम तारीख होगी, न कि वह
					अंतिम तारीख जो
					असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, हिमाचल
					प्रदेश के लाहौल और
					स्पीति जिले और पांगी
					उप-मंडल तथा
					लद्दाख , अंडमान और
					निकोबार द्वीप समूह
					और लक्षद्वीप संघ
					राज्य क्षेत्रों के
					अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक:	हां, स्तंभ (11)	दो वर्ष	(i) 70% सीधी	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
(i) किसी	के अधीन		भर्ती द्वारा ।	30% रिक्तियां, ज्येष्ठता-	समिति (प्रोन्नति	
मान्यता प्राप्त	उपदर्शित	टिप्पण :-		सह-उपयुक्तता के आधार	के संबंध में	
बोर्ड से 12 ^{वीं}	सीमा तक।	केन्द्रीय	(ii) 30% प्रोन्नति	पर राष्ट्रीय मानव अधिकार	विचार करने के	
<i>कक्षा</i> उत्तीर्ण;		सरकार द्वारा	द्वारा।	आयोग के बहुकार्य	लिए) में	
तथा		विहित		कर्मचारीवृन्दं के रूप में	निम्नलिखित	
		परिवीक्षा को		समूह गं के कर्मचारियों	होंगे:-	
(ii) कंप्यूटर पर		सफलता		में से वेतन मैट्रिक्स स्तर-1	1. संयुक्त	
कौशल पाठ		पूर्वक पूरा		(18000-56900 रुपये) से	सचिव, राष्ट्रीय	
सन्नियम,-		करने के लिए		भरी जाएंगी और जिन्होंने	मानव अधिकार	
(क) अंग्रेजी में		सीधे भर्ती		उस श्रेणी में तीन वर्ष की	आयोग- अध्यक्ष;	
प्रति मिनट		किए जाने		नियमित सेवा की हो।	.,	
पैंतीस शब्द की		वाले व्यक्तियों			2. निदेशक,	
टाइपिंग गति;		के लिए कम		टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ	राष्ट्रीय मानव	
या		से कम दो		व्यक्तियों के संबंध में,	अधिकार	
 (ख) कम्प्यूटर		सप्ताह की		जिन्होंने अपनी अर्हक या	आयोग –	
पर हिन्दी में		अवधि की		पात्रता सेवा पूरी कर ली	सदस्य;	
तीस शब्द प्रति		अनिवार्य		है, प्रोन्नति के लिए विचार	(19(1))	
मिनट।		प्रवेश		किया जा रहा हो, वहां	3. अवर सचिव,	
MINET		प्रशिक्षण		उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के	उ. अवर सायव, राष्ट्रीय मानव	
		होगा।		संबंध में भी विचार किया	अधिकार	
		QIAIT		जाएगा, परंतु यह तब	आयोग –	
				जबिक उसके द्वारा की	सदस्य।	
				गई ऐसी अर्हक या पात्रता	राष्ट्रभा	
				सेवा, अपेक्षित अर्हक या	विभागीय	
				पात्रता सेवा के आधे से	पुष्टिकरण	
				अधिक से या दो वर्ष से,	सुमिति	
				इनमें से जो भी कम हो,		
				कम न हो और उन्होंने	(पुष्टिकरण के संबंध में विचार	
				अपने ऐसे कनिष्ठ	संबंध में विचार करने के लिए)	
				•	,,	
				व्यक्तियों सहित, जिन्होंने	जिसमें रिक्टिक	
				ऐसी अर्हक या पात्रता	निम्नलिखित ों)	
				सेवा पहले ही पूरी कर ली	होंगे:-	
				है, अगली उच्चतर श्रेणी में	1. संयुक्त स्टिन समीप	
				प्रोन्नति के लिए अपनी	सचिव, राष्ट्रीय	
				परिवीक्षा अवधि	मानव अधिकार	
				सफलतापूर्वक पूरी कर	आयोग- अध्यक्ष;	
				ली हो।	63	
					2. निदेशक,	
					राष्ट्रीय मानव	
					अधिकार	
					आयोग –	
					सदस्य;	
					_	
					3. उप सचिव,	
					राष्ट्रीय मानव	

		अधिकार	
		आयोग –	
		सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49. सवार	2* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
हरकारा।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ग' पद	स्तर-2		
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(ই.19900-		
	है।		63200) I		

(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं	लागू	नहीं	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति (जिसके	खोज-सह-चयन	लागू नहीं होता।
	होता।	होता।		द्वारा (जिसके	अंतर्गत अल्पकालिक	समिति	
				अंतर्गत	संविदा भी हो):	(प्रतिनियुक्ति के	
				अल्पकालिक	केन्द्रीय सरकार या राज्य	संबंध में): -	
				संविदा भी है)।	सरकारों या संघ राज्य	1. निदेशक,	
					क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त	राष्ट्रीय मानव	
				भूतपूर्व सैनिकों	निकायों या कानूनी	अधिकार	
				के लिए:	संगठनों या पब्लिक	आयोग –	
				प्रतिनियुक्ति या	सेक्टर उपक्रमों या	अध्यक्ष;	
				पुनर्नियोजन।	मान्यता प्राप्त		
					विश्वविद्यालयों या मान्यता	2. अवर सचिव,	
					प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं	राष्ट्रीय मानव	
					के अधिकारी -	अधिकार	
					(क)(i) जिन्होंने मूल	आयोग –	
					काडर या विभाग में	सदस्य;	
					नियमित आधार पर सदृश		
					पद धारण किया हुआ हो;	३. पुलिस	
					और	उपाधीक्षक,	
					(ii) जिन्होंने मूल काडर	राष्ट्रीय मानव	
					या विभाग में वेतन	अधिकार	
					मैट्रिक्स स्तर-1 (18000-	आयोग –	
					५६९०० रुपये) या	सदस्य।	
					समतुल्य में नियमित		
					आधार पर पद पर	टिप्पण -	
					नियुक्ति के पश्चात तीन	उपरोक्त समिति	
					वर्ष की सेवा की हो; और	के सदस्य,	
						राष्ट्रीय मानव	
					(ख) निम्नलिखित	अधिकार	
					शैक्षणिक अर्हताएं और	आयोग में	
					अनुभव रखते हों, अर्थात:	डिस्पैच राइडर	
					-	के पद के लिए	
					(i) किसी मान्यता प्राप्त	अभियर्थी का	
					बोर्ड से 10 वीं कक्षा	चयन करने के	
					उत्तीर्ण;	लिए यथास्तिथि	
					(ii) मोटर साइकिल या	जाँच समिति या	
					ऑटो रिक्शा के लिए	चयन समिति के	

	विधिमान्य चालन सदस्यों के रूप
	अनुज्ञप्ति का होना; में कार्य करेंगे ।
	(iii) मोटरसाइकिल या
	ऑटो रिक्शा चलाने में दो
	वर्ष का अनुभव; और
	(iv) मोटर साइकिल या
	ऑटो रिक्शा मेकनिज़म
	का ज्ञान।
	771 (11 11
	2
	टिप्पण 1 अभ्यर्थी वाहन
	में छोटी-मोटी खराबी को
	दूर करने में समर्थ हों।
	टिप्पण २ प्रतिनियुक्ति
	_
	की अवधि (जिसके
	अंतर्गत अल्पकालिक
	संविदा भी हो) जिसके
	अंतर्गत उसी या किसी
	अन्य संगठन या विभाग में
	इस नियुक्ति से ठीक
	पहले धारित किसी अन्य
	काडर बाह्य पद पर
	प्रतिनियुक्ति की अवधि
	(जिसके अंतर्गत
	अल्पकालिक संविदा भी
	हो) साधारणतया तीन वर्ष
	से अधिक नहीं होगी।
	टिप्पण ३ प्रतिनियुक्ति
	_
	(अंतर्गत जिसके
	अल्पकालिक संविदा भी
	हो) द्वारा नियुक्ति के लिए
	अधिकतम आयु-सीमा
	आवेदन प्राप्त करने की
	अंतिम तारीख को 56 वर्ष
	से अधिक नहीं होगी।
	भूतपूर्व सैनिकों के लिए:
	प्रतिनियुक्ति या
	पुनर्नियोजन।
	3.11.141.01.11
	सशस्त्र बल कार्मिक के
	संबंध में विचार किया
	जायेगा जो एक वर्ष की
	अवधि के भीतर
	सेवानिवृत्त होने वाले हैं या
	जिन्हें रिजर्व में
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

स्थानांतरित किया जाना है
और जिनके पास
प्रतिनियुक्ति के लिए
विहित अर्हताएं और
अनुभव हैं, यदि उनका
चयन किया जाता है, तो
ऐसे अधिकारियों को उसी
स्तर तक प्रतिनियुक्ति सा
निबंधनों पर रखा जायेगा
जिस तारीख का उन्हें
सशस्त्र बल से निमुक्त
किया जाता है, तत्पश्चात
उन्हें पुनर्नियोजन पर बने
रहने दिया जा सकता है।

	T	T			T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50. बहुकार्य	67* (2025)	भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की
कर्मचारीवृन्द।	* कार्यभार के आधार पर	के समूह 'ग' पद	स्तर-1		आयु के बीच।
	परिवर्तन किया जा सकता	के समतुल्य।	(ই.18000-		
	है।	, and the second	56900) I		(केन्द्रीय सरकार द्वारा
					जारी अनुदेशों या
					आदेशों के अनुसार
					विभागीय अभ्यर्थियों
					के लिए आयु सीमा में
					चालीस वर्ष तक
					शिथिल की जा सकती
					है)।
					() (
					टिप्पण :- आयु-सीमा
					अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख
					अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए
					नियत अंतिम तारीख
					होगी, न कि वह
					अंतिम तारीख जो
					असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, हिमाचल
					प्रदेश के लाहौल और
					स्पीति जिले और पांगी
					उप-मंडल तथा
					लद्दाख , अंडमान और
					निकोबार द्वीप समूह
					और लक्षद्वीप संघ

		राज्य	क्षेत्रों	के
		अभ्यर्थियों	के	लिए
		विहित र्क	गे गई है	है।

	1	T	T		Г	Г
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण :- केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा पूर्वक के लिए पूर्वक के लिए असित्यों के लिए कम की अनिवार्य प्रवेश प्रवेश प्रवेश होगा।	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी - (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; और (ख) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं और अनुभव रखता हों। टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत उसी वा किसी सो हो) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्षः; 2. निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य; 3. सहायक रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।	लागू नहीं होता।

	नियुक्ति के लिए	
	अधिकतम आयु-सीमा	
	आवेदन प्राप्त करने की	
	अंतिम तारीख को 56 वर्ष	
	से अधिक नहीं होगी।	

[फा. सं. 15011/74/2023-एचआर. III] राकेश कुमार पांडेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2025

G.S.R. 873(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994) and in supersession of the national Human rights Commission (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the posts of Director General (Investigation), Private Secretary, Senior Accounts Officer, Section Officer, Deputy Superintendent of Police, Inspector, Personal Assistant and Assistant; and the National Human Rights Commission (Salaries, Allowances and Conditions of Service of Officers and other Staff) Rules, 2020, in so far as they relate to the posts of Registrar (Law), Joint Secretary, Chief Coordinator (Training), Presenting Officer, Deputy Inspector General, Senior Superintendent of Police, Director, Joint Registrar, Deputy Registrar, Joint Director (Research), Senior Principal Private Secretary, Deputy Secretary, Assistant Registrar, Under Secretary, Senior Research Officer, Principal Private Secretary, Senior System Analyst, Information and Public Relations Officer, System Analyst, Assistant Information Officer, Research Officer, Librarian/ Documentation Officer, Assistant Director (Hindi), Programmer, Senior Research Assistant, Assistant Accounts Officer, Deputy Documentation Officer, Research Assistant, Programmer Assistant, Accountant, Staff Car Driver (Special Grade), Staff Car Driver Grade-I, Staff Car Driver Grade-II, Staff Car Driver (ordinary grade), Junior Accountant, Upper Division Clerk, Assistant Librarian, Stenographer Grade-D, Constable, Lower Division Clerk, Despatch Rider and Multi-Tasking Staff, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director General (Investigation), Registrar (Law), Joint Secretary, Chief Coordinator (Training), Presenting Officer, Deputy Inspector General, Senior Superintendent of Police, Director, Joint Registrar, Deputy Registrar, Joint Director (Research), Senior Principal Private Secretary, Deputy Secretary, Assistant Registrar, Under Secretary, Senior Research Officer, Principal Private Secretary, Senior System Analyst, Information and Public Relations Officer, Deputy Superintendent of Police, Senior Accounts Officer, System Analyst, Assistant Information Officer, Research Officer, Librarian-cum-Documentation Officer, Assistant Director (Hindi), Assistant Accounts Officer, Private Secretary, Section Officer, Assistant Section Officer, Inspector, Personal Assistant, Programmer, Senior Research Assistant, Deputy Documentation Officer, Research Assistant, Programmer Assistant, Accountant, Staff Car Driver (Special Grade), Staff Car Driver Grade-I, Staff Car Driver Grade-II, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Junior Accountant, Senior Secretariat Assistant, Assistant Librarian, Stenographer Grade-D, Constable, Junior Secretariat Assistant, Despatch Rider and Multi-Tasking Staff in the National Human Rights Commission, namely: -

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Human Rights Commission (Salaries, Allowances and Conditions of Service of Officers and other Staff) Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Application .- These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexured to these rules.
- 3. Definition .- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994);
- (b) "Commission" means the National Human Rights Commission constituted under section 3 of the Act;
- (2) Words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings assigned to them in the Act.

- 4. Officers and Staff of the Commission .- The nature and categories of the officers and staff of the Commission and the method of recruitment and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in the Schedule appended to these rules;
- 5. Conditions of service .- The conditions of service of the officers and staff of the Commission in the matter of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are applicable to officers and staff belonging to the Central Government, as the case may be, of the corresponding level in pay matrix attached to these posts, subject to the approval of competent authority in the matter; and
- 6. Medical facilities .- The officers and staff of the Commission in the matter of medical facilities shall be covered under the Central Government Health Scheme facilities.
- 7. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 8. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matter relating to the aforesaid posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **9.** Appointing authority .- (1) All appointments equivalent to Group 'A' posts to the Commission shall be made by the Chairperson, National Human Rights Commission.
- (2) All appointments equivalent to Group 'B' posts to the Commission shall be made by the Secretary General, National Human Rights Commission.
- (3) All appointments equivalent to Group 'C' posts to the Commission shall be made by the Director, National Human Rights Commission.
- **10.** Disqualification .- No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 11. Powers to relax .- The powers to relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons shall vest with the Chairperson, National Human Rights Commission to be exercised in consultation with the Central Government.
- 12. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay	Whether selection	Age-limit for direct
			matrix.	post or non-	recruits.
				selection post.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director	1* (2025)	Equivalent to	Level-16 in the	Not applicable.	Not applicable.
General	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
(Investigation).	dependent on workload.	to the	(Rs.205400-		
		Government of	224400).		
		India.			

Educational	Whether age	Period of	Method of	In case of recruitment	If a	Circumstances
and other	and	probation,	recruitment	by promotion or by	Departmental	under which
qualifications	educational	if any.	whether by	deputation/ absorption,	Promotion	Union Public
required for	qualifications		direct	grades from which	Committee	Service
direct recruits.	prescribed for		recruitment or	promotion or	exists, what is	Commission is
	direct recruits		by promotion	deputation/ absorption	its	to be consulted
	will apply in		or by	to be made.	composition.	in making
	the case of		deputation/			recruitment.

	mmone - t	1	obsometica au 1		T	
	promotees.		absorption and			
			percentage of the vacancies			
			to be filled by			
			various			
			methods.			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation.	Deputation:	Search-cum-	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.		Officers of the Indian	Selection	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tr ····	Tr ·····			Police Service in the	Committee	
				Central	(in respect of	
				Government,-	deputation): -	
				(a) holding analogous	1.	
				posts on a regular	Chairperson,	
				basis in the parent	National	
				cadre or Department;	Human	
				and	Rights	
				(b) possessing the	Commission-	
				following educational qualifications,	Chairperson;	
				namely: -	2. Member,	
				Bachelor's degree	National	
				from a recognised	Human	
				University or	Rights	
				recognised institute.	Commission-	
				NY . 1 771	Member;	
				Note 1 The period	2.0	
				of deputation	3. Secretary General,	
				including the period of deputation in	National	
				another <i>ex-cadre</i> post	Human	
				held immediately	Rights	
				preceding this	Commission	
				appointment in the	-Member.	
				same or some other	Note	
				organisation or department of the	The Members	
				Central Government	of the above	
				shall ordinarily not	Committee	
				exceed five years.	will act as	
					Members of	
				Note 2 The maximum	the Screening	
				age-limit for	Committee or	
				appointment by	Selection	
				deputation shall be not	Committee as	
				exceeding fifty-eight	the case may	
				years as on the closing	be to select	
				date of receipt of	candidate for	
				applications.	the post of Director	
					General	
					(Investigation)	
					in the National	
					Human Rights	
					Commission.	
					Commission.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Registrar	1* (2025)	Equivalent to	Level-15 in the	Not applicable.	Not applicable.
(Law).	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.182200-		
		Government of	224100).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation	Deputation (including	Search-cum-	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	(including	short-term contract):	Selection	
			short-term	Officers holding the	Committee (in	
			contract),	post of Registrar	respect of	
			failing which	(Judicial) of Supreme	deputation): -	
			by re-	Court or High Courts	1.	
			employment.	or Tribunals or	Chairperson,	
			1 ,	Members of Higher	National	
				Judicial Service of the	Human Rights	
				Central Government or	Commission-	
				State Governments or	Chairperson;	
				autonomous bodies or	_	
				statutory organisations	2. Member,	
				or public sector	National	
				undertakings or	Human Rights	
				recognised Universities	Commission-	
				or recognised research	Member;	
				institutions, -		
					3. Secretary	
				(a) holding analogous	General,	
				posts on a regular basis	National	
				in the parent cadre or	Human Rights	
				Department; and	Commission –	
				(b) possessing the	Member.	
				following educational		
				qualifications, namely:-	37	
				Bachelor's degree with	Note	
				Law from a recognised	The Members	
				University or	of the above	
				recognised institute.	Committee	
				D1	will act as	
				By re-employment: Persons who have held	Members of the Screening	
				analogous post under	Committee or	
				the Central	Selection	
				Government or	Committee as	
				Supreme Court or High	the case may	
				Court and possessing	be to select	
				experience as Registrar	candidate for	
				of a higher judiciary or	the post of	
				of any other post	Registrar	
				involving interpretation	(Law) in the	
				or application of	National	
				statues.	Human Rights	
					Commission.	
				Note 1 The period of		
				deputation (including		
				short-term contract)		
				including the period of		
				deputation (including		
				short-term contract) in		
				another ex-cadre post		
				held immediately		
				preceding this		
				appointment in the		
				same or some other		
				organisation or		
				department shall		
				ordinarily not exceed		
				five years.		

Note 2 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.
Note 3 In case of reemployment the engagement shall be for a period of three years or sixty-five years of age whichever is earlier.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Joint	1* (2025)	Equivalent to	Level-14 in the	Not applicable.	Not applicable.
Secretary.	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.144200-		
		Government of	218200).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation.	Deputation:	Not	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.		Officers of the All-	applicable.	
			For ex-	India Services		
			servicemen:	empanelled or Central		
			Deputation or	Government Organised		
			re-	Group 'A' Services, -		
			employment.	(a)(i) holding		
				analogous posts on a		
				regular basis in the		
				parent cadre or		
				Department; or		
				(ii) with three years'		
				service rendered after		
				appointment to the post		
				on a regular basis in		
				level-13 in the pay		
				matrix (Rs.123100-		
				215900) or equivalent		
				in the parent cadre or		
				department; and		
				(b) possessing the		
				following educational		
				qualifications, namely:-		
				Bachelor's degree from		
				a recognised University		
				or recognised institute.		
				Note 1 The period of		
				deputation including		
				the period of		
				deputation in another		
				ex-cadre post held		
				immediately preceding		
				this appointment in the		
				same or some other		

	organisation or department shall ordinarily not exceed five years.	
	Note 2 The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.	
	For Ex-servicemen: (Deputation or re- employment:) The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms	
	up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Chief	1* (2025)	Equivalent to	Level-14 in the	Not applicable.	Not applicable.
Coordinator	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
(Training).	dependent on workload.	to the	(Rs.144200-		
		Government of	218200).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation	Deputation (including	Search-cum-	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	(including	short-term contract):	Selection	
			short-term	Officer of the Central	Committee (in	
			contract).	Government or State	respect of	
				Governments or Union	deputation): -	
				territory	1.	
				Administrations or	Chairperson,	
				autonomous bodies or	National	
				statutory organisations	Human Rights	
				or public sector	Commission -	
				undertakings or	Chairperson;	
				recognised Universities		
				or recognised research	2. Member,	
				institutions, -	National	
					Human Rights	
				(a)(i) holding	Commission –	
				analogous posts on a	Member;	

	T
regular basis in the	
parent cadre or	3. Secretary
Department; or	General,
(ii) with three years'	National
service rendered after	Human Rights
appointment to the post	Commission –
on a regular basis in	Member.
level-13 in the pay	
matrix (Rs.123100-	Note
215900) or equivalent	The Members
in the parent cadre or	of the above
department; or	Committee
(iii) with eight years'	
service rendered after	Members of
appointment to the post	the Screening
on a regular basis in	Committee or
level-12 in the pay	Selection
matrix (Rs.78800-	Committee as
209200) or equivalent	the case may
in the parent cadre or	be to select
department; and	candidate for
(b) possessing the	the post of
following educational	Chief
qualifications, namely:-	Coordinator
Bachelor's degree from	(Training) in
a recognised University	the National
or recognised institute.	Human Rights
	Commission.
Note 1 The period of	
deputation (including	
short-term contract)	
including the period of	
deputation (including	
short-term contract) in	
another <i>ex-cadre</i> post	
held immediately	
preceding this	
appointment in the	
same or some other	
organisation or	
department shall	
ordinarily not exceed	
five years.	
Note 2 The maximum	
age-limit for	
appointment by	
deputation (including	
short-term contract)	
shall be not exceeding	
fifty-eight years as on	
the closing date of	
receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Presenting	5* (2025)	Equivalent to	Level-14 in the	Not applicable.	Not applicable.
Officer.	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.144200-		
		Government of	218200).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation	Deputation (including	Search-cum-	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	(including	short-term contract):	Selection	
			short-term	Judicial Officer	Committee (in	
			contract).	holding the posts of	respect of	
				District Judge or	deputation): -	
				Session Judge or	1.	
				Additional District	Chairperson,	
				Judge or Special Judge	National	
				of the Central	Human Rights	
				Government or State	Commission-	
				Governments or Union	Chairperson;	
				territory		
				Administration or	2. Member,	
				autonomous bodies or	National	
				statutory organisations	Human Rights	
				or public sector	Commission –	
				undertakings or	Member;	
				recognised Universities		
				or recognised research	3. Secretary	
				institutions, -	General,	
				(a) holding analogous	National	
				posts on a regular basis	Human Rights	
				in the parent cadre or	Commission –	
				Department; and	Member;	
				(b) possessing the	4.5	
				following educational	4. Registrar	
				qualifications, namely:-	(Law),	
				Bachelor's degree with	National	
				Law from a recognised	Human Rights	
				University or	Commission— Member.	
				recognised institutes.	Member.	
				Note 1 The period of	Note	
				deputation (including	The Members	
				short-term contract)	of the above	
				including the period of	Committee	
				deputation (including	will act as	
				short-term contract) in	Members of	
				another ex-cadre post	the Screening	
				held immediately	Committee or	
				preceding this	Selection	
				appointment in the	Committee as	
				same or some other	the case may	
				organisation or	be to select	
				department shall	candidate for	
				ordinarily not exceed	the post of	
				five years.	Presenting	
				NI O TEN	Officer in the	
				Note 2 The maximum	National	
				age-limit for	Human Rights	
				appointment by	Commission.	
				deputation (including		
				short-term contract)		
				shall be not exceeding		
				fifty-eight years as on		
				the closing date of		
				receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Deputy	1* (2025)	Equivalent to	Level-13A in	Not applicable.	Not applicable.
Inspector	* Subject to variation	Group 'A' post	the pay matrix		

General.	dependent on workload.	to the	(131100-
		Government of	216600).
		India.	

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation.	Deputation:	Search-cum-	Not
applicable.	applicable.	applicable.		Officers of the Indian	Selection	applicable.
				Police Service or	Committee (in	
				Central Police	respect of	
				Organisations in the	deputation): -	
				Central Government, –	1. Member,	
				(a) holding analogous	National Human	
				posts on a regular basis	Rights	
				in the parent cadre or	Commission –	
				Department; and	Chairperson;	
				(b) possessing the		
				following educational	Secretary	
				qualifications, namely:-	General,	
				Bachelor's degree from	National Human	
				a recognised University	Rights	
				or recognised institute.	Commission –	
					Member;	
				Note 1 The period of		
				deputation including	3. Director	
				the period of	General	
				deputation in another	(Investigation),	
				ex-cadre post held	National Human	
				immediately preceding	Rights	
				this appointment in the	Commission –	
				same or some other	Member.	
				organisation or		
				department shall	Note	
				ordinarily not exceed	The Members of	
				five years.	the above	
				N . 2 . TT	Committee will	
				Note 2 The maximum	act as Members	
				age-limit for	of the Screening	
				appointment by	Committee or	
				deputation shall be not	Selection	
				exceeding fifty-six	Committee as	
				years as on the closing	the case may be	
				date of receipt of	to select candidate for	
				applications.	the post of	
					Deputy	
					Inspector General in the	
					National Human	
					Rights Commission.	
L					Commission.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Senior	4* (2025)	Equivalent to	Level-13 in the	Not applicable.	Not applicable.
Superintendent	* Subject to variation	Group 'A' post to	pay matrix		
of Police.	dependent on workload.	the Government of	(Rs.123100-		
	_	India.	215900).		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation.	Deputation:	Search-cum-	Not
applicable.	applicable.	applicable.		Officers of the Indian	Selection	applicable.
				Police Service or	Committee (in	

Control Control	
Central Government	respect of
Police Organisations or	deputation): -
State Governments	1. Secretary
Police Organisations or	General,
Union territories Police	National Human
Organisations,-	Rights
(a)(i) holding analogous	Commission –
posts on a regular basis	Chairperson;
in the parent cadre or	
Department; or	2. Director
(ii) with five years'	General
service rendered after	(Investigation),
appointment to the post	National Human
on a regular basis in	Rights
level-12 in the pay	Commission –
matrix (Rs.78800-	Member;
209200) or equivalent	Tricinoci,
in the parent cadre or	3. Joint
department; and	Secretary,
-	National Human
(b) possessing the	
following educational	Rights
qualifications, namely:-	Commission –
Bachelor's degree from	Member.
a recognised University	
or recognised institute.	Note
	The Members of
Note 1 The period of	the above
deputation including	Committee will
the period of	act as Members
deputation in another	of the Screening
<i>ex-cadre</i> post held	Committee or
immediately preceding	Selection
this appointment in the	Committee as
same or some other	the case may be
organisation or	to select
department shall	candidate for
ordinarily not exceed	the post of
five years.	Senior Senior
	Superintendent
Note 2 The maximum	of Police in the
age-limit for	National Human
appointment by	Rights
deputation shall be not	Commission.
exceeding fifty-six	Commission.
years as on the closing	
date of receipt of	
application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Director.	1* (2025)	Equivalent to	Level-13 in the	Selection.	Not applicable.
	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.123100-		
		Government of	215900).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	failing which	Deputy Secretary in	Promotion	
			by deputation	National Human Rights	Committee	
			(including	Commission in level-	(for	

short-term contract).

For Exservicemen: Deputation or reemployment. 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years of regular service in the grade.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,-(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

considering promotion) consisting of: 1. Secretary General,
National
Human Rights
Commission –
Chairperson;

- 2. Registrar (Law), National Human Rights Commission – Member;
- 3. Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member.

		(i) Rochelon's doors	
		(i) Bachelor's degree	
		from a recognised	
		University or	
		recognised institutes;	
		and	
		(ii) with five years'	
		experience in personnel	
		and general	
		administrative matters.	
		Note 1 The	
		departmental officers	
		in the feeder category	
		who are in the direct	
		line of promotion shall	
		not be eligible for	
		consideration for	
		appointment on	
		deputation. Similarly,	
		the deputationists shall	
		not be eligible for	
		consideration for	
		appointment by	
		promotion.	
		Promotion.	
		Note 2 The period of	
		Note 2 The period of	
		deputation (including	
		short-term contract)	
		including the period of	
		deputation (including	
		short-term contract) in	
		another ex-cadre post	
		held immediately	
		preceding this	
		appointment in the	
		same or some other	
		organisation or	
		department shall	
		ordinarily not exceed	
		five years.	
		Note 3 The maximum	
		age-limit for	
		appointment by	
		deputation (including	
		short-term contract)	
		shall be not exceeding	
		fifty-six years as on the	
		closing date of receipt	
		of applications.	
		For Ex-servicemen:	
		(Deputation or Re-	
		employment)	
		The Armed Forces	
		Personnel due to retire	
		or who are to be	
		transferred to reserve	
		within a period of one	
		year and having the	
		qualifications and	
		experience prescribed	

			for deputationists, shalso be considered for deputation. If selected such officers shall be given deputation terrup to the date on what they are due for release from the Armed Formand thereafter, they may be continued or re-employment term	or ed, e ms ich ase ces	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Joint	1* (2025)	Equivalent to	Level-13 in the	Selection.	Not applicable.
Registrar.	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.123100-		
		Government of	215900).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	failing which	Deputy Registrar in	Promotion	
			by deputation	National Human Rights	Committee	
			(including	Commission in level-	(for	
			short-term	12 in the pay matrix	considering	
			contract).	(Rs.78800-209200)	promotion)	
				with five years' regular	consisting of:	
				service in the grade.	-	
					 Secretary 	
				Note Where juniors	General,	
				who have completed	National	
				their qualifying or	Human Rights	
				eligibility service are	Commission –	
				being considered for	Chairperson;	
				promotion, their		
				seniors shall also be	2. Registrar	
				considered provided	(Law),	
				they are not short of the	National	
				requisite qualifying or	Human Rights	
				eligibility service by	Commission –	
				more than half of such	Member;	
				qualifying or eligibility		
				service or two years,	3. Joint	
				whichever is less, and	Secretary,	
				have successfully	National	
				completed their	Human Rights	
				probation period for	Commission –	
				promotion to the next	Member.	
				higher grade along with		
				their juniors who have		
				already completed such		
				qualifying or eligibility		
				service.		
				Deputation (including		
				short-term contract):		
				Officers of the Central		
				Government or State		
				Governments or Union		
				territory		
				Administrations or		
				autonomous bodies or		
		<u> </u>	<u> </u>	statutory organisations		

		or public sector	
		undertakings or	
		recognised Universities	
		or recognised research	
		institutions,-	
		(a) (i) holding	
		analogous post on a	
		regular basis in the	
		parent cadre or	
		department; or (ii) with five years'	
		service rendered after	
		appointment to the post	
		on a regular basis in	
		level-12 in the pay	
		matrix (Rs.78800-	
		209200) or equivalent	
		in the parent cadre or	
		department; and	
		(h) magaggir = 41	
		(b) possessing the following educational	
		qualifications and	
		experience, namely:-	
		(i) Bachelor's degree	
		with Law from a	
		recognised University	
		or recognised institutes;	
		and	
		(ii) with five years	
		experience in Court	
		matters in any Court of Law or Tribunals or	
		statutory commission	
		and such other bodies.	
		Surer outer	
		Note 1 The	
		departmental officers	
		in the feeder category	
		who are in the direct	
		line of promotion shall	
		not be eligible for	
		consideration for appointment on	
		deputation. Similarly,	
		the deputationists shall	
		not be eligible for	
		consideration for	
		appointment by	
		promotion.	
		N . 2	
		Note 2 The period of	
		deputation (including	
		short-term contract) including the period of	
		deputation (including	
		short-term contract) in	
		another <i>ex-cadre</i> post	
		held immediately	
		preceding this	
		appointment in the	
		same or some other	
-		 	

			organisation or department shall ordinarily not ex five years.		
			Note 3 The ma age-limit for appointment by deputation (inclu- short-term contr- shall be not exce- fifty-six years as closing date of r of applications.	uding act) eeding s on the	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Deputy Registrar.	3*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post to the	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-	Selection.	Not applicable.

209200).

Government of

India.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	failing which	Assistant Registrar in	Promotion	
			by deputation	National Human Rights	Committee	
			(including	Commission in level-	(for	
			short-term	11 in the pay matrix	considering	
			contract).	(Rs.67700-208700)	promotion)	
				with five years' regular	consisting of :-	
				service in the grade.	 Secretary 	
					General,	
				Note Where juniors	National	
				who have completed	Human Rights	
				their qualifying or	Commission-	
				eligibility service are	Chairperson;	
				being considered for		
				promotion, their	2. Registrar	
				seniors shall also be	(Law),	
				considered provided	National	
				they are not short of the	Human Rights	
				requisite qualifying or	Commission-	
				eligibility service by	Member;	
				more than half of such		
				qualifying or eligibility	3. Joint	
				service or two years,	Secretary,	
				whichever is less, and	National	
				have successfully	Human Rights	
				completed their	Commission –	
				probation period for	Member.	
				promotion to the next		
				higher grade along with		
				their juniors who have		
				already completed such		
				qualifying or eligibility		
				service.		
				Donutation (including		
				Deputation (including short-term contract):		
				Officers of the Central		
				Government or State		
				Governments or Union		

		territory	
		Administrations or	
		autonomous bodies or	
		statutory organisations	
		or public sector	
		undertakings or	
		recognised Universities	
		or recognised research	
		institutions,-	
		(a)(i) holding analogous	
		post on a regular basis	
		in the parent cadre or	
		department; or	
		(ii) with five years'	
		service rendered after	
		appointment to the post	
		on a regular basis in	
		level-11 in the pay	
		matrix (Rs. 67700-	
		208700) or equivalent	
		in the parent cadre or	
		department; and	
		(b) possessing the	
		following educational	
		qualifications and	
		experience, namely: -	
		(i) Bachelor's Degree	
		with Law from a	
		recognised University	
		or recognised institutes;	
		and	
		(ii) with five years'	
		experience in Court	
		matters in any Court of	
		Law or Tribunals or	
		statutory commission	
		and such other bodies.	
		Note 1 The	
		departmental officers	
		in the feeder category	
		who are in the direct	
		line of promotion shall	
		not be eligible for	
		consideration for	
		appointment on	
		deputation.	
		Similarly, the	
		deputationists shall not	
		be eligible for	
		consideration for	
		appointment by	
		promotion.	
		Note 2 The period of	
		deputation (including	
		short-term contract)	
		including the period of	
		deputation (including	
		short-term contract) in	
		another ex-cadre post	
 	-	 	

held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.
Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Joint	1* (2025)	Equivalent to	Level-12 in	Selection.	Not applicable.
Director	* Subject to variation	Group 'A' post	the pay		
(Research).	dependent on workload.	to the	matrix		
		Government of	(Rs.78800-		
		India.	209200).		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By	Promotion:	Departmental	Not
applicable.	applicable.	applicable.	promotion,	Senior Research Officer	Promotion	applicable.
			failing which	in the National Human	Committee	
			by deputation	Rights Commission in	(for	
			(including	level-11 in the pay	considering	
			short-term	matrix (Rs. 67700-	promotion)	
			contract).	208700) with five years'	consisting of:-	
				regular service in the		
				grade.	 Secretary 	
					General,	
				Note Where juniors	National	
				who have completed	Human Rights	
				their qualifying or	Commission –	
				eligibility service are	Chairperson;	
				being considered for		
				promotion, their seniors	2. Registrar	
				shall also be considered	(Law),	
				provided they are not	National	
				short of the requisite	Human Rights Commission –	
				qualifying or eligibility service by more than	Member;	
				half of such qualifying	Member;	
				or eligibility service or	3. Joint	
				two years, which ever is	Secretary,	
				less, and have	National	
				successfully completed	Human Rights	
				their probation period	Commission –	
				for promotion to the	Member.	
				next higher grade along	Wichioci.	
				with their juniors who		
				have already completed		
				such qualifying or		
				eligibility service.		
				Deputation (including		

I	T	I	about towns senter (1)	
			short-term contract):	
			Officers of the Central	
			Government or State	
			Governments or Union	
			territory	
			Administrations or	
			autonomous bodies or	
			statutory organisations	
			or public sector	
			undertakings or	
			recognised Universities	
			or recognised research	
			institutions,-	
			(a) (i) holding	
			analogous post on a	
			regular basis in the	
			parent cadre or	
			department; or	
			(ii) five years' service	
			rendered after	
			appointment to the post	
			on a regular basis in	
			level-11 in the pay	
			matrix (Rs. 67700-	
			208700) or equivalent in	
			the parent cadre or	
			department; and	
			(b) possessing the	
			following educational	
			qualifications and	
			experience, namely:-	
			p,	
			(i) Master of Laws or	
			Social Science (Political	
			Science or Sociology or	
			Social Work or	
			Economics or Human	
			Rights or Psychology or	
			Population Studies or	
			Criminology) or	
			Statistics from a	
			recognised University	
			or recognised institute;	
			and	
			(ii) Five years' research	
			experience in Social	
			Science or Statistics.	
			Note 1 The	
			departmental officers in	
			the feeder category who	
			are in the direct line of	
			promotion shall not be	
			eligible for	
			consideration for	
			appointment on	
			deputation. Similarly,	
			the deputationists shall	
			not be eligible for	
			consideration for	
			appointment by	
		L. L	•	

	promotion.
	Note 2 The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.
	Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. Senior	1* (2025)	Equivalent to	Level-12 in the	Selection.	Not applicable.
Principal Private	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
Secretary.	dependent on workload.	to the	(Rs.78800-		
		Government of	209200).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	failing which	Principal Private	Promotion	
			by deputation	Secretary in the	Committee	
			(including	National Human Rights	(for	
			short-term	Commission in level-	considering	
			contract).	11 in the pay matrix	promotion)	
				(Rs.67700-208700)	consisting of:	
				with five years' regular		
				service in the grade.	 Secretary 	
					General,	
				Note Where juniors	National	
				who have completed	Human Rights	
				their qualifying or	Commission-	
				eligibility service are	Chairperson;	
				being considered for		
				promotion, their		
				seniors shall also be	2. Joint	
				considered provided	Secretary,	
				they are not short of the	National	
				requisite qualifying or	Human Rights	
				eligibility service by	Commission –	
				more than half of such	Member;	
				qualifying or eligibility		
				service or two years,	3. Director,	
				whichever is less, and	National	
				have successfully	Human Rights	

	completed their	Commission-	
	probation period for	Member.	
	promotion to the next	1,10111001.	
	higher grade along with		
	their juniors who have		
	already completed such		
	qualifying or eligibility		
	service.		
	501 1100.		
	Deputation (including		
	short-term contract):		
	Officers of the Central		
	Government or State		
	Governments or Union		
	territory		
	Administrations or		
	autonomous bodies or		
	statutory organisations		
	or public sector		
	undertakings or		
	recognised Universities		
	or recognised research		
	institutions,-		
	(a) (i) holding		
	analogous post on a		
	regular basis in the		
	parent cadre or		
	department; or		
	(ii) with five years'		
	service rendered after		
	appointment to the post		
	on a regular basis in		
	level-11 in the pay		
	matrix (Rs.67700-		
	208700) or equivalent		
	in the parent cadre or department; and		
	department; and		
	(b) possessing the		
	following educational		
	qualification, namely:-		
	Bachelor's degree from		
	recognised University		
	or recognised institute.		
	<i>J</i>		
	Note 1 The		
	departmental officers		
	in the feeder category		
	who are in the direct		
	line of promotion shall		
	not be eligible for		
	consideration for		
	appointment on		
	deputation. Similarly,		
	the deputationists shall		
	not be eligible for		
	consideration for		
	appointment by		
	promotion.		
	Note 2 The second 1 of		
	Note 2 The period of		
	deputation (including		

preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately
Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the	appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed
closing date of receipt	Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. Deputy	1* (2025)	Equivalent to	Level-12 in the	Selection.	Not applicable.
Secretary.	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.78800-		
		Government of	209200).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	failing which	Under Secretary of the	Promotion	
			by deputation	National Human Rights	Committee	
			(including	Commission in level-	(for	
			short-term	11 in the pay matrix	considering	
			contract).	(Rs.67700-208700)	promotion)	
				with five years' of	consisting of:-	
				regular service in the		
				grade.	 Secretary 	
					General,	
				Note Where juniors	National	
				who have completed	Human Rights	
				their qualifying or	Commission –	
				eligibility service are	Chairperson;	
				being considered for		
				promotion, their	2. Registrar	
				seniors shall also be	(Law),	
				considered provided	National	
				they are not short of the	Human Rights	
				requisite qualifying or	Commission –	
				eligibility service by	Member;	
				more than half of such		
				qualifying or eligibility	3. Joint	
				service or two years,	Secretary,	
				whichever is less, and	National	
				have successfully	Human Rights	
				completed their	Commission –	
				probation period for	Member.	
				promotion to the next		
				higher grade along with		

		their juniors who have	
		already completed such	
		qualifying or eligibility	
		service.	
		Danistatian (in also din a	
		Deputation (including short-term contract):	
		Officers of the Central	
		Government or State	
		Governments or Union	
		territory	
		Administrations or	
		autonomous bodies or	
		statutory organisations	
		or public sector undertakings or	
		recognised Universities	
		or recognised research	
		institutions,-	
		(a)(i) holding	
		analogous post on a	
		regular basis in the	
		parent cadre or	
		department; or (ii) with five years'	
		service rendered after	
		appointment to the post	
		on regular basis in	
		level-11 in the pay	
		matrix (Rs.67700-	
		208700) or equivalent	
		in the parent cadre or	
		department; and (b) possessing the	
		following educational	
		qualifications and	
		experience, namely: -	
		(i) Bachelor's degree	
		from a recognised	
		University or	
		recognised institutes;	
		and (ii) with five years'	
		experience in personnel	
		and general	
		administrative matters.	
		Note 1 The	
		departmental officers	
		in the feeder category	
		who are in the direct line of promotion shall	
		not be eligible for	
		consideration for	
		appointment on	
		deputation. Similarly,	
		the deputationists shall	
		not be eligible for	
		consideration for	
		appointment by	
		promotion.	
 l	<u> </u>		

			Note 2 The per deputation (inclushort-term contrincluding the per deputation (inclushort-term contranother <i>ex-cadre</i> held immediately preceding this appointment in the same or some of organisation or department shall ordinarily not exfour years. Note 3 The manage-limit for appointment by deputation (inclushort-term contrashall be not exceptify-six years as closing date of reapplications.	acting act) riod of ading act) in expost y he her acceed ximum ading act) seding act) seding act) seding act) seding act)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Assistant	10*(2025)	Equivalent to	Level-11 in the	Selection.	Not applicable.
Registrar.	*Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' post to the Government of India.	pay matrix (Rs.67700- 208700).		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Two years	(i) Fifty per	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	for	cent. by	Section Officer in the	Promotion	
		promotees.	promotion	National Human Rights	Committee	
			(through	Commission in level-8	(for	
			Limited	in the pay matrix	considering	
			Departmental	(Rs.47600-151100)	promotion)	
			Competitive	with eight years of	consisting of:-	
			Examination),	regular service in the		
			failing which	grade and having	 Secretary 	
			by deputation	Bachelor's degree with	General,	
			(including	Law from a recognised	National	
			short-term	University or	Human Rights	
			contract).	recognised institute.	Commission—	
					Chairperson;	
			(ii) Fifty per	Note Where juniors		
			cent. by	who have completed	2. Registrar	
			deputation	their qualifying or	(Law),	
			(including	eligibility service are	National	
			short-term	being considered for	Human Rights	
			contract).	promotion, their	Commission—	
				seniors shall also be	Member;	
				considered provided		
				they are not short of the	3. Joint	
				requisite qualifying or	Secretary,	
				eligibility service by	National	
				more than half of such	Human Rights	
				qualifying or eligibility	Commission-	
				service or two years,	Member.	

whichever is less, and have successfully Departmental completed their Confirmation probation period for Committee promotion to the next (for higher grade along with considering their juniors who have confirmation) already completed such consisting of:qualifying or eligibility service. 1. Registrar (Law). By deputation National (including short-term **Human Rights** contract): Commission -Officers of the Central Chairperson; Government or State Governments or Union 2. Joint territory Secretary, Administrations or National autonomous bodies or **Human Rights** statutory organisations Commission -Member; or public sector undertakings or 3. Joint recognised Universities or recognised research Registrar, National institutions,-**Human Rights** (a) (i) holding analogous post on a Commissionregular basis in the Member. parent cadre or department; or (ii) with eight years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience namely:-Bachelor's degree with Law from a recognised University or recognised institute. Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for

consideration for
appointment by
promotion.
Note 2 The period of
deputation (including
short-term contract)
including the period of
deputation (including
short-term contract) in
another ex-cadre post
held immediately
preceding this
appointment in the
same or some other
organisation or
department shall
ordinarily not exceed
four years.
Note 3 The maximum
age-limit for
appointment by
deputation (including
short-term contract)
shall be not exceeding
fifty-six years as on the
closing date of receipt
of applications.
of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. Under	3* (2025)	Equivalent to	Level-11 in the	Selection.	Not applicable.
Secretary.	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.67700-		
		Government of	208700).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Two years.	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.		failing which	Section Officer in the	Promotion	
			by deputation.	National Human Rights	Committee	
				Commission in level-8	(for	
				in the pay matrix	considering	
				(Rs.47600-151100)	promotion)	
				having eight years of	consisting of :-	
				regular service in the	 Secretary 	
				grade.	General,	
					National	
				Note Where juniors	Human Rights	
				who have completed	Commission	
				their qualifying or	- Chairperson;	
				eligibility service are		
				being considered for	2. Joint	
				promotion, their	Secretary,	
				seniors shall also be	National	
				considered provided	Human Rights	
				they are not short of the	Commission-	
				requisite qualifying or	Member;	
				eligibility service by		
				more than half of such	3. Director,	
				qualifying or eligibility	National	
				service or two years,	Human Rights	

whichever is less, and Commission have successfully - Member. completed their probation period for Departmental promotion to the next Confirmation higher grade along with Committee their juniors who have (for already completed such considering qualifying or eligibility confirmation) service. consisting of: Deputation: 1. Secretary Officer of the Central General, Government or the National State Governments or **Human Rights** Union territory Commission - Chairperson; Administrations,-(a) (i) holding analogous posts on a 2. Joint regular basis in the Secretary, parent cadre or National Human Rights department; Commissionor Member; (ii) with eight years' service rendered after Director. appointment to the post on a regular basis in National level-8 in the pay Human Rights matrix (Rs.47600-Commission 151100) or equivalent - Member. in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1.-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other

deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of	ears as on the closing
years as on the closing	ears as on the closing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. Senior	2*(2025)	Equivalent to	Level-11 in the	Selection.	Not applicable.
Research	*Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
Officer	dependent on workload.	to the	(Rs.67700-		
		Government of	208700).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not
applicable.	applicable.	applicable.	failing which	Research Officer in the	Promotion	applicable.
			by deputation	National Human Rights	Committee	
			(including	Commission in level-10	(for	
			short-term	in the pay matrix (Rs.	considering	
			contract).	56100-177500) with five	promotion)	
			ŕ	years' regular service in	consisting of:-	
				the grade.	1. Secretary	
				S	General,	
				Note Where juniors	National	
				who have completed	Human Rights	
				their qualifying or	Commission-	
				eligibility service are	Chairperson;	
				being considered for	r	
				promotion, their seniors	2. Joint	
				shall also be considered	Secretary,	
				provided they are not	National	
				short of the requisite	Human Rights	
				qualifying or eligibility	Commission-	
				service by more than half	Member;	
				of such qualifying or	,	
				eligibility service or two	3. Joint	
				years, whichever is less,	Director	
				and have successfully	(Research),	
				completed their	National	
				probation period for	Human Rights	
				promotion to the next	Commission-	
				higher grade along with	Member.	
				their juniors who have		
				already completed such		
				qualifying or eligibility		
				service.		
				Deputation (including		
				short-term contract):		
				Officers of the Central		
				Government or State		
				Governments or Union		
				territory Administrations		
				or autonomous bodies or		

statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,-(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-(i) Master's degree in Social Science (Political Science or Sociology or Social Work Economics or Human Rights or Psychology or Population Studies or Criminology) or Statistic from recognised a University or recognised institute; and (ii) Three years' research experience in Social Science or Statistic. Note 1.-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment promotion. Note 2.- The period of (including deputation short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately

			preceding appointment in tor some organisation department ordinarily not exc years.	other or shall	
			Note 3 The may age-limit for appointment by deputation (inclushort-term contrabe not exceeding years as on the clate of receipt of applications.	ding act) shall fifty-six losing	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. Principal	7* (2025)	Equivalent to	Level-11 in the	Selection.	Not applicable.
Private	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
Secretary.	dependent on workload.	to the	(Rs.67700-		
-		Government of	208700).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Two years.	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.		failing which	Private Secretary in the	Promotion	
			by deputation	National Human Rights	Committee	
			(including	Commission in level-8	(for	
			short-term	in the pay matrix	considering	
			contract).	(Rs.47600-151100)	promotion)	
				with eight years'	consisting of:-	
				regular service in the	 Secretary 	
				grade.	General,	
					National	
I				Note Where juniors	Human Rights	
				who have completed	Commission	
				their qualifying or	- Chairperson;	
				eligibility service are		
				being considered for	2. Joint	
				promotion, their	Secretary,	
				seniors shall also be	National	
				considered provided	Human Rights	
				they are not short of the	Commission-	
				requisite qualifying or	Member;	
				eligibility service by		
				more than half of such	3. Director,	
				qualifying or eligibility	National	
				service or two years,	Human Rights	
				whichever is less, and	Commission	
				have successfully	- Member.	
				completed their		
				probation period for	Departmental	
				promotion to the next	Confirmation	
				higher grade along with	Committee	
1				their juniors who have	(for	
				already completed such	considering	
				qualifying or eligibility	confirmation)	
				service.	consisting of :	
1					-	
					1. Secretary	

Deputation (including General, short-term contract): National Officers of the Central **Human Rights** Government or State Commission -Governments or Union Chairperson; territory Administrations or 2. Joint autonomous bodies or Secretary, statutory organisations National or public sector **Human Rights** undertakings or Commission recognised Universities Member; or recognised research institutions,-3. Director, National (a) (i) holding analogous post on a Human Rights Commission regular basis in the parent cadre or Member. department; or (ii) with eight years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised institutes. Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation

	department shall ordinarily not exceed four years.
	Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. Senior	1* (2025)	Equivalent to	Level-11 in the	Selection.	Not applicable.
System Analyst.	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.67700-		
		Government of	208700).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	failing which	System Analyst in	Promotion	
			by deputation	National Human Rights	Committee	
			(including	Commission in level-	(for	
			short-term	10 in the pay matrix	considering	
			contract).	(Rs. 56100-177500)	promotion)	
				with five years of	consisting of:-	
				regular service in the	4.6	
				grade.	1. Secretary	
				NT . TT71	General,	
				Note Where juniors	National	
				who have completed	Human Rights	
				their qualifying or	Chairmanan	
				eligibility service are being considered for	Chairperson;	
				promotion, their	2. Joint	
				seniors shall also be	Secretary	
				considered provided	National	
				they are not short of the	Human Rights	
				requisite qualifying or	Commission –	
				eligibility service by	Member;	
				more than half of such		
				qualifying or eligibility	3. Joint	
				service or two years,	Registrar,	
				whichever is less, and	National	
				have successfully	Human Rights	
				completed their	Commission –	
				probation period for	Member.	
				promotion to the next		
				higher grade along with		
				their juniors who have		
				already completed such		
				qualifying or eligibility		
				service.		
				Deputation (including		
				short-term contract):		
				Officers of the Central		
				Government or State		
	ſ	l .	1	30.01mient of State	<u> </u>	I

territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the	
autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and	
statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and	l
or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and	
undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and	
or recognised research institutions,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and	
institutions,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and	
(a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and	
post on a regular basis in the parent cadre or department; and	
in the parent cadre or department; and	
(b) possessing the	
(b) possessing the following	
qualifications and	
experience, namely: -	
(i) Eccenticle	
(i) Essential: (a) Master's degree	
with Statistics or	
Mathematics or	
Operations Research or Physics or Economics	
Physics or Economics or Commerce (with	
Statistics) from a	
recognised University	
or recognised institute;	
or	
(b) Doctorate in	
Statistics or	
Mathematics or	
Operations Research or	
Physics or Economics or Commerce (with	
Statistics) from a	
recognised University	
or recognised institute;	
or	
(c) Bachelor's degree	
with Engineering or	
Computer Science	
from a recognised	
University or recognised institutes;	
and	
(d) Seven years'	
experience of electronic data	
processing work out of	
which at least three	
years' experience shall	
be in actual	
programming on the electronic computer.	
l computer.	
(ii) Desirable:	

T	Т	- I	 	
			(a) Formal training in	
			computer programming	
			or system design or	
			analysis; and	
			anarysis, and	
			4) > 4	
			(b) Master's degree	
			with Engineering or	
			Computer Science	
			from a recognised	
			University or	
			recognised institutes.	
			Note 1 The	
			departmental officers	
			in the feeder category	
			who are in the direct	
			line of promotion shall	
			not be eligible for	
			consideration for	
			appointment on	
			deputation. Similarly,	
			the deputationists shall	
			not be eligible for	
			consideration for	
			appointment by	
			promotion.	
			promotion.	
			Note 2 The period of	
			deputation (including	
			short-term contract)	
			including the period of	
			deputation (including	
			short-term contract) in	
			another ex-cadre post	
			held immediately	
			preceding this	
			appointment in the	
			same or some other	
			organisation or	
			department shall	
			ordinarily not exceed	
			four years.	
			Note 3 The maximum	
			age-limit for	
			appointment by	
			deputation (including	
			short-term contract)	
			shall be not exceeding	
			fifty-six years as on the	
			closing date of receipt	
			of applications.	
	_		* *	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. Information	1* (2025)	Equivalent to	Level-11 in the	Not applicable.	Not applicable.
and Public	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
Relations	dependent on workload.	to the	(Rs.67700-		
Officer.		Government of	208700).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation	Deputation (including	Search-cum-	Not applicable.

applicable. applicable. (including short-term contract): Selection	
short-term Officers of the Central Committee (in	
contract). Government or State respect of	
Governments or Union deputation): -	
territory 1. Secretary	
Administrations or General,	
autonomous bodies or National	
statutory organisations or public sector Human Rights Commission –	
undertakings or Chairperson;	
recognised Universities	
or recognised research 2. Registrar	
institutions,- (Law),	
(a) holding analogous National	
post on a regular basis Human Rights in the parent cadre or Commission –	
in the parent cadre or department; and Member;	
department, and livemoet,	
(b) possessing the 3. Joint	
following educational Secretary,	
qualifications and National	
experience, namely: - Human Rights (i) Bachelor's degree Commission -	
from a recognised Member.	
University or	
recognised institutes; Note	
or The Members	
(ii) Master's degree or of the above	
diploma with Public Committee Relations or Journalism will act as	
Relations or Journalism will act as or Mass Members of	
communication from a the Screening	
recognised University Committee or	
or recognised Selection	
institution; and Committee as	
(iii) having experience the case may	
of at least three years in supervisory capacity in candidate for	
supervisory capacity in candidate for public relations or the post of	
publicity, printing and Information	
publishing. and Public	
Relation	
Note 1 The period of Officer in the	
deputation (including short-term contract) National Human Rights	
including the period of Commission.	
deputation (including	
short-term contract) in	
another ex-cadre post	
held immediately	
preceding this	
appointment in the same or some other	
organisation or	
department shall	
ordinarily not exceed	
four years.	
Note 2 The maximum	
age-limit for	
appointment on	
deputation (including	

146		THE GAZE	ETTE OF INDIA :	EXTRAORDINA	RY	[PA	ART I	[—SEC. 3(i)]
				short-term contr shall not be exce fifty-six years of closing date of r of applications.	eeding n the			
	1		(2)		T			
(1) 20. Deputy Superintendent of Police.	11* (2025) * Subject to dependent on	o variation	(3) Equivalent to Group 'A' post to the Government of India.	(4) Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Not app	(5) plicable.	Not	(6) applicable.
			maia.					
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)		(13)
Not applicable.	Not applicable.	(9) Not applicable.	(10) Deputation.	Deputation: Officer of the Conservation of the Conservation of Government Policy Organisations of territory Policy Organisation, (a) (i) holding analogous post of regular basis in parent cadre or department; or (ii) with five years experience rendered appointment to (as Inspector) or regular basis in in the pay matrix (Rs.44900-1424 equivalent in the cadre or department of the period of deputation in clutter of the cadre of the cadre of the cadre of the cadre of the period of deputation in an ex-cadre post he immediately prethis appointment same or some of organisation or department shall ordinarily not exthree years.	lice r State lice r State lice r Union on the ars' l after the post n a level-7 x 00) or e parent ment; ne tional hd hely: - egree ed tute; nce in riod of ding other eld ceding t in the ther	Committee act as Mem of the Screen Committee Selection Committee the case may	man man man man man man ass of oove will bers ning or as y be elect for of the man	Not applicable.

Note 2 The maximum
age-limit for
appointment by
deputation shall be not
exceeding fifty-six
years as on the closing
date of receipt of
applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. Senior	1* (2025)	Equivalent to	Level-10 in the	Selection.	Not applicable.
Accounts	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
Officer.	dependent on workload.	to the	(Rs.56100-		
		Government of	177500).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Two years	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	for	failing which	Assistant Accounts	Promotion	
		promotees.	by deputation.	Officer in the National	Committee	
				Human Rights	(for	
				Commission in level-8	considering	
				in the pay matrix	promotion)	
				(Rs.47600-151100)	consisting of:	
				with four years' regular		
				service in the grade.	1. Secretary	
					General,	
				Note Where juniors	National	
				who have completed	Human Rights	
				their qualifying or	Commission-	
				eligibility service are	Chairperson;	
				being considered for	O Tain4	
				promotion, their seniors shall also be	2. Joint Secretary,	
				considered provided	National	
				they are not short of the	Human Rights	
				requisite qualifying or	Commission –	
				eligibility service by	Member;	
				more than half of such	memoer,	
				qualifying or eligibility	3. Director,	
				service or two years,	National	
				whichever is less, and	Human Rights	
				have successfully	Commission-	
				completed their	Member.	
				probation period for		
				promotion to the next		
				higher grade along with		
				their juniors who have		
				already completed such		
				qualifying or eligibility		
				service.		
				D		
				Deputation:		
				Officers of the Central		
				Government or State Governments or Union		
				territory		
				Administrations,-		
				(a) (i) holding		
				analogous post on a		
				regular basis in the		
	1	I .	1	1080101 00313 III tile		<u> </u>

parent cadre or
department; or
(ii) with four years'
service rendered after
appointment to the post
on a regular basis in
level-8 in the pay
matrix (Rs.47600-
151100) or equivalent
in the parent cadre or
department; and
(A)
(b) possessing the
following educational
qualifications and
experience, namely: -
(i) Bachelor's degree
from a recognised
University or
recognised institutes;
(ii) A pass in the
Subordinate Accounts
Service examination
conducted by the
organised Accounts
Departments of the
Central Government;
(iii) successful
completion of training
in cash and accounts
work in the Institute of
Secretariat Training
and Management or
equivalent training
course and a minimum
of five years'
experience in finance
or budgeting of
Accounts Division of
any Department or
organisation.
organisation.
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Note 1 The
departmental officers
in the feeder category
who are in the direct
line of promotion shall
not be eligible for
consideration for
appointment on
deputation. Similarly,
the deputationists shall
not be eligible for
consideration for
appointment by
promotion.
Note 2 The period of
deputation including
the period of
deputation in another
ex-cadre post held

immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.
Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. System	1* (2025)	Equivalent to	Level-10 in the	Selection.	Not applicable.
Analyst.	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.56100-		
		Government of	177500).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Two years	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	for	failing which	Programmer in	Promotion	
		promotees.	by deputation	National Human Rights	Committee	
			(including	Commission in level-7	(for	
			short-term	in the pay matrix	considering	
			contract).	(Rs.44900-142400)	promotion)	
				with five years' of	consisting of :-	
				regular service in the	 Secretary 	
				grade.	General,	
					National	
				Note Where juniors	Human Rights	
				who have completed	Commission –	
				their qualifying or	Chairperson;	
				eligibility service are		
				being considered for	2. Joint	
				promotion, their	Secretary,	
				seniors shall also be	National	
				considered provided	Human Rights	
				they are not short of the	Commission –	
				requisite qualifying or	Member;	
				eligibility service by		
				more than half of such	3. Director,	
				qualifying or eligibility	National	
				service or two years,	Human Rights	
				whichever is less, and	Commission –	
				have successfully	Member.	
				completed their		
				probation period for		
				promotion to the next	Departmental	
				higher grade along with	Confirmation	
				their juniors who have	Committee	
				already completed such	(for	
				qualifying or eligibility	considering	
				service.	confirmation)	
					consisting of: -	
				Deputation (including	1. Joint	
				short-term contract):	Secretary,	

Officers of the Central National Government or State **Human Rights** Governments or Union Commission territory Chairperson; Administrations or autonomous bodies or 2. Director, statutory organisations National **Human Rights** or public sector Commission undertakings or recognised Universities Member; or recognised research institutions,-3. Under Secretary, (a) (i) holding analogous post on a National regular basis in the Human Rights parent cadre or Commission department; or Member. (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -(i) Master's degree with Computer Applications or Master of Science (Computer Science or Information Technology) from a recognised University or recognised institute; (ii) Bachelor's of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or recognised institute. (iii) five years' experience of electronic data processing work, out of which at least three year experience should be in actual programming on an

			electronic comp	uter.	
			Note 1 departmental in the feeder c who are in the line of promotion not be eligib consideration appointment deputation. Sin the deputationis not be eligib consideration appointment	The officers ategory e direct on shall ble for for on milarly, ts shall	
			promotion. Note 2 The per deputation (inclushort-term contrincluding the per deputation (inclushort-term contranother <i>ex-cadre</i> held immediately preceding this appointment in the same or some of organisation or department shall ordinarily not exthree years. Note 3 The maximum age-liappointment by deputation (inclushort-term contri	ading act) riod of ading act) in post y he her l acceed	
			shall be not exce fifty-six years as closing date of r of applications.	s on the	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23. Assistant	1* (2025)	Equivalent to	Level-10 in the	Not applicable.	Not applicable.
Information Officer.	* Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' post to the Government of	pay matrix (Rs.56100-177500).	Two applicable.	Two applications
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation	Deputation (including	Search-cum-	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	(including	short-term contract):	Selection	
			short-term	Officers of the Central	Committee (in	
			contract).	Government or State	respect of	
				Governments or Union	deputation): -	
				territory	1. Secretary	
				Administrations or	General,	
				autonomous bodies or	National	
				statutory organisations	Human Rights	
				or public sector	Commission	
				undertakings or	_	
				recognised Universities	Chairperson;	

or recognised research 2. Joint institutions,-Secretary, (a)(i) holding National analogous post on a **Human Rights** regular basis in the Commission -Member; parent cadre or department; or (ii) with four years' 3. Director. service rendered after National appointment to the post **Human Rights** on a regular basis in Commission -Member. level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent Note. in the parent cadre or The Members department; and of the above Committee (b) possessing the will act as following educational Members of qualifications and the Screening experience, namely: -Committee or (i) Bachelor's degree or Selection holding a degree or Committee as Post Graduate Diploma the case may in Journalism from a be to select recognised University candidate for or recognised the post of institution; and Assistant (ii) having experience Information of at least three years in Officer in the supervisory capacity in National public relations or Human Rights publicity, printing and Commission. publishing. Note 1.- The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum

> age-limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24. Research	2*(2025)	Equivalent to	Level-10 in	Selection.	Not exceeding thirty-five years of
Officer.	*Subject to variation	Group 'A' post	the pay		age.
	dependent on	to the	matrix		
	workload.	Government of	(Rs.56100-		(Relaxable for the Government
		India.	177500).		servants up to five years in
					accordance with the instructions
					or orders issued by the Central
					Government).
					Note The crucial date for
					determining the age-limit shall be
					closing date for receipt of
					applications from candidates and
					not the closing date prescribed for
					those in Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh, Mizoram,
					Manipur, Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Lahaul and Spiti District
					and Pangi Sub-Division of
					Himachal Pradesh, and the Union
					territories of Ladakh, Andaman
					and Nicobar Islands and
					Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(a) Essential:	Not	Two years	(i) Fifty per	Promotion:	Departmental	Not
Master's	applicable.	for direct	cent. by	Senior Research	Promotion Committee	applicable.
degree with		recruits and	direct	Assistant in the	(for considering	
Social		promotees.	recruitment,	National Human Rights	promotion) consisting	
Science from			failing	Commission in level-7	of:-	
a recognised			which by	in the pay matrix	 Secretary General, 	
University or			deputation	(Rs.44900- 142400)	National Human	
recognised			(including	with five years' regular	Rights Commission-	
institute.			short-term	service in the grade.	Chairperson;	
			contract).			
(b)			(ii) Fifty per	Note Where juniors	2. Joint Secretary,	
Desirable:			cent. by	who have completed	National Human	
(i) Bachelor's			promotion,	their qualifying or	Rights Commission-	
degree with			failing	eligibility service are	Member;	
Law from a			which by	being considered for		
recognised			deputation	promotion, their seniors	3. Joint Director	
University or			(including	shall also be considered	(Research), National	
recognised			short-term	provided they are not	Human Rights	
institute; and			contract).	short of the requisite	Commission -	
				qualifying or eligibility	Member.	
(ii) three				service by more than		
years'				half of such qualifying	Departmental	
research				or eligibility service or	Confirmation	
experience in				two years, which ever	Committee (for	
any of the				is less, and have	considering	
social				successfully completed	confirmation)	
science.				their probation period	consisting of:-	
				for promotion to the		
				next higher grade along	1. Joint Secretary,	
				with their juniors who	National Human	
				have already completed	Rights Commission-	
				such qualifying or	Chairperson;	
				eligibility service.		
					2. Joint Director	
				Deputation (including	(Research), National	

short-term contract): **Human Rights** Officers of the Central Commission-Government or State Member: Governments or Union territory Senior Research Administrations or Officer. National Human Rights autonomous bodies or statutory organisations Commission-Member. or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,-(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). Note 1.-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding

		fifty-six years as on the	
		closing date of receipt	
		of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25. Librarian-	1* (2025)	Equivalent to	Level-10 in	Selection.	Not applicable.
cum-	* Subject to variation	Group 'A' post	the pay		
Documentation	dependent on workload.	to the	matrix		
Officer.		Government of	(Rs.56100-		
		India.	177500).		

			maia.	177500).		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Two years	By	Promotion:	Departmental	Not
applicable.	applicable.	for	promotion,	Deputy Documentation	Promotion	applicable.
-FF	Tr	promotees.	failing which	Officer in the National	Committee (for	or F
			by deputation	Human Rights	considering	
			(including	Commission in level-6	promotion)	
			short-term	in the pay matrix	consisting of:-	
			contract).	(Rs.35400- 112400)		
				with ten years' regular	1. Secretary General,	
				service in the grade.	National Human	
					Rights Commission-	
				Note Where juniors	Chairperson;	
				who have completed		
				their qualifying or	2. Joint Secretary,	
				eligibility service are	National Human	
				being considered for	Rights Commission	
				promotion, their seniors shall also be considered	–Member;	
				provided they are not	3. Director, National	
				short of the requisite	Human Rights	
				qualifying or eligibility	Commission –	
				service by more than	Member.	
				half of such qualifying		
				or eligibility service or	Departmental	
				two years, whichever is	Confirmation	
				less, and have	Committee (for	
				successfully completed	considering	
				their probation period	confirmation)	
				for promotion to the	consisting of:-	
				next higher grade along	1 1.1.4 0	
				with their juniors who	1. Joint Secretary, National Human	
				have already completed such qualifying or	National Human Rights Commission	
				eligibility service.	-Chairperson;	
				engionity service.	-Champerson,	
				Deputation (including	2. Director, National	
				short-term contract):	Human Rights	
				Officers of the Central	Commission –	
				Government or State	Member;	
				Governments or Union		
				territory	3. Deputy Secretary,	
				Administrations or	National Human	
				autonomous bodies or	Rights Commission—	
				statutory organisations	Member.	
				or public sector		
				undertakings or		
				recognised Universities or recognised research		
				institutions,-		
				(a) (i) holding		
				analogous post on a		
L	1	1	l	post on u		

		regular basis in the		
		parent cadre or		
		department; or		
		(ii) with four years'		
		service rendered after		
		appointment to the post		
		(as Library service) on		
		a regular basis in level-		
		8 in the pay matrix		
		(Rs.47600-151100) or		
		equivalent in the parent		
		cadre or department;		
		and		
		(b) possessing the		
		educational		
		qualifications and		
		experience, namely: -		
		-		
		Essential:		
		(i) Bachelor's degree		
		with Library Science		
		from a recognised		
		University or		
		recognised institutes;		
		and		
		(ii) Two years'		
		professional experience		
		in a Library including		
		Documentation and		
		Bibliographical work;		
		or		
		(iii) Post-Graduate		
		degree with Library		
		Science from a		
		recognised University		
		or recognised institutes.		
		N		
		Note 1 The		
		departmental officers in		
		the feeder category who		
		are in the direct line of		
		promotion shall not be		
		eligible for consideration for		
		appointment on deputation. Similarly,		
		the deputationists shall		
		not be eligible for		
		consideration for		
		appointment by		
		promotion.		
		promotion.		
		Note 2 The period of		
		deputation (including		
		short-term contract)		
		including the period of		
		deputation (including		
		short-term contract) in		
		another ex-cadre post		
		held immediately		
	<u> </u>	nero miniculately	I	

			organisation	other or shall	
			Note 3 The maxing age-limit for appointment by deputation (includishort-term contract shall be not exceed)	ng) ing	
			fifty-six years as of closing date of rece of applications.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26. Assistant	1* (2025)	Equivalent to	Level-10 in the	Not applicable.	Not applicable.
Director (Hindi).	* Subject to variation	Group 'A' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.56100-		
		Government of	177500).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation	Deputation (including	Search-cum-	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	(including	short-term contract): -	Selection	
			short-term	Officers of the Central	Committee (in	
			contract).	Government or State	respect of	
				Governments or Union	deputation): -	
				territory	1. Secretary	
				Administrations or	General,	
				autonomous bodies or	National	
				statutory organisations	Human Rights	
				or public sector	Commission-	
				undertakings or	Chairperson;	
				recognised Universities	-	
				or recognised research	2. Joint	
				institutions,-	Secretary,	
				(a) (i) holding	National	
				analogous post on a	Human Rights	
				regular basis in the	Commission –	
				parent cadre or	Member;	
				department; or		
					3. Director,	
				(ii) with five years'	National	
				service in the grade	Human Rights	
				rendered after	Commission –	
				appointment to the post	Member.	
				on a regular basis in		
				level-7 in the pay		
				matrix (Rs.44900-	Note	
				142400) or equivalent	The Members	
				in the parent cadre or	of the above	
				department; and	Committee	
					will act as	
				(b) possessing the	Members of	
				following educational	the Screening	
					Committee or	
				experience, namely: -	Selection	
					Committee as	
				department; and (b) possessing the following educational qualifications and	Committee will act as Members of the Screening Committee or	

	•	1			
			(i) Essential:	the case may	
			(A) Master's degree	be to select	
			from a recognised	candidate for	
			University or	the post of	
			recognised institute in	Assistant	
			Hindi with English as a	Director	
			compulsory or elective	(Hindi) in the	
			subject or as the	National	
			medium of	Human Rights	
			examination at the	Commission.	
			degree level; or		
			(B) Master's degree		
			from a recognised		
			University or		
			recognised institutes in		
			English with Hindi as a		
			compulsory or elective		
			subject or as the		
			medium of		
			examination at the		
			degree level; or		
			(C) Master's degree		
			from a recognised		
			University or		
			recognised institutes in		
			any subject other than		
			Hindi or English, with		
			Hindi medium and		
			English as a		
			compulsory or elective		
			subject or as the		
			medium of a		
			examination at the		
			degree level; or		
			(D) Master's degree		
			from a recognised		
			University or		
			recognised institutes in		
			any subject other than		
			Hindi or English, with		
			English medium and		
			Hindi as a compulsory		
			or elective subject or as		
			the medium of a		
			examination at the		
			degree level; or		
			(E) Master's Degree		
			from a recognised		
			University or		
			recognised institutes in		
			any subject other than		
			Hindi or English, with		
			Hindi and English as		
			compulsory or elective		
			subjects or either of the		
			two as a medium of		
			examination and the		
			other as a compulsory		
			or elective subject at		
			degree level; and		
			(F) Three years'		
			experience of using or		

applying terminology	
(terminological work)	
in Hindi and translation	
work from English to	
Hindi or vice-versa,	
preferably of technical	
or scientific literature	
under the Central	
Government or the	
State Governments or	
autonomous bodies or	
statutory organisations	
or public sector	
undertakings or	
recognised Universities	
or recognised research	
or educational	
institutions; or	
(G) Three years'	
experience of teaching	
in Hindi and English or	
research in Hindi or	
English under the	
Central Government or	
the State Governments	
or Union territory	
Administrations or	
autonomous bodies or	
statutory organisations	
or public sector	
undertakings or	
recognised Universities	
or recognised research	
institutions.	
institutions.	
(m. p 11	
(ii) Desirable:	
Studied one of the	
languages other than	
Hindi included in the	
EIGHTH SCHEDULE	
of the Constitution at	
10th level from a	
recognised Board.	
Note 1 The period of	
deputation (including	
short-term contract)	
including the period of	
deputation (including	
short-term contract) in	
another ex-cadre post	
held immediately	
preceding this	
appointment in the	
same or some other	
organisation or	
department shall	
ordinarily not exceed	
three years.	
Note 2 The	
Note 2 The maximum age-limit for	

appointment by	
short-term contract)	
shall be not exceeding	
fifty-six years as on the	
of applications.	
	deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. Assistant	3* (2025)	Equivalent to	Level-8 in the	Selection.	Not applicable.
Accounts	* Subject to variation	Group 'B' post	pay matrix		
Officer.	dependent on workload.	to the	(Rs.47600-		
		Government of	151100).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	(i) Sixty-seven	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	per cent. by	Accountant in the	Promotion	
			promotion,	National Human Rights	Committee	
			failing which	Commission in level-6	(for	
			by deputation.	in the pay matrix	considering	
			(ii) Thirty-	(Rs.35400-112400)	promotion)	
			three per cent.	with six years' regular	consisting of:-	
			by deputation	service in the grade.	1. Joint	
			(including		Secretary,	
			short-term	Note Where juniors	National	
			contract).	who have completed	Human Rights	
				their qualifying or	Commission-	
				eligibility service are	Chairperson;	
				being considered for		
				promotion, their	2. Director,	
				seniors shall also be	National	
				considered, provided	Human Rights	
				they are not short of the	Commission-	
				requisite qualifying or	Member;	
				eligibility service by		
				more than half of such		
				qualifying or eligibility	3. Under	
				service or two years,	Secretary,	
				whichever is less, and	National	
				have successfully	Human Rights	
				completed their	Commission -	
				probation period for	Member.	
				promotion to the next		
				higher grade along with		
				their juniors who have		
				already completed such		
				qualifying or eligibility		
				service.		
				Deputation (including		
				short-term contract):		
				Officers of the Central		
				Government or State		
				Governments or Union		
				territory		
				Administrations or		
				autonomous bodies or		
				statutory organisations		
				or public sector		
ı				undertakings or		
	1			recognised Universities		

		or recognised research		
		institutions,-		
		(a) (i) holding		
		analogous posts on		
		regular basis in the		
		parent cadre or		
		department; or		
		(ii) with six years'		
		service in the grade		
		rendered after		
		appointment to the post		
		on regular basis in		
		level-6 in the pay		
		matrix (Rs.35400-		
		112400) or equivalent		
		in the parent cadre or		
		department; and		
		p, and		
		(h) paggagging the		
		(b) possessing the		
		following educational		
		qualifications and		
		experience, namely: -		
		(i) Bachelor's degree		
		from a recognised		
		University or		
		recognised institute;		
		and		
		(ii) pass in the		
		Subordinate Audit or		
		Accounts Service		
		examination conducted		
		by any one of the		
		organised Accounts		
		Departments of the		
		Central Government;		
		or		
		(iii) successful		
		completion of training		
		in the Cash and		
		Accounts work in		
		Institute of Secretariat		
		Training and		
		Management training		
		course and a minimum		
		of three years'		
		experience in Cash,		
		Accounts and Budget		
		Work.		
		Note 1 The		
		departmental officers		
		in the feeder category		
		who are in the direct		
		line of promotion shall		
		not be eligible for		
		consideration for		
		appointment on		
		deputation. Similarly,		
		the deputationists shall		
		not be eligible for		
		consideration for		
		appointment by		
 	-		-	

promotion.
Note 2 The period of deputation (including
short-term contract)
including the period of
deputation (including
short-term contract) in
another ex-cadre post
held immediately
preceding this
appointment in the
same or some other
organisation or
department of the
Central Government
shall ordinarily not
exceed three years.
Note 3 The maximum
age-limit for
appointment by
deputation (including
short-term contract)
shall be not exceeding
fifty-six years as on the
last date of receipt of
applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. Private	14* (2025)	Equivalent to	Level-8 in the	Selection.	Not applicable.
Secretary.	* Subject to variation	Group 'B' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.47600-		
		Government of	151100).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	failing which	Personal Assistant in	Promotion	
			by deputation.	the National Human	Committee	
				Rights Commission in	(for	
				level-7 in the pay	considering	
				matrix (Rs.44900-	promotion)	
				142400) with two	consisting of :-	
				years' regular service		
				in the grade.	1. Joint	
					Secretary,	
				Note Where juniors	National	
				who have completed	Human Rights	
				their qualifying or	Commission-	
				eligibility service are	Chairperson;	
				being considered for		
				promotion, their	2. Director,	
				seniors shall also be	National	
				considered provided	Human Rights	
				they are not short of the	Commission—	
				requisite qualifying or	Member;	
				eligibility service by		
				more than half of such	3. Under	
				qualifying or eligibility	Secretary,	
				service or two years,	National	
				whichever is less, and	Human Rights	

completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised University or recognised institute. Note 1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by			have successfully	Commission	
probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or State Governments or Union territory Administrations, (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 4490). 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised Institute. Note 1. The department of fires in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputation is for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or State Government or Union territory Administrations, (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department: or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely- Bachelor's degree from a recognised University or recognised Institute. Note 1, The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by				-1410111001.	
higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department, or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely-Bachelor's degree from a recognised University or recognised University or recognised indiversity or recognised indiversity or recognised indiversity or recognised in the field of the departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or State Government or Union territory Administrations, (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely-Baschelor's degree from a recognised University or recognised Institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised University or recognised intitute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
Service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 - The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration of deputationin. Similarly, the deputationins shall not be eligible for consideration of consideration of or appointment on deputation. Similarly, the deputationin Similarly, the deputationins shall not be eligible for consideration of or					
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely: Bachelor's degree from a recognised University or recognised university or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration. Similarly, the deputations. Similarly, the deputation for appointment by			SCI VICC.		
Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely: Bachelor's degree from a recognised University or recognised university or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration. Similarly, the deputations. Similarly, the deputation for appointment by			Denutation:		
Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely;- Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration is Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationsts shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised university or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputations, Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on depotations shall not be eligible for consideration for appointment on					
Administrations, (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputations. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely: Bachelor's degree from a recognised University or recognised University or recognised institute. Note 1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
(ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
level-7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on deputation for appointment by					
matrix (Rs.44900- 1422400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on deputation for appointment on deputationists shall not be eligible for consideration for					
142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on deputation for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on deputation for appointment by					
department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on deputation for appointment on deputation for appointment by					
(b) possessing the following educational qualifications, namely:-Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputation ists shall not be eligible for consideration for appointment on deputation ists shall not be eligible for consideration for appointment by					
following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by			* /		
following educational qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by			(b) possessing the		
qualifications, namely:- Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on deputation for appointment by					
Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
a recognised University or recognised institute. Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by					
Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by			a recognised University		
departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by					
not be eligible for consideration for appointment by					
consideration for appointment by					
appointment by					
promotion.			promotion.		
			NI. A. O. FEIL. 1. 1. C.		
Note 2 The period of					
deputation including					
the period of					
deputation in another					
ex-cadre post held					
immediately preceding					
this appointment in the					
same or some other					
organisation or			organisation or		

department shall ordinarily not exceed three years.
Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29. Section	15* (2025)	Equivalent to	Level-8 in the	Selection.	Not applicable.
Officer.	* Subject to variation	Group 'B' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.47600-		
		Government of	151100).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	failing which	Assistant Section	Promotion	
			by deputation.	Officer in National	Committee	
				Human Rights	(for	
				Commission in level-7	considering	
				in the pay matrix	promotion)	
				(Rs.44900-142400)	consisting of :-	
				and having two years		
				of regular service in the	1. Joint	
				grade.	Secretary,	
					National	
				Note Where juniors	Human Rights	
				who have completed	Commission-	
				their qualifying or	Chairperson;	
				eligibility service are		
				being considered for	2. Director,	
				promotion, their	National	
				seniors shall also be	Human Rights	
				considered provided	Commission-	
				they are not short of the	Member;	
				requisite qualifying or	0.77.1	
				eligibility service by	3. Under	
				more than half of such	Secretary,	
				qualifying or eligibility	National	
				service or two years,	Human Rights	
				whichever is less, and	Commission	
				have successfully	–Member.	
				completed their		
				probation period for		
				promotion to the next		
				higher grade along with		
				their juniors who have		
				already completed such		
				qualifying or eligibility service.		
				SCIVICE.		
				Deputation:		
				Officer of the Central		
				Government or the		
				State Governments or		
	<u> </u>	<u> </u>	<u>I</u>	State Governments of		

		Union territory		
		Administrations, -		
		(a) (i) holding		
		analogous posts on a		
		regular basis in the		
		parent cadre or		
		department; or		
		(ii) with two years'		
		service rendered after		
		appointment to the post		
		on a regular basis in		
		level-7 in the pay		
		matrix (Rs.44900-		
		142400) or equivalent		
		in the parent cadre or		
		department; and		
		deparament, and		
		(b) possessing the		
		following education		
		qualifications and		
		experience, namely: -		
		(i) Essential:		
		(a) Bachelor's degree		
		from a recognised		
		University or		
		recognised institutes;		
		and		
		(b) experience of		
		administration or		
		establishment accounts		
		matters or legal matter.		
		matters of legal matter.		
		(ii) Desirable:		
		Bachelor's degree with		
		Law from a recognised		
		University or		
		recognised institute.		
		recognised institute.		
		Note 1 The		
		departmental officers		
		in the feeder category		
		who are in the direct		
		line of promotion shall		
		not be eligible for		
		consideration for		
		appointment on		
		deputation. Similarly,		
		the deputationists shall		
		not be eligible for		
		consideration for		
		appointment by		
		promotion.		
		promotion.		
		Note 2 The period of		
		deputation including		
		the period of		
		deputation in another		
		ex-cadre post held		
		immediately preceding		
		this appointment in the		
		same or some other		
		organisation or		
I.	<u> </u>	organioation of	I	<u> </u>

department shall ordinarily not exceed three years.
Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30. Assistant	37* (2025)	Equivalent to	Level-7 in the	Selection.	Not exceeding
Section Officer.	* Subject to variation	Group 'B' post	pay matrix		thirty years of age.
	dependent on workload.	to the	(Rs.44900-		(Relaxable for the
		Government of	142400).		Government
		India.			servant up to five
					years in accordance
					with the
					instructions or
					orders issued by the
					Central
					Government).
					Note The crucial
					date for
					determining the
					age-limit shall be
					the closing date for
					receipt of
					applications from
					candidates and not
					the closing date
					prescribed for those
					in Assam,
					Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Lahaul and
					Spiti District and
					Pangi Sub-Division
					of Chamba District
					of Himachal
					Pradesh and the
					Union territories of
					Ladakh, Andaman
					and Nicobar Islands
					and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bachelor's	No.	Two years.	(i) Fifty per	Promotion :	Departmental	Not applicable.
degree from a			cent. by direct	Senior Secretariat	Promotion	
recognised		Note There	recruitment,	Assistant in National	Committee	
University or		shall be a	failing which	Human Rights	(for	
recognised		mandatory	by deputation.	Commission in level-4	considering	
institute.		induction	(ii) Thirty per	in the pay matrix (Rs.	promotion)	
		training of at	cent. by	25500-81100) and	consisting of :-	
		least two	promotion,	having fifteen years of		
		weeks	failing which	regular service in the	1. Joint	
		duration for	by deputation.	grade.	Secretary,	

direct (iii) Twenty National for Note.- Where juniors **Human Rights** recruits per cent. by successful deputation. who have completed Commissioncompletion their qualifying or Chairperson; of probation eligibility service are as prescribed being considered for 2. Director, by the promotion, their National Central **Human Rights** seniors shall also be Government. considered provided Commissionthey are not short of the Member; requisite qualifying or eligibility service by 3. Under more than half of such Secretary, qualifying or eligibility National service or two years, **Human Rights** whichever is less, and Commission have successfully -Member. completed their probation period for Departmental promotion to the next Confirmation higher grade along with Committee their juniors who have (for already completed such considering qualifying or eligibility confirmation) consisting of:service. 1. Director, Deputation: National Officer of the Central **Human Rights** Government or the Commission-State Governments or Chairperson; Union territory Administrations,-2. Under (a) (i) holding Secretary, National analogous posts on a regular basis in the **Human Rights** parent cadre or Commissiondepartment; or Member; (ii) with fifteen years' service rendered after 3. Section appointment to the post Officer, National on a regular basis in level-4 in the pay **Human Rights** matrix (Rs. 25500-Commission 81100) or equivalent in –Member. the parent cadre or department; and (b) (i) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7); and (ii) experience of administration or establishment accounts matters or legal matter. Desirable: Bachelor's degree with Law from a recognised University

1	T.	
	or recognised institute.	
	Note 1 The	
	departmental officers	
	in the feeder category	
	who are in the direct	
	line of promotion shall	
	not be eligible for	
	consideration for	
	appointment on	
	deputation. Similarly,	
	the deputationists shall	
	not be eligible for	
	consideration for	
	appointment by	
	promotion.	
	promotion.	
	Nation Theorem 1 of	
	Note 2 The period of	
	deputation including	
	the period of	
	deputation in another	
	ex-cadre post held	
	immediately preceding	
	this appointment in the	
	same or some other	
	organisation or	
	department shall	
	ordinarily not exceed	
	three years.	
	N O. Til	
	Note 3 The maximum	
	age-limit for	
	appointment by	
	deputation shall be not	
	exceeding fifty-six	
	years as on the closing	
	date of receipt of	
	applications.	
I	принопо.	
 	 -	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31. Inspector.	25* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	to the Government of	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Not applicable.	Not applicable.
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation.	Deputation:	Search-cum-	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.		Officers of the Central	Selection	
				Government or State	Committee (in	
				Governments or Union	respect of	
				territory	deputation): -	
				Administrations, -	1.	
				(a)(i) holding	Joint	
				analogous posts on a	Secretary,	
				regular basis in the	National	
				parent cadre or	Human Rights	
				department; or	Commission-	
				(ii) with five years	Chairperson;	
				service rendered after		
				appointment to the post	2. Deputy	
				(as Sub-Inspector) on a	Inspector	

regular basis in level-6	General,
in the pay matrix	National
(Rs.35400-112400) or	Human Rights
equivalent in the parent	
cadre or department;	Member;
and	
(b) possessing the	3. Senior
following educational	Superintenden
qualifications and	t of Police,
experience, namely: -	National
(i) Bachelor's degree	Human Rights
from a recognised	Commission
University or	–Member.
recognised institute;	1,10111001.
and	Note
	The Members
(ii) with five years'	
experience in vigilance	of the above
or investigation or	Committee
intelligence work.	will act as
	Members of
Note 1 The period of	
deputation including	Committee or
the period or	Selection
deputation in another	Committee as
ex-cadre post held	the case may
immediately preceding	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
this appointment in the	
same or some other	
organisation of	1
department shal	
ordinarily not exceed	Human Rights Commission.
three years.	Commission.
N. C. TII	
_	
years as on the closing	
date of receipt of	
applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32. Personal	21* (2025)	Equivalent to	Level-7 in the	Selection.	Not exceeding
Assistant.	* Subject to variation	Group 'B' post	pay matrix		thirty years of age.
	dependent on workload.	to the	(Rs.44900-		(Relaxable for the
		Government of	142400).		Government
		India.			servant up to five
					years in accordance
					with the
					instructions or
					orders issued by the
					Central
					Government).
					Note The crucial
					date for
					determining the
					age-limit shall be
					the closing date for
					receipt of
					applications from
					candidates and not

							he closing date prescribed for those n Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
(i) 12th class pass or	(8) Not applicable.	(9) Two years.	(i) sixty-five per cent. by	(11) Promotion: Stenographer Grad	le –	(12) Departmental Promotion	(13) Not applicable.
pass or equivalent from a recognised Board; and (ii) Skill: As prescribed for Grade 'C' Stenographers open competitive examination conducted by the Staff Selection Commission.	аррисаоте.	Note There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	per cent. by promotion, failing which by deputation; and (ii) thirty-five per cent. by direct recruitment failing which by deputation.	'D' in the National Human Rights Commission in levin the pay matrix (25500-81100) with fifteen years' regulater in the grade. Note Where junion who have complete their qualifying or eligibility service a being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short or requisite qualifying eligibility service is more than half of squalifying or eligibility service is more than half of squalifying or eligibility service or two years whichever is less, a have successfully completed their probation period for promotion to the nhigher grade along their juniors who halready completed qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Ceres of the Cere	l vel-4 Rs. h lar e. ors ed are for be ed of the g or by such bility rs, and or ext g with have such bility have	Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Secretary, National Human Rights Commission— Chairperson; 2. Director, National Human Rights Commission— Member; 3. Under Secretary, National Human Rights Commission— Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, National Human Rights Commission Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, National Human Rights	

Government or State

Administrations,-

analogous post on a

(a) (i) holding

territory

Governments or Union

Commission-

Chairperson;

2. Under

Secretary,

National

magulan basis in the Human Diabts
regular basis in the Human Rights
parent cadre or Commission—
department; or Member;
(ii) with fifteen years'
service rendered after 3. Assistant
appointment to the post Registrar,
on a regular basis in National
level-4 in the pay Human Rights
matrix (Rs. 25500- Commission
81100) or equivalent in —Member.
the parent cadre or
department; and
(b) possessing the
following educational
qualification, namely: -
12 th class pass from a
recognised Board.
N. a. 1 Til.
Note 1 The
departmental officers
in the feeder category
who are in the direct
line of promotion shall
not be eligible for
consideration for
appointment on
deputation. Similarly,
the deputationists shall
not be eligible for
consideration for
appointment by
promotion.
Note 2 The period of
deputation including
the period of
deputation in another
ex-cadre post held
immediately preceding
this appointment in the
same or some other
organisation or
department shall
ordinarily not exceed
three years.
N
Note 3 The maximum
age-limit for
appointment by
deputation shall be not
exceeding fifty-six
years as on the closing
date of receipt of
applications.
1 F F

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. Programmer.	1* (2025)	Equivalent to	Level-7 in the	Selection.	Not applicable.
	* Subject to variation dependent on workload.	Group 'B' post to the Government of India.	pay matrix (Rs.44900- 142400).		

Not applicable. By promotion, failing which by deputation (including short-term contract). Rights Commission in level-6 in the pay considering matrix (Rs.35400-112400) with five years' regular service in the grade. Not applicable. Rights Commission in level-6 in the pay considering promotion) 112400) with five years' regular service in the grade. Note Where juniors who have completed their gradificity are consisting of their gradificity are completed their gradificity are commission — Chairman and their gradificity are commission — Chairman and their gradificity are completed their gradificity are commission — Chairman and the gradient and the gradient and the gradient are completed to the gradient and the	licable.
their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised their processing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) Essential: (A) Master's degree	

			Mathematics (with	
			Statistics) or Operation	
			Research or Physics or	
			Economics (with	
			Statistics) or	
			Commerce (with	
			Statistics) from a	
			recognised University	
			or recognised institute;	
			or	
			(B) Bachelors' degree	
			with Engineering or	
			Computer Science	
			from a recognised	
			University or	
			recognised institute;	
			and	
			(C) Three years	
			experience of	
			electronic data	
			processing work, out of	
			which at least one year	
			experience should be in	
			actual programing on	
			an electronic computer;	
			or	
			(D) Master's degree	
			with Engineering or	
			Doctorate degree in	
			any of the subjects	
			mentioned in (A) or	
			(B) above.	
			(=)	
			(ii) Desirable:	
			(A) Formal training in	
			Computer	
			Programming or	
			System design or	
			analysis; and	
			(B) Knowledge of one	
			or more programming	
			languages.	
			<i>U U</i>	
			Note 1 The	
			departmental officers	
			in the feeder category	
			who are in the direct	
			line of promotion shall	
			not be eligible for	
			consideration for	
			appointment on	
			deputation. Similarly,	
			the deputationists shall	
			not be eligible for	
			consideration for	
			appointment by	
			promotion.	
			Note 2 The period of	
			deputation (including	
			short-term contract)	
			including the period of	
L	1	1	S 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this
appointment in the same or some other
organisation or department shall
ordinarily not exceed
three years.
Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including
short-term contract) shall be not exceeding
fifty-six years as on the closing date of receipt
of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. Senior	1*(2025)	Equivalent to	Level-7 in	Selection.	Not applicable.
Research	*Subject to variation	Group 'B' post	the pay		
Assistant.	dependent on workload.	to the	matrix		
		Government of	(Rs.44900-		
		India.	142400).		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	promotion,	Research Assistant in	Promotion	
			failing which	the National Human	Committee	
			by deputation	Rights Commission in	(for	
			(including	level-6 in the pay	considering	
			short-term	matrix (Rs.35400-	promotion)	
			contract).	112400) with five	consisting of:	
				years' regular service	-	
				in the grade.	1. Joint	
					Secretary,	
				Note Where juniors	National	
				who have completed	Human Rights	
				their qualifying or	Commission-	
				eligibility service are	Chairperson;	
				being considered for		
				promotion, their	2. Director,	
				seniors shall also be	National	
				considered provided	Human Rights	
				they are not short of	Commission-	
				the requisite	Member;	
				qualifying or		
				eligibility service by	3. Joint	
				more than half of such	Director (R),	
				qualifying or	National	
				eligibility service or	Human Rights	
				two years, whichever	Commission –	
				is less, and have	Member.	
				successfully		
				completed their		
				probation period for		
				promotion to the next		

Ţ		
		higher grade along
		with their juniors who
		have already
		completed such
		qualifying or
		eligibility service.
		Domutation
		Deputation (including short-
		term contract):
		Officers of the Central
		Government or State
		Governments or Union
		territory
		Administrations or
		autonomous bodies or
		statutory organisations
		or public sector
		undertakings or
		recognised Universities
		or recognised research
		institutions,-
		(a) holding analogous
		posts on regular basis
		in the parent cadre or
		department; and
		(b) possessing the
		following educational
		qualifications and
		experience, namely: -
		Essential:
		Essential.
		(iv) Master's degree
		in Social science from
		a recognised
		University or
		recognised institutes;
		and
		(v) Two years'
		research experience in
		any of the social
		science.
		Note 1 The
		Note 1 The
		departmental officers in the feeder category
		who are in the direct
		line of promotion shall
		not be eligible for
		consideration for
		appointment on
		deputation. Similarly,
		the deputationists shall
		not be eligible for
		consideration for
		appointment by
		promotion.
	•	

Note 2 The period of
deputation (including
short-term contract)
including the period of
deputation (including
short-term contract) in
another ex-cadre post
held immediately
preceding this
appointment in the
same or some other
organisation or
department shall
ordinarily not exceed
three years.
Note 3 The maximum
age-limit for
appointment by
deputation (including
short-term contract)
shall be not exceeding
fifty-six years as on the
closing date of receipt
of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35. Deputy	1* (2025)	Equivalent to	Level-6 in the	Selection.	Not applicable.
Documentation	* Subject to variation	Group 'B' post	pay matrix		
Officer.	dependent on workload.	to the	(Rs.35400-		
		Government of	112400).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Two years	By	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	for	promotion,	Assistant Librarian	Promotion	
		promotees.	failing which	in National Human	Committee (for	
			by	Rights Commission	considering	
			deputation.	in level-4 in the pay	promotion)	
				matrix (Rs.25500-	consisting of : -	
				81100) with ten		
				years' of regular	1. Joint Secretary,	
				service in the grade.	National Human	
					Rights	
				Note Where juniors	Commission –	
				who have completed	Chairperson;	
				their qualifying or		
				eligibility service are	2. Director,	
				being considered for	National Human	
				promotion, their	Rights	
				seniors shall also be	Commission –	
				considered, provided	Member;	
				they are not short of		
				the requisite	3. Under	
				qualifying or	Secretary,	
				eligibility service by	National Human	
				more than half of	Rights	
				such qualifying or	Commission –	
				eligibility service or	Member.	
				two years, whichever	Departmental	
				is less, and have	Confirmation	
				successfully	Committee (for	

completed their considering probation period for confirmation) promotion to the next consisting of :higher grade along 1. Director, with their juniors National Human who have already Rights completed such Commission qualifying or Chairperson; eligibility service. 2. Under Deputation: Secretary, Officers National Human of the Central Government Rights Commission -State Governments Member; or Union territory Administrations,-3. Librarian cum (i) holding Documentation analogous posts on a Officer, National regular basis in the **Human Rights** parent cadre Commission-Member. department; or (ii) with ten years' rendered service after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -(i) Essential: Bachelor's (A) degree with Library Science or Library and Information Science of recognised University recognised institute; and (B) Two years' professional experience in Library under the Central Government or State Governments Union territory Administrations or autonomous bodies statutory organisations

	public sector
	undertakings or
	recognised
	Universities or
	recognised research
	institutions.
	(ii) Desirable:
	(A) Master's degree
	in Library Science or
	Library and
	Information Science
	of a recognised
	University or
	recognised institute;
	and
	(B) Diploma in
	Computer
	Applications from a
	recognised
	University or
	recognised institute.
	Note 1 The
	departmental officers
	in the feeder
	category who are in
	the direct line of
	promotion shall not
	be eligible for
	consideration for
	appointment on
	deputation.
	Similarly,
	deputationists shall
	not be eligible for
	consideration for
	appointment by
	promotion.
	Note 2 The period
	of deputation
	including the period
	of deputation in
	another ex-cadre
	post held
	immediately
	preceding this
	appointment in the
	same or some other
	organisations or
	department of the
	Central Government
	shall ordinarily not
	exceed three years.
	Note 3 The
	maximum age-limit
	for appointment by
	deputation shall be
	not exceeding fifty-
	six years as on the
	closing date of
<u> </u>	

	receipt of	
	applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) 36. Research Assistant.	3*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post to the Government of India.	(4) Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	(5) Not applicable.	(6) Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).
					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential:	Not	Two years	By direct	Deputation	Departmental	Not applicable.
Bachelor's	applicable.	for direct	recruitment,	(including short-	Confirmation	
degree from		recruits.	failing which	term contract):	Committee	
a recognised			by deputation	Officers of the	(for	
University		Note There	(including	Central Government	considering	
or		shall be a	short-term	or State	confirmation)	
recognised		mandatory	contract).	Governments or	consisting of:	
institute.		induction		Union territory	-	
		training of at		Administrations or	1. Joint	
Desirable:		least two		autonomous bodies	Secretary,	
(i)		weeks		or statutory	National	
Bachelor's		duration for		organisations or	Human Rights	
degree with		direct		public sector	Commission-	
Law or		recruits for		undertakings or	Chairperson;	
Human		successful		recognised		
Rights from		completion		Universities or	2. Director,	
a recognised		of probation		recognised research	National	
University or		as prescribed		institutions,-	Human Rights	
recognised		by the		(a) (i) holding	Commission-	
institute; and		Central		analogous posts on	Member;	
(ii)		Government.		regular basis in the		
minimum				parent cadre or	3. Joint	
one-year				department; or	Director (R),	
research				(ii) with six years'	National	
experience in				service rendered	Human Rights	
any				after appointment to	Commission -	
recognised				the post on a regular	Member.	

TTu''	1
University or	basis in level-5 in
recognised	the pay matrix
research	(Rs.29200-92300) or
institution.	equivalent in the
	parent cadre or
	department; or
	(vi) with ten
	years' service
	rendered after
	appointment to the
	post on a regular
	basis in level-4 in
	the pay matrix
	(Rs.25500-81100) in
	the parent cadre or
	department; and
	(b) possessing the
	educational
	qualifications and
	experience
	prescribed for direct
	recruitment under
	column (7).
	Note 1 The period
	of deputation
	(including short-
	term contract)
	including the period
	of deputation
	(including short-
	term contract) in
	another ex-cadre
	post held
	immediately
	preceding this
	appointment in the
	same or some other
	organisation or
	department shall
	ordinarily not
	exceed three years.
	cheese thee years.
	Note 2 The
	maximum age-limit
	for appointment by
	deputation
	(including short-
	term contract) shall
	be not exceeding
	fifty-six years as on
	the closing date of
	receipt of
	applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37. Programmer	2* (2024)	Equivalent to	Level-6 in the	Not applicable.	Not exceeding
Assistant.	* Subject to variation	Group 'B' post	pay matrix		thirty years of age.
	dependent on workload.	to the	(Rs.35400-		
		Government of	112400).		(Relaxable for the
		India.			Government
					servant up to five

	years in accordance with the
	orders issued by the
	Central
	Government).
	Note The crucial
	date for
	determining the
	age-limit shall be
	the closing date for
	receipt of
	applications from
	candidates and not
	the closing date
	prescribed for those
	in Assam,
	Meghalaya,
	Arunachal Pradesh,
	Mizoram, Manipur,
	Nagaland, Tripura,
	Sikkim, Lahaul and
	Spiti District and
	Pangi Sub-Division
	of Chamba District
	of Himachal
	Pradesh and the
	Union territories of
	Ladakh, Andaman
	and Nicobar Islands
	and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(a) Essential:	Not	Two years.	(i) Fifty per	Deputation (Including	Departmental	Not applicable.
Bachelor's	applicable.		cent. by direct	short-term contract)/	Confirmation	
degree with		Note There	recruitment,	absorption:	Committee	
Engineering or		shall be a	failing which	Officers of the Central	(for	
Computer		mandatory	by deputation	Government or State	considering	
Science or		induction	(including	Governments or Union	confirmation)	
Information		training of at	short-term	territory	consisting of:-	
Technology or		least two	contract).	Administrations or	1. Joint	
Statistics or		weeks		autonomous bodies or	Secretary,	
Mathematics		duration for	(ii) Fifty per	statutory organisations	National	
(with		direct	cent. by	or public sector	Human Rights	
Statistics) or		recruits for	deputation	undertakings or	Commission—	
Operation		successful	(including	recognised Universities	Chairperson;	
Research or		completion	short-term	or recognised research		
Physics or		of probation	contract)/	institutions,-	2. Joint	
Economics		as prescribed	absorption.	(a) holding analogous	Registrar,	
(with		by the		post on a regular basis;	National	
Statistics) or		Central		(b) possessing the	Human Rights	
Commerce		Government.		following educational	Commission –	
(with				qualifications and	Member;	
Statistics)				experience, namely: -		
from a					3. Senior	
recognised				(i) Essential:	System	
University or				(A) Masters' degree in	Analyst,	
recognised				Statistics or	National	
institute;				Mathematics or	Human Rights	
				Operations Research or	Commission –	
(b)Desirable:				Physics or Economics	Member.	

(i) Experience			or Commerce (with	
of an			Statistics) or	
electronic data			Bachelor's degree with	
processing			Engineering or	
work			Computer Science	
including one			from a recognised	
year'			University or	
			•	
experience of			recognised institute;	
computer .			and	
programming			(B) Two years'	
or operation;			experience of an	
or			electronic data	
(ii) Two years'			processing work	
experience of			including one year's	
data			experience of computer	
processing			programming or	
work			operation; or	
including one			(C) Two years'	
year's			experience of data	
			-	
experience of			processing work	
unit record			including one year's	
system			experience of unit	
(Tabulor or			record system (Tabulor	
accounting			or accounting	
machines,			machines, collator,	
collator, etc.).			etc.);or	
			(D) Bachelor's degree	
			from a recognised	
			University or	
			recognised institutes	
			with Statistics as a	
			subject; and	
			(E) five years'	
			` ·	
			experience of an	
			electronic data	
			processing work	
			including one year's	
			experience of computer	
			programming or	
			operation.	
			_	
			(ii) Desirable:	
			(A) Formal training in	
			computer programming	
			operation;	
			(B) Knowledge of one	
			or more of the	
			programming	
			languages;	
			(C) Experience of	
			operating mechanical	
			tabulation equipment	
			and of planning and	
			supervising work on	
			such equipment.	
			-	
			Note 1 The Central	
			Government or State	
			Governments or Union	
			territory	
			Administrations	
			officers shall only be	
<u> </u>	<u> </u>	I	officers shall only be	

absorption. Note 2 The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	considered for
Note 2 The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	absorption.
deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	Note 2 The period of
including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	deputation (including
deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	short-term contract)
deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	including the period of
short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	deputation (including
another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
department shall ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
ordinarily not exceed three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
three years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	tiffee years.
age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	NI de 2 Tille de l'accession
appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt	
fifty-six years as on the closing date of receipt	
closing date of receipt	
	closing date of receipt
of applications.	of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38. Accountant.	3* (2025)	Equivalent to	Level-6 in the	Selection.	Not applicable.
	* Subject to variation	Group 'B' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.35400-		
		Government of	112400).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Two years.	(i) Sixty-seven	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.		per cent. by	Junior Accountant in	Promotion	
			promotion,	the National Human	Committee	
			failing which	Rights Commission in	(for	
			by deputation.	level-4 in the pay	considering	
				matrix (Rs.25500-	promotion)	
			(ii) Thirty-	81100) with ten years'	consisting of:	
			three per cent.	regular service in the	1. Joint	
			by deputation	grade and having	Secretary,	
			(including	undergone the Cash	National	
			short-term	and Accounts Course	Human Rights	
			contract).	from Institute of	Commission-	
				Secretariat Training	Chairperson;	
				and Management.		
				Note Where juniors	2. Director,	
				who have completed	National	
				their qualifying or	Human Rights	
				eligibility service are	Commission	
				being considered for	- Member;	
				promotion, their		
				seniors shall also be	3. Senior	
				considered, provided	Accounts	
				they are not short of the	Officer,	
				requisite qualifying or	National	
				eligibility service by	Human Rights	

more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract)
Officers of the Central Government or State
Governments or Union territory
Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,-

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -(i) Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute; and (ii) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management and possess three years' experience of cash,

accounts and budget

Commission
—Member.

Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director, National Human Rights Commission

- Chairperson;
- 2. Senior
 Accounts
 Officer,
 National
 Human Rights
 Commission
 —Member:
- 3. Assistant Accounts Officer, National Human Rights Commission – Member.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 185

			work.				
			Note 1 The departmental off in the feeder cate who are in the diline of promotion of the eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputation of the eligible for consideration for appointment by promotion.	egory irect n shall or r ilarly, ts shall or			
			short-term coincluding the per deputation (in short-term contranother ex-cada held immediately immediately immediately immediately immediately immediately immediately immediately immediately in the contract of the contract	cluding contract) eriod of cluding ract) in re post ediately this in the e other or shall			
			Note 3 The ma age-limit for appointment by deputation (inclu- short-term contri- shall be not exce- fifty-six years as closing date of re- of applications.	uding act) eeding s on the			
(1)	(2)	(3)	(4)	<u> </u>	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(3)	(6)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39. Staff Car	1* (2025)	Equivalent to	Level-6 in the	Non-selection.	Not applicable.
Driver (Special	* Subject to variation	Group 'B' post	pay matrix		
Grade).	dependent on workload.	to the	(Rs.35400-		
		Government of	112400).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Two years.	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not
applicable.	applicable.	-	failing which	Staff Car Driver Grade-	Promotion	applicable.
			by deputation	I in level-5 in the pay	Committee (for	
			(including	matrix (Rs.29200-	considering	
			short-term	92300) with six years	promotion)	
			contract).	of regular service in the	consisting of:	
				grade.	1. Director,	
					National Human	
				Note Where juniors	Rights	
				who have completed	Commission-	
				their qualifying or	Chairperson;	

eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,-(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or with six years' (ii) service rendered after appointment to the post [as Staff Car Driver Grade-I] on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct

qualifications, namely:-10th class pass from a recognised Board.

- 2. Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;
- 3. Deputy Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member.

Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:

- 1. Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairperson;
- 2. Director, National Human Rights Commission – Member;
- 3. Under Secretary, National Human Rights Commission— Member.

line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2 The period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.
Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. Staff Car	4* (2025)	Equivalent to	Level-5 in the	Non-selection.	Not applicable.
Driver Grade-I.	* Subject to variation	Group 'C' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.29200-		
		Government of	92300).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	(i) Seventy-	Promotion:	Departmental	Not
applicable.	applicable.	applicable.	five per cent.	Staff Car Driver Grade-	Promotion	applicable.
			by promotion,	II in level-4 in the pay	Committee (for	
			failing which	matrix (Rs.25500-	considering	
			by deputation	81100) with five years	promotion)	
			(including	of regular service in the	consisting of: -	
			short-term	grade or with a	1. Director,	
			contract).	combined service of	National Human	
				fifteen years in Staff	Rights	
			(ii) Twenty-	Car Driver Grade-II	Commission –	
			five per cent.	and Staff Car Driver	Chairperson;	
			by deputation	(Ordinary Grade); and		
			(including	have passed the trade	2. Under	
			short-term	test, specified by the	Secretary,	
			contract).	Government.	National Human	
					Rights	
				Note Where juniors	Commission –	
				who have completed	Member;	
				their qualifying or		
				eligibility service are	3. Deputy	

being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member.

Deputation (including short-term contract):-Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post [as Staff Car Driver (Grade-II)] on regular basis in level -4 in the pay matrix (Rs.25500-81300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:-10th class pass from a recognised Board.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall

				not be eligible for consideration for appointment on deputation. Simi the deputationist not be eligible for consideration for appointment by promotion.	r larly, s shall or	
				Note 2 The per deputation (inclushort-term contraincluding the per deputation (inclushort-term contrainother ex-cadre held immediately preceding this appointment in the same or some of organisation or department shall ordinarily not exthree years.	nding act) riod of iding act) in e post y he her	
				Note 3 The ma age-limit for appointment by deputation (inclu- short-term contra- shall be not exce- fifty-six years as closing date of re- of applications.	ading act) seding s on the	
(1)	(2)	, 1	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41. Staff Car	3* (2025)	Equivalent to	Level-4 in the	Non-selection.	Not applicable.
Driver Grade-II.	* Subject to variation	Group 'C' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.25500-		
		Government of	81100).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	(i) Sixty-seven	Promotion:	Departmental	Not
applicable.	applicable.	applicable.	per cent. by	Staff Car Driver	Promotion	applicable.
			promotion,	(Ordinary Grade) in	Committee (for	
			failing which	level-2 in the pay	considering	
			by deputation	matrix (Rs.19900-	promotion)	
			(including	63200) with eight years	consisting of:-	
			short-term	of regular service in the	1. Director,	
			contract).	grade and have passed	National Human	
				the trade test, specified	Rights	
			(ii) Thirty-	by the Central	Commission –	
			three per cent.	Government.	Chairperson;	
			by deputation			
			(including	Note Where juniors	2. Under	
			short-term	who have completed	Secretary,	
			contract).	their qualifying or	National Human	
				eligibility service are	Rights	
				being considered for	Commission –	
				promotion, their	Member;	

seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

3. Deputy Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member.

Deputation (including short-term contract):-Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,-(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years' service rendered after appointment to the post [as Staff Car Driver (Ordinary Grade)] on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department; (b) possessing the following educational qualifications, namely:-10th class pass from a recognised Board.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on

1 (2) (2) (11
deputation. Similarly,
the deputationists shall
not be eligible for
consideration for
appointment by
promotion.
Note 2 The period of
deputation (including
short-term contract)
including the period of
deputation (including
short-term contract) in
another ex-cadre post
held immediately
preceding this
appointment in the
same or some other
organisation or
department shall
ordinarily not exceed
three years.
Note 3 The maximum
age-limit for
appointment by
deputation (including
short-term contract)
shall be not exceeding
fifty-six years as on the
closing date of receipt
of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42. Staff Car	4*(2025)	Equivalent to	Level-2 in the pay	Not	Between 18 and 27 years of age.
Driver (Ordinary	*Subject to	Group 'C'	matrix (Rs.19900-	applicable.	(Relaxable for the departmental
Grade).	variation	post to the	63200).		candidates up to forty years in
	dependent or	Government			accordance with the instructions or
	workload.	of India.			orders issued by the Central
					Government).
					Note
					The crucial date for determining the
					age-limit shall be the closing date
					for receipt of applications from
					candidates and not the closing date
					prescribed for those in Assam,
					Meghalaya, Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti
					District and Pangi Sub-Division of
					Himachal Pradesh and the Union
					territories of Ladakh, Andaman and
					Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(a) Essential:	Not	Two years	By direct	Deputation (including	Departmental	Not
(i) 10 th class	applicable.	for direct	recruitment,	short-term contract):	Confirmation	applicable.
pass from a		recruits.	failing	Officers of the Central	Committee (for	
recognised			which by	Government or State	considering	
Board;		Note There	deputation	Governments or Union	confirmation)	

shall be a mandatory short-terms autonomous bodies or national Human shall be a mandatory induction contract).	
of a valid induction contract) autonomous hodies on Metional Human	
of a valid induction contract). autonomous bodies or National Human	
driving license training of at statutory organisations Rights	
for motor cars; least two or public sector Commission –	
weeks undertakings or Chairperson;	
(iii) knowledge duration for recognised Universities	
mechanism (the recruits for institutions,- Secretary,	
candidates shall successful (a) (i) holding National Human	
be able to completion analogous post on a Rights	
remove minor- of probation regular basis in the Commission –	
defects in as prescribed parent cadre or Member;	
vehicle); and by the department; or	
Central (ii) with three year 3. Deputy	
(iv) experience Government. service rendered after Superintendent	
of driving a appointment to the of Police,	
least three years. Rider or Group C Rights	
employee on regular Commission –	
(b) Desirable: basis in Level-1 in the Member.	
Three years' pay matrix (Rs. 18000-	
service as Home 56900) or equivalent in	
Guard or Civil the parent cadre or	
Volunteers. department; and	
(b) possessing the	
Note 1 The qualifications and	
qualifications experience prescribed	
are relaxable at for direct recruitment	
the discretion of under column (7).	
the competent	
authority, for Note 1 The period of	
reasons to be deputation (including	
recorded in short-term contract)	
writing, in the including the period of	
case of deputation (including	
candidates short-term contract) in	
otherwise well another ex-cadre post	
qualified. held immediately	
preceding this	
Note 2 The appointment in the	
qualifications same or some other	
regarding organisation or	
experience are department shall	
relaxable at the ordinarily not exceed	
discretion of the three years.	
competent	
authority, for Note 2 The maximum	
recorded in appointment by	
writing, in the deputation (including	
case of short-term contract)	
candidates shall be not exceeding	
belonging to the fifty-six years as on the	
Scheduled closing date of receipt	
Castes or the of applications.	
Scheduled of dippredictions:	
Tribes, if at any	
stage of	
selection, the	
competent	
authority is of	

the opinion that sufficient			
number of			
candidates from			
these			
communities			
possessing the			
requisite experience are			
not likely to be			
available to fill			
up the vacancy			
reserved for			
them.			

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3* (2025)	Equivalent to	Level-4 in the	Not applicable.	Between 18 and 27
* Subject to variation	Group 'C' post	pay matrix		years of age.
dependent on workload.	to the	(Rs.25500-		(Relaxable for the
		81100).		departmental
	India.			candidates up to
				forty years in
				accordance with the
				instructions or
				orders issued by the
				Central
				Government).
				Note The crucial
				date for determining
				the age-limit shall
				be the closing date
				for receipt of
				applications from
				candidates and not
				the closing date
				prescribed for those
				in Assam,
				Meghalaya,
				Arunachal Pradesh,
				Mizoram, Manipur,
				Nagaland, Tripura,
				Sikkim, Lahaul and
				Spiti District and
				Pangi Sub-Division of Himachal
				Pradesh and the
				Union territories of
				Ladakh, Andaman
				and Nicobar Islands
				and Lakshadweep.
	3* (2025) * Subject to variation	3* (2025) Equivalent to * Subject to variation Group 'C' post	3* (2025) Equivalent to Level-4 in the * Subject to variation dependent on workload. Group 'C' post to the Government of Croup 'C' post to the pay matrix (Rs.25500-Government of 81100).	3* (2025) * Subject to variation dependent on workload. Equivalent to Group 'C' post to the Government of S1100). Equivalent to Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-Government of S1100).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(a) Essential:	Not	Two years.	By direct	Deputation (including	Departmental	Not applicable.
Bachelor's	applicable.		recruitment,	short-term contract): -	Confirmation	
degree from a		Note There	failing which	Officers of the Central	Committee	
recognised		shall be a	by deputation	Government or State	(for	
University or		mandatory	(including	Governments or Union	considering	
recognised		induction	short-term	territory	confirmation)	
institute.		training of at	contract).	Administrations or	consisting of:-	
		least two		autonomous bodies or		
(b) Desirable:		weeks		statutory organisations	1. Joint	

	<u> </u>	T		ı	
Experience in	duration for		or public sector	Secretary,	
dealing with	direct recruits		undertakings or	National	
accounts and	for successful		recognised Universities	Human Rights	
cash matters.	completion of		or recognised research	Commission –	
	probation as		institutions,-	Chairperson;	
	prescribed by		(a)(i) holding	r ,	
	the Central		analogous post on	2. Director,	
	Government.		regular basis in the	National	
	Government.		parent cadre or	Human Rights	
			department; or	Commission –	
			(ii) with five year	Member;	
			service rendered after		
			appointment to the	3. Senior	
			posts as Upper	Accounts	
			Division Clerk in level-	Officer,	
			4 in the pay matrix	National	
			(Rs.25500-81100) in	Human Rights	
			Central Secretariat	Commission –	
			Clerical Service with	Member.	
			Cash and Accounts		
			training conducted by		
			the Institute of		
			Secretariat Training		
			and Management or		
			equivalent in the parent		
			cadre or department;		
			and		
			anu		
			(b) possessing the		
			qualification and		
			experience prescribed		
			for direct recruitment		
			under column (7).		
			Note 1 The period of		
			deputation (including		
			short-term contract)		
			including the period of		
			deputation (including		
			short-term contract) in		
			another ex-cadre post		
			held immediately		
			preceding this		
			appointment in the		
			same or some other		
			organisation or		
			_		
			department shall		
			ordinarily not exceed		
			three years.		
			NI O TO		
			Note 2 The maximum		
			age-limit for		
			appointment by		
			deputation (including		
			short-term contract)		
			shall be not exceeding		
			fifty-six years as on the		
			closing date of receipt		
			of applications.		
<u> </u>	<u> </u>	I .	TI	1	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 195

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44. Senior	11* (2025)	Equivalent to Group	Level-4 in the pay	Non-selection.	Not applicable.
Secretariat	* Subject to variation	'C' post to the	matrix		
Assistant.	dependent on workload.	Government of	(Rs.25500-		
		India.	81100).		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By promotion,	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	failing which	Junior Secretariat	Promotion	11
TT	TT		by deputation.	Assistant of National	Committee	
			oj aspatationi	Human Rights	(for	
				Commission in level-2	considering	
				in the pay matrix	promotion)	
				(Rs.19900-63200) with	consisting of:-	
				eight years' regular	1. Joint	
				service in the grade.	Secretary,	
					National	
				Note Where juniors	Human Rights	
				who have completed	Commission –	
				their qualifying or	Chairperson;	
				eligibility service are	0 D:	
				being considered for	2. Director,	
				promotion, their	National	
				seniors shall also be	Human Rights	
				considered provided	Commission –	
				they are not short of the	Member;	
				requisite qualifying or	2 1	
				eligibility service by	3. Assistant	
				more than half of such	Registrar	
				qualifying or eligibility	(Law),	
				service or two years,	National	
				whichever is less, and	Human Rights	
				have successfully	Commission –	
				completed their	Member.	
				probation period for		
				promotion to the next		
				higher grade along with		
				their juniors who have		
				already completed such		
				qualifying or eligibility		
				service.		
				Deputation:		
				Officers of the Central		
				Government,-		
				(a) (i) holding		
				analogous post on		
				regular basis in the		
				parent cadre or		
				department; or		
				(ii) with eight years'		
				service in the grade		
				rendered after		
				appointment to the post		
				(as Lower Division		
				Clerk) on a regular		
				basis in level-2 in the		
				pay matrix (Rs.19900-		
				63200) or equivalent in		
				the parent cadre or		
				department; and		
				(b) possessing the		
	I	1	I	(b) possessing the		l

following educational
qualifications, namely:-
12 th class pass from a
recognised Board.
recognised board.
Note 1 The
departmental officers
in the feeder category
who are in the direct
line of promotion shall
*
not be eligible for consideration for
deputation. Similarly,
the deputationists shall
not be eligible for
consideration for
appointment by
promotion.
Note 2 The period of
deputation including
the period of
deputation in another
ex-cadre post held
immediately preceding
this appointment in the
same or some other
organisation or
department shall
ordinarily not exceed
three years.
unce years.
Note 3 The maximum
age-limit for
appointment by
deputation shall be 'not
exceeding fifty-six
years' as on the closing
date of receipt of
applications.
принопо.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45. Assistant	1* (2025)	Equivalent to	Level-4 in the	Not applicable.	Between 18 and 27
Librarian.	* Subject to variation	Group 'C' post	pay matrix		years of age.
	dependent on workload.	to the	(Rs.25500-		
		Government of	81100).		(Relaxable for the
		India.			departmental candidates
					up to forty years in
					accordance with the
					instructions or orders
					issued by the Central
					Government).
					Note The crucial date
					for determining the age-
					limit shall be the closing
					date for receipt of
					applications from
					candidates and not the
					closing date prescribed
					for those in Assam,

		Meghalaya,	Arunachal
		Pradesh,	Mizoram,
		Manipur,	Nagaland,
		Tripura, Sikl	kim, Lahaul
		and Spiti I	District and
		Pangi Sub-I	Division of
		Chamba D	District of
		Himachal P	radesh and
		the Union to	erritories of
		Ladakh, An	daman and
		Nicobar Is	lands and
		Lakshadwee	p.

				<u> </u>	Laksiiac	тисер.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(a) Essential:	Not	Two years	By direct	Deputation (including	Departmental	Not
(i) Bachelor's	applicable.	for direct	recruitment,	short-term contract):	Confirmation	applicable.
degree in	аррисаотс.	recruits.	failing which	Officers of the Central	Committee (for	аррисаотс.
Library		recruits.	by deputation	Government or State	considering	
Science or		Note There	(including	Governments or Union	confirmation)	
Library and		shall be a	short-term	territory	consisting of:-	
Information		mandatory	contract).	Administrations or	1. Joint Secretary,	
Science from a		induction	contract).	autonomous bodies or	National Human	
recognised		training of at		statutory organisations	Rights	
University or		least two		or public sector	Commission –	
recognised		weeks		undertakings or	Chairperson;	
institute; and		duration for		recognised Universities	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
(ii) Two years'		direct		or recognised research	2. Director,	
professional		recruits for		institutions,-	National Human	
experience in		successful		(a) holding analogous	Rights	
a Library		completion		posts on a regular basis	Commission –	
under the		of probation		in the parent cadre or	Member;	
Central		as prescribed		department; and	3. Joint Director,	
Government		by the		(b) possessing the	National Human	
or State		Central		educational	Rights	
Governments		Government.		qualifications and	Commission –	
or Union				experience prescribed	Member.	
territory				for direct recruits under		
Administratio				column (7).		
ns or						
autonomous				Note 1 The period of		
body or				deputation (including		
statutory				short-term contract)		
organisation				including the period of		
or public				deputation (including		
sector				short-term contract) in		
undertakings				another ex-cadre post		
or recognised				held immediately		
University or				preceding this		
recognised				appointment in the		
research or				same or some other		
institution.				organisations or		
				department of the		
(L) D				Central Government		
(b) Desirable:				shall ordinarily not		
Diploma in				exceed three years.		
Computer				Note 2 The maximum		
Application from a						
from a recognised				age-limit for		
_				appointment by		
University or				deputation (including		
recognised institute.				short-term contract) shall be not exceeding		
msutute.				shan be not exceeding		

		fifty-six years as on the	
		closing date of receipt	
		of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. Stenographer	20* (2025)	Equivalent to	Level-4 in the	Not applicable.	Between 18 and 27
Grade-D.	* Subject to variation	Group 'C' post	pay matrix		years of age.
	dependent on workload.	to the	(Rs.25500-		
		Government of	81100).		(Relaxable for the
		India.			departmental
					candidates up to forty
					years in accordance
					with instructions or
					orders issued by the
					Central Government).
					Note The crucial date
					for determining the
					age-limit shall be the
					closing date for receipt
					of applications from
					candidates and not the
					closing date prescribed
					for those in Assam,
					Meghalaya, Arunachal
					Pradesh, Mizoram,
					Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim,
					Lahaul and Spiti
					District and Pangi Sub-
					Division of Himachal
					Pradesh and the Union
					territories of Ladakh,
					Andaman and Nicobar
					Islands and
					Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(a) Essential:	Not	Two years	By direct	Deputation (including	Departmental	Not applicable.
(i) 12 th class	applicable.	for direct	recruitment,	short-term contract):	Confirmation	
pass from a		recruits.	failing which	Officers of the Central	Committee	
recognised			by deputation	Government or State	(for	
Board; and		Note There	(including	Governments or Union	considering	
		shall be a	short-term	territory	confirmation)	
(ii) the		mandatory	contract).	Administrations or	consisting of:-	
candidate shall		induction		autonomous bodies or	1. Director,	
be able to,-		training of at		statutory organisations	National	
(A) Take		least two		or public sector	Human Rights	
Dictation at		weeks		undertakings or	Commission-	
the rate of		duration for		recognised Universities	Chairperson;	
eighty words		direct		or recognised research		
(English or		recruits for		institutions,-	2. Under	
Hindi) per		successful		(a) holding analogous	Secretary,	
minute for ten		completion		post on a regular basis	National	
minutes;		of probation		in the parent cadre or	Human Rights	
(B) Transcript		as prescribed		department; and	Commission –	
English for		by the		(b) possessing the	Member;	
fifty minutes		Central		educational		
and Hindi for		Government.		qualifications and	3. Assistant	
sixty-five				experience as	Registrar,	
minutes only				prescribed for direct	National	
on computer.				recruitment under	Human Rights	

	C	column (7).	Commission -	
Note		(,).	Member.	
Preference	N	Note 1 The period of	1,101110011	
will be given		deputation (including		
to those who		short-term contract)		
know both		ncluding the period of		
English and		deputation (including		
Hindi		short-term contract) in		
stenography.		another ex-cadre post		
8 4 7		neld immediately		
(b) Desirable:		preceding this		
Diploma in		appointment in the		
Computer		same or some other		
from a	C	organisation or		
recognised		department shall		
University or	C	ordinarily not exceed		
recognised	ti	hree years.		
institute.		-		
	N	Note 2 The maximum		
	a	age-limit for		
	a	appointment by		
	d	deputation (including		
	S	short-term contract)		
		shall be not exceeding		
		fifty-six years as on the		
		closing date of receipt		
	C	of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47. Constable.	12* (2025)	Equivalent to	Level-3 in the	Not applicable.	Not applicable.
	* Subject to variation	Group 'C' post	pay matrix		
	dependent on workload.	to the	(Rs.21700-		
		Government of	69100).		
		India.			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation.	Deputation:	Search-cum-	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.		Officers of the Central	Selection	
				Armed Police Forces or	Committee (in	
				State Police	respect of	
				Organisations or Union	deputation): -	
				territories Police	1. Joint	
				Organisations,-	Secretary,	
				(a) (i) holding	National	
				analogous post on a	Human Rights	
				regular basis in the	Commission –	
				parent cadre or	Chairperson;	
				department; or		
				(ii) with five years'	2. Deputy	
				service rendered after	Inspector	
				appointment to the post	General,	
				on a regular basis in	National	
				level-3 in the pay	Human Rights	
				matrix (Rs.21700-	Commission –	
				69100) or equivalent in	Member;	
				the parent cadre or		
				department; and	3. Senior	
				(b) possessing the	Superintenden	
				following educational	t of Police,	
				qualifications, namely:-	National	
				10 th class pass from a	Human Rights	

	I	recognised Board.	Commission –
		recognised board.	
			Member.
		Note 1 The period of	
		deputation including	Note
		the period of	The Members
		deputation in another	of the above
		ex-cadre post held	Committee
		immediately preceding	will act as
		this appointment in the	Members of
		same or some other	the Screening
		organisation or	Committee or
		department shall	Selection
		ordinarily not exceed	Committee as
		three years.	the case may
			be to select
		Note 2 The maximum	candidate for
		age-limit for	the post of
		appointment by	Constable in
		deputation shall be not	the National
		exceeding fifty-six	Human Rights
		years as on the closing	Commission.
		date of receipt of	
		applications.	
			1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48. Junior	20* (2025)	Equivalent to	Level-2 in the	Non-selection.	Between 18 and 27
Secretariat	* Subject to variation	Group 'C' post	pay matrix		years of age.
Assistant.	dependent on workload.	to the	(Rs.19900 -		
		Government of	63200).		(Relaxable for the
		India.			departmental
					candidates up to
					forty years in
					accordance with the instructions or
					orders issued by the
					Central
					Government).
					Note: The crucial
					date for
					determining the
					age-limit shall be
					the closing date for
					receipt of
					applications from
					candidates and not
					the closing date prescribed for those
					in Assam,
					Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Lahaul and
					Spiti District and
					Pangi Sub-Division
					of Himachal
					Pradesh and the
					Union territories of
					Ladakh, Andaman
					and Nicobar Islands
					and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential:	Yes, to the	Two years.	(i) Seventy per	Promotion:	Departmental	Not applicable.
(i) 12 th class	extent	•	cent. by direct	Thirty per cent. of the	Promotion	
pass from a	indicated	Note There	recruitment.	vacancies shall be filled	Committee	
recognised	under	shall be a		on Seniority-cum-	(for	
Board; and	column (11).	mandatory	(ii) Thirty per	fitness basis from	considering	
		induction	cent. by	Group 'C' employees	promotion)	
(ii) skill text		training of at	promotion.	as Multi-Tasking Staff	consisting of:-	
norms on		least two		of the National Human	1. Joint	
computer,-		weeks		Rights Commission in	Secretary,	
(a) typing		duration for		level-1 in the pay	National	
speed of		successful		matrix (Rs.18000-	Human Rights	
thirty-five		completion		56900) and who have	Commission-	
words per		of probation		rendered three years of	Chairperson;	
minute in		as prescribed		regular service in the	a D:	
English; or		by the		grade.	2. Director,	
(b) thirty		Central		NT . 3371	National	
words per		Government.		Note Where juniors	Human Rights	
minutes in Hindi on				who have completed	Commission – Member;	
				their qualifying or	Member;	
computer.				eligibility service are being considered for	3. Under	
				promotion, their seniors	Secretary,	
				shall also be considered	National	
				provided they are not	Human Rights	
				short of the requisite	Commission –	
				qualifying or eligibility	Member.	
				service by more than	Wiemoer.	
				half of such qualifying	Departmental	
				or eligibility service or	Confirmation	
				two years, whichever is	Committee	
				less, and have	(for	
				successfully completed	considering	
				their probation period	confirmation)	
				for promotion to the	consisting of:-	
				next higher grade along	1. Joint	
				with their juniors who	Secretary,	
				have already completed	National	
				such qualifying or	Human Rights	
				eligibility service.	Commission-	
					Chairperson;	
					2.5	
					2. Director,	
					National	
					Human Rights	
					Commission –	
					Member;	
					2 Donutu	
					3. Deputy	
					Secretary, National	
					Human Rights	
					Commission –	
					Member.	
					MICHIOCI.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49. Despatch	2* (2025)	Equivalent to	Level-2 in the	Not applicable.	Not applicable.
Rider.	* Subject to variation	Group 'C' post to	pay matrix		
	dependent on workload.	the Government of	(Rs.19900-		
		India.	63200).		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Not	By deputation	Deputation (including	Search-cum-	Not applicable.
applicable.	applicable.	applicable.	(including	short-term contract):	Selection	
			short-term	Officers of the Central	Committee (in	
			contract).	Government or State	respect of	
			_	Governments or Union	deputation): -	
			For ex-	territory	1. Director,	
			servicemen:	Administrations or	National	
			Deputation or	autonomous bodies or	Human Rights	
			Re- employment.	statutory organisations or public sector	Commission – Chairperson;	
			empioyment.	undertakings or	Champerson,	
				recognised Universities	2. Under	
				or recognised research	Secretary,	
				institutions,-	National	
				<u> </u>	Human Rights	
				(a)(i) holding	Commission –	
				analogous post on a	Member;	
				regular basis in the		
				parent cadre or	3. Deputy	
				department; or	Superintenden	
				(ii) with three years'	t of Police,	
				service rendered after	National	
				appointment to the post	Human Rights Commission –	
				on a regular basis in level-1 in the pay	Member.	
				matrix (Rs.18000-	1410111001.	
				56900) or equivalent in	Note	
				the parent cadre or	The Members	
				department; and	of the above	
					Committee	
				(b) possessing the	will act as	
				following educational	Members of	
				qualifications and	the Screening	
				experience, namely: -	Committee or	
				(i) 10 th class pass from	Selection	
				a recognised Board;	Committee as	
				(ii) possession of a valid driving license	the case may be to select	
				for Motor Cycle or	candidate for	
				Auto rickshaw;	the post of	
				(iii) two years'	Despatch	
				experience in driving	Rider in	
				Motorcycle or Auto	National	
				rickshaw; and	Human Rights	
				(iv) knowledge of	Commission.	
				Motor Cycle or Auto		
				rickshaw mechanism		
				Note 1 The		
				Note 1 The candidates shall be able		
				to remove minor-		
				defects in vehicle.		
				defects in venicle.		
				Note 2 The period of		
				deputation (including		
				short-term contract)		
				including the period of		
				deputation (including		
				short-term contract) in		
				another ex-cadre post		
				held immediately		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 203

preceding this
appointment in the
same or some other
organisation or
department shall
ordinarily not exceed
three years.
Note 3 The maximum
age-limit for
appointment on
deputation (including
short-term contract) is
not exceeding fifty-six
years on the closing
date of receipt of
applications.
For ex-servicemen:
Deputation or Re-
employment.
The Armed Forces
Personnel due to retire
or who are to be
transferred to reserve
within a period of one
year and having the
qualifications and
experience prescribed
for deputationists, shall
also be considered for
deputation. If selected,
such officers shall be
given deputation terms
up to the date on which
they are due for release
from the Armed Forces
and thereafter, they
may be continued on
re-employment terms.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50. Multi-	67* (2025)	Equivalent to	Level-1 in the	Not applicable.	Between 18 and 27 years of
Tasking Staff.	* Subject to variation	Group 'C' post	pay matrix		age.
	dependent on workload.	to the	(Rs.18000-		(Relaxable for the
		Government of	56900).		departmental candidates up
		India.			to forty years in accordance
					with the instructions or
					orders issued by the Central
					Government).
					Note
					The crucial date for
					determining the age-limit
					shall be the closing date for
					receipt of applications from
					candidates and not the
					closing date prescribed for
					those in Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,

					Lahaul and and Pangi Chamba Himachal Pr Union territor	ripura, Sikkim, Spiti District Sub-Division, District of adesh and the ries of Ladakh, and Nicobar akshadweep.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10 th class pass from a recognised Board.	Not applicable.	Two years. Note There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment, failing which by deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised Universities or recognised research institutions,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). Note 1 The period of deputation (including short - term contract) including the period of deputation (including short - term	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Joint Secretary, National Human Rights Commission - Chairperson; 2. Director, National Human Rights Commission - Member; 3. Assistant Registrar (Law), National Human Rights Commission - Member;	Not applicable.

[F. No.15011/74/2023-HR.III]

RAKESH KUMAR PANDEY, Jt. Secy.

contract) in another ex -

Note 2.- The maximum age -limit for appointment on deputation (including short – term contract) is not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.

immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.

cadre post held